लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

]MMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 38—मंगलवार, 12 अप्रैल, 1966/22 चैत्र, 1888 (शक)

No. 38—Tuesday, April 12, 1966/Chaitra 22, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1070	खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना ले जाना	Inter-State Movement of Food-grains	6441–44
1072	नये हवाई जहाजों की खरीद	Purchase of New Aeroplanes .	6444–47
1073	राष्ट्रीय खाद्य नीति	National Food Policy . .	6447–50
1074	विमान सेवाएं	Air Services	6450–52
1075	कृषि का विकास	Development of Agriculture .	6452–54
1077	जल संसाधन	Water Resources . . .	6454–56
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
17	लन्दन में प्रकाशित आदरणीय माइकेल स्काट का पत्र	Rev. Michael Scott's Letter Released in London . . .	6456–61

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1071	शुष्क क्षेत्रों आदि का विकास	Development of Arid Regions etc.	6461–62
1076	फार्म की उपज का मूल्य-ढांचा	Price Structure of Farm Produce	6462
1078	विभिन्न क्षेत्रों (जोन्स) में राशन वाली वस्तुओं का वितरण	Distribution of Rationed Articles in Different Zones . .	6462
1079	एयर इण्डिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड्डानों में देरी	Delay of Air India's International Flights	6462–63
1080	किसानों को प्रोत्साहन	Incentives to Farmers . .	6463
1081	राजभाषा (विधायी) आयोग का पुनर्घटन	Reconstitution of Official Language (Legislative) Commission	6463–64
1082	संयुक्त स्कन्ध समवायों का न मांगा गया तथा न दिया गया लाभांश	Unclaimed and Unpaid Dividends of Joint Stock Campanies .	6464
1083	मोटरगाड़ी के नीचे के ढांचे "रौलीगन" की खरीद	Purchase of Roligion Transport Chasis	6464–65

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को प्रश्न सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1084	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	6465
1085	कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें	Roads in Border Areas of Kutch	6465–66
1086	दिल्ली में आलू तथा संतरों का जमा किया जाना	Hoarding of Potatoes and Oranges in Delhi	6466
1087	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi	6466–67
1088	चावल का आयात	Import of Rice	6467
1089	भूमि विकास बैंक	Land Development Banks	6468
1091	सड़कों के लिये पृथक आधव्ययक	Separate Road Budget	6468
1092	जहाजों से खाद्यान्न को उतारने के लिये आधुनिक मशीनें	Modern Machines for Unloading Foodgrains	6469
1093	दिल्ली में राशन की सप्लाई	Ration Supply in Delhi	6469
1094	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	6469–70
1095	कपास का उत्पादन	Cotton Production	6470
1096	कृषि सम्बन्धी अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education	6470
1097	विमान समवायों का विलय	Merger of Air Corporations	6471
1098	वनस्पति का उत्पादन	Production of Vanaspati	6471
1099	केन्द्रीय अध्ययन दल	Central Study Teams	6471–72

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3527	तालाबों के तल वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Tank Bed Land	6472
3528	केरल में पंचायत तथा खंड विकास परिषद	Panchyat and Bock Deveopment Councils in Kerala	6472–73
3529	कृत्रिम वर्षा	Artificial Rains	6473
3530	माथुपेट्टी में भारत स्विटजरलडदुग्धशाला (डेरी) परियोजना	Indo-Swiss Dairy Project at Mathupetty	6473–74
3531	केरल में ढोरों में रोग फैलना	Diseases among Cattle in Kerala.	6474
3532	केरल में थाइनन बीजों की विशेष किस्म	Special Variety of Thainan seeds in Kerala	6474–75
3533	धान और चावल की वसूली	Procurement of Paddy and Rice	6475
3534	महाराष्ट्र की सहायता	Assistance to Maharashtra	6475–76
3535	बम्बई को खाद्यान्न का संभरण	Supply of Foodgrains to Bombay	6476
3536	"अधिक अन्न उपजाओं" आन्दोलन	"Grow More Food" Campaign	6476
3537	केरल में टेपिओका और नारियल की खेती	Cultivation of Tapioca and Coconut in Kerala	6477
3538	केरल में नीण्डकारा पुल	Neendakara Bridge in Kerala	6477

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3539	मंगलौर जिले में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)	West Coast Road in Mangalore	6477–78
3540	केरल में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)	West Coast Road in Kerala	6478
3541	मालाबार क्षेत्र के पहाड़ी भागों में परिवहन की सुविधायें	Transport Facilities for Hilly Tracts of Malabar Region	6478
3542	चावल का चोरी-छिपे लाना जाना	Smuggling of Rice	6479
3543	अंडों का उत्पादन	Production of Eggs	6479
3544	केरल में राष्ट्रीय राजपथ	National Highays in Kerala	6479–80
3545	आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता	Central Financial Assistance to Andhra Pradesh	6480
3546	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	National Co-operative Development Corporation	6481
3547	दिल्ली में जमाखोरी तथा चोर-बाजारी करने वाले व्यक्ति	Hoarders and Black-marketeers in Delhi	6481
3548	खाद्य उत्पादन	Food Production	6482–83
3549	कृषि औद्योगिक निगम	ro-Industrial Corporations	6483
3550	चावलों का पालिश किया जाना	olishing of Rice	6483–84
3551	कोलाघाट-हलदिया सड़क	Kolaghat-Haldia Road	6484
3552	रसायनों से भरे जहाजों में आग लगने की घटना	Fire in Vessels Carrying Chemicals	6484–85
3553	पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई नावें	Boats seized by Pakistan	6485
3554	कलकत्ता बन्दरगाह में माल उतारने की स्वचालित मशीन	Automatic Unloading Machines in Calcutta Port	6485–86
3555	विशाखापतनम पत्तन	Vishakhapatnam Port	6486
556	नलकूप	Tube-wells	6486–87
3557	कृषि फार्म	Agricultural Farms	6488
3558	पंजाब में सामुदायिक विकास खण्ड	C.D. Blocks in Punjab	6488
3559	पंजाब में लघुसिंचाई परियोजनाओं का विकास	Development of Minor Irrigation Projects in Punjab	6488–89
3560	पहाड़ी जिलों में फलों का उत्पादन	Fruit Cultivation in Hill Districts	6489
3561	चावल का मूल्य	Price of Rice	6489
3562	1965-66 में सर्वोत्तम गांव	Best Village in 1965-66	6490
3563	कृषि उपकर	Agricultural Cess	6490
3564	पंजाब में कृषि उत्पादन के लिये ग्राम्य संगठन	Village Force for Agricultural Production in Punjab	6491
3565	प्याज को सुखाना	De-hydration of Onions	6491

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3566	कृषि सम्बन्धी अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Agricultural Research	6492
3567	हलों का आयात	Import of Ploughs . . .	6492
3568	राज्यों द्वारा चावल के कोटे में कटौती	Cut in Rice quota by States .	6493
3569	काठमण्डू हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का क्षतिग्रस्त हो जाना	I.A.C. Dakota damaged at Kathmandu Airport . . .	6493
3570	सिंगापुर में भारतीय जहाजों की टक्कर	Indian Ships in Collision in Singapore	6493
3571	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का बेबसी में नीचे उतारना	Forced Landing of I.A.C. Dakota	6493-94
3572	मरुस्थल विकास बोर्ड	Desert Development Board .	6494
3573	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities . .	6494
3574	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37	National Highway No. 37 . .	6495
3575	त्रिपुरा में गैर-आदिम जातीय लोग	Non-Tribal Population in Tripura	6495
3576	दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार द्वारा चने की बिक्री	Sale of Gram by Delhi Consumers Cooperative Wholesale Store.	6496
3577	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों के बेबसी में नीचे उतारने की घटनायें	Forced Landings of I.A.C. Planes	6496
3578	अस्थायी सरकारी कर्मचारी	Temporary Government Employees	6496-97
3579	देहाती डाकघर	Village Post Offices . . .	6497
3580	केरल अन्तर्देशीय जल परिवहन	Kerala Inland Water Transport	6497
3581	विश्व चावल बैंक	World Rice Bank . . .	6497-98
3582	पत्तन शुल्क	Port Charges	6498
3583	दिल्ली में कुक्कुट पालन विकास योजनाएं	Poultry Development Schemes in Delhi	6498-99
3584	दिल्ली में सहकरी समितियों से बकाया रकम की वसूली	Realisation of Dues from Cooperative Societies, Delhi .	6499
3585	सामुदायिक विकास खण्डों के लिये साहित्य	Literature for C.D. Blocks .	6499-6500
3586	आस्ट्रेलिया से गेहूं	Wheat from Australia . .	6500
3587	प्रयोगात्मक नलकूप संगठन	Exploratory Tube-wells Organisation	6500-01
3588	उत्तर प्रदेश में एक मिल द्वारा गन्ना लेना	Acceptance of Sugarcane by a Mill in U. P. . . .	6501

अता० प्र० संख्या U. Q. Ns.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3589	परादीप पत्तन	Paradeep Port	6501–02
3590	कृषि कालेज तथा विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	Agricultural College and Universities, Bhubaneswar	6502
3591	उड़ीसा में कृषि फार्म	Agriultural Farm in Orissa	6502
3592	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa	6503
3593	त्रिपुरा में सब्जियों के बीजों का वितरण	Distribution of Vegetable Seeds in Tripura	6503
3594	त्रिपुरा में फलों तथा काजू का उगाया जाना	Fruit and Cashewnut Plantation in Tripura	6503–04
3595	कनाडा से गेहूं	Wheat from Canada	6504
3596	मछली पकड़ने से सम्बन्धित विकास योजना	Fishing Development Scheme	6504
3597	धान के खेतों में खारे पानी का बह निकलना	Over-flow of Saline Water in Paddy Fields	6505
3598	सुपारी विकास समिति	Arecanut Development Committee	6505
3599	राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था	National Dairy Research Institute	6506
3600	वसूली वाले धान का मूल्य	Price of Levy Paddy	6506–07
3601	केरल में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)	West Coast Road in Kerala	6507
3602	राजस्थान में सड़कें	Roads in Rajasthan	6507–08
3603	पंजाब-दिल्ली बस सेवा	Punjab-Delhi Bus Service	6508
3604	पंजाब रोडवेज	Punjab Roadways	6508
3605	मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाएं	Medium and Minor Irrigation Scheme	6509
3606	बीजों तथा उर्वरकों का वितरण	Distribution of Seeds and Fertilizers	6509
3608	नर्मदा पुल	Narmada Bridge	6509–10
3609	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	6510
3610	पंजाब में दुग्धशाला परियोजनायें	Dairy Projects in Punjab	6510
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	उड़ीसा के कुछ भागों में खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in certain parts of Orissa—	
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	6510–11
	श्री चि० सुब्रम्हण्यम	Shri C. Subramaniam	6511–12
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	6512–13
राज्य सभा से सन्देश		Messages from Rajya Sabha	6513

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक —राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill—As Passed by Rajya Sabha—Laid on the Table	6514
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समितियां—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
पिचासिवां प्रतिवेदन	Eighty-fifth Report . .	6514
समितियों के लिये निर्वाचन—	Election to Committees—	
(1) पेटेन्ट्स (एकस्व) विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति	(i) Joint Committee on Patents Bill	6514
(2) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समि	(ii) Committee on Public Undertakings . . .	6514–15
केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के बारें में संविधिक संकल्प के सम्बन्ध में	Re. Statutory Resolution on Kerala University (Amendment) Act .	
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	6515
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—	Ministry of Irrigation and Power—	
श्री बासप्पा	Shri Basappa . . .	6515–16
श्री बडे	Shri Bade	6516–17
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy.	6517
श्री जसवन्त मेहता	Shri Jaswant Mehta . .	6517–18
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotaki . .	6518–19
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai . .	6519
श्री अ० ब० राघवन	Shri A.V. Raghavan . .	6519–20
श्री रा० गि० दुबे	Shri R. G. Dubey . .	6520
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta . .	6521
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	6521–25
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan . .	6525
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda . .	6525–26
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	6526
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	6526–27
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh . .	6533
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao .	6533–34
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	Shri Braj Bihari Mehrotra .	6534–35
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsi Das Jadhav .	6535
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	6535–36
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadab . .	6536

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के बारे में सांविधिक संकल्प--	Statutory Resolution Re: Kerala University (Amendment) Act—	
श्री नी० श्री० कान्तन नायर	Shri N. Sreekanatan Nair .	6527–30
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	6530–31
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail .	6531
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza . .	6531
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	6531
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	6532
रिक्शा चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा–	Half-an-Hour Discussion Re: Rickshaw Pulling—	
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	6536
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan .	6537–38

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 अप्रैल 1966/22 चैत्र, 1888 (शक)
Tuesday, April 12, 1966/Chaitra 22, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना-ले-जाना

+

*1070. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस मूल योजना की रूप-रेखा क्या है जिसके अनुसार राज्यों में समरूपता लाने के हेतु आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले राज्यों में से समाहार किये गये अथवा खरीदे गये खाद्यानों को कमी वाले राज्यों में लाने-ले जाने की व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाता है; और

(ख) वर्तमान खरीफ फसल के दौरान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न भेजे गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) मूल योजना केन्द्र के पास कुल उपलब्धि का निर्धारण करना मात्र है जिससे देश के अधिशेष राज्यों में खरीदी गयी मात्राएं और अन्य देशों से आयात, कमी वाले राज्यों की कुल आवश्यकताएं और कमी-वाले राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध खाद्यानों का समान रूप से वितरण करना शामिल है ।

(ख) चालू खरीफ की फसल में, अब तक अधिशेष राज्यों ने केन्द्र को कुल 9,51,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा दी है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि खाद्यान्नों को लाने-ले जाने का कार्य तब तक नहीं किया जाता, जब तक कि राज्य केन्द्र से यह प्रार्थना न करें कि उन्हें खाद्यान्न भेजा जाये और इसके परिणामस्वरूप कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई में विलम्ब हो जाता है ?

श्री गोविन्द मेनन : कमी वाले राज्यों के लिये दिये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। उस निर्धारित मात्रा के आधार पर खाद्यान्नों को लाया-ले जाया जाता है।

श्री सुबोध हंसदा: मेरा प्रश्न यह था कि खाद्यान्नों को तब तक नहीं भेजा जाता, जब तक की राज्य केन्द्र से खाद्यान्न भेजने की प्रार्थना नहीं करते और इसके कारण कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई में विलम्ब हो जाता है।

श्री गोविन्द मेनन : सप्लाई के मामले में कोई देर नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री सुबोध हंसदा : बहुलता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों के लिये समाहार किये गये खाद्यान्नों के समाहार मूल्य तथा उनके वितरण मूल्य में क्या सरकार कोई उचित अनुपात रखती है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार यह मूल्य कैसे निर्धारित करती है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह मूल्य परिवहन आदि के खर्च को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। इस लिये ये कुछ अधिक होंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि परिवहन की कठिनाइयों के कारण बहुलता वाले राज्यों से समाहार किया हुआ खाद्यान्न कमी वाले राज्यों को नहीं पहुंचता है और इसके कारण कठिनाइयों का अनुभव किया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा विचार है कि समाहार किये गये अनाज को कमी वाले राज्यों को आवश्यकता पैदा होने से बहुत भेज दिया जाय ?

श्री गोविन्द मेनन : संकट काल के दौरान खाद्यान्नों को इधर से उधर ले जाने के मामले में भारतीय रेलों ने पूर्ण सहयोग दिया है और कभी भी आवंटित खाद्यान्न न पहुंचने के कारण कोई कठिनाई नहीं हुई है।

श्री भागवत झा आजाद : केरल तथा पश्चिम बंगाल के मामले में खाद्य मंत्री ने इस सभा को बताया था कि जितनी मांग है, उतना आवंटन किया जा चुका है। फिर खाद्यान्न को लाया-ले जाया भी जा रहा था। फिर भी उन राज्यों में ये घटनाएं हुई। हम जानना चाहते हैं कि आवंटन तथा सप्लाई के समय में वास्तव में कितने अन्तर है और क्या केरल तथा पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये लदान ठीक समय पर किया जा रहा है ? इसमें क्या कठिनाई है ? लाने तथा ले जाने की कठिनाई कहा अनुभव की जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : इस वर्ष जनवरी के आरम्भ में केरल के बारे में कुछ कठिनाई थी। यह कठिनाई लाने तथा ले जाने के कारण नहीं थी, बल्कि यह सप्लाई की कमी के कारण थी। सप्लाई की स्थिति ऐसी थी कि चावल के राशन की मात्रा में कमी करनी पड़ी। इस लिये लाने-ले जाने की कठिनाई के कारण ऐसी स्थिती नहीं थी।

श्री काशीराम गुप्त : सरकार की यह नीति है कि एक लाख से अधिक जन संख्या वाले सब नगरों में राशन व्यवस्था लागू की जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे राशन वाले क्षेत्रों का एक अलग क्षेत्र बनाने, इन के लिये खाद्यान्नों की वसूली करने तथा बहुलता वाले और कमी वाले राज्यों की वर्तमान क्षेत्रीय पद्धती को समाप्त करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : यह मामला एक समिति के विचाराधीन है। इसका कई बार इस सभा में उल्लेख किया गया है।

श्री काशीराम गुप्त : क्या समिति को इस बात पर विचार करने के लिये कहा गया है ?

Shri M. L. Dwivedi : It appears from the statement given by the hon. Minister that the difficulty in the movement of foodgrains is the result of unnatural and impracticable formation of food zones of states. The representatives of All India Congress Committee and the members of the Parliament have recommended very strongly that these zones should be abolished, but these zones are being maintained as a result of the Chief Ministers' decision. I want to know whether the country is being ruled by this Parliament or it is being ruled by the Chief Ministers?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : राज्यों का शासन चलाने के लिये मुख्य मंत्री भी जिम्मेदार हैं। उनका भी अपना निर्धारित क्षेत्राधिकार है और जहां तक प्रशासन का संबंध है, वे भी कुछ सीमा तक प्रशासन चलाने के जिम्मेदार हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चावल का क्रय मूल्य बहुतायत वाले राज्यों में कमी वाले राज्यों की अपेक्षा कम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसानों से चावल तथा धान खरीदने के लिये बहुतायत वाले तथा कमी वाले राज्यों में समान क्रय मूल्य निर्धारित किया जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार से समान मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि चावल बहुतायत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में भेजना पड़ता है और इसी लिये लाने-ले जाने पर होने वाले व्यय तथा अन्य व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा प्रश्न ठीक नहीं समझा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को दिया जाने वाला मूल्य समान होगा। परिवहन के खर्च आदि का प्रश्न तो भिन्न है। मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हू कि क्या वसूली का मूल्य समान होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : बहुलता वाले क्षेत्र से हम जो कुछ खरीदते हैं, उसे अन्ततः कमी वाले क्षेत्र में बेचना होता है। मान लीजिये कि बहुलता वाले राज्य में एक विशेष क्रय मूल्य है तो उसे कमी वाले क्षेत्र में भी एक विशेष मूल्य पर ही बेचना होगा। जहां तक उपभोक्ता राज्य में खरीद का संबंध है वहा इस संबंध में बाजार भाव तथा अन्य बातों पर भी विचार करना होगा। स्वाभाविक है कि वहां कि आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया जायेगा।

श्री क० ना० तिवारी : समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश समेत बहुत से राज्यों ने क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त करने का विरोध किया है। परन्तु आज के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि यदि क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त किया जाये अथवा पंजाब को मिला कर एक अधिक विस्तृत क्षेत्र बनाया जाये तो खाद्यान्नों के तथा विशेषकर गेंहू के मूल्य गिर जायेंगे। क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता है कि राज्य क्षेत्रों को समाप्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यदि इन्हें समाप्त किया गया तो मूल्य गिर जायेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस मामले पर मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार किया गया था गेहूं उपजाने वाले तथा गेहूं का उपभोग करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। उन सब बातों पर विचार किया जायेगा। मुझे आशा है कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि वसूली, खरीद तथा वितरण संबंधी समूची मूल योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि जहां आवश्यक हो, विभिन्न राज्यों में खाद्य निगम कार्य करने लगें और यदि हां, तो इस योजना की सफलता इस कारण से कहां तक रुकी हुई है कि बहुत सी राज्य सरकारें अपने राज्यों में इस निगम की कार्यवाइयों में बाधा डाल रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह सच नहीं है कि राज्य सरकारें खाद्य निगम की कार्यवाही में बाधा डाल रही है। इस मामले पर भी चर्चा की गई थी। वास्तव में प्रत्येक मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गया है कि वह अपने राज्य में खाद्य निगम की कार्यवाहियों में पूर्ण सहयोग देगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राज्य प्रतिबन्धों के कारण उत्पादकों को प्रतियोगात्मक मूल्य प्राप्त नहीं होते और क्या यह बात उत्पादकों के हितों के विरुद्ध नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह सब तर्क क्षेत्रीय प्रणाली की समाप्त करने के लिये हैं। यह मामले समिति के विचाराधीन हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बहुलता वाले राज्यों से खाद्य निगम के माध्यम द्वारा खाद्यान्न कमी वाले राज्यों को उपलब्ध किया जाना चाहिये और यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वे इसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, हम ऐसा ही करना चाहते हैं। हम खाद्य निगम का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहते हैं और इस तरह से सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यापार को बन्द करना चाहते हैं।

श्री बडे : क्या यह सच है कि उन राज्यों ने जो क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने के विरुद्ध हैं, इसके द्वारा कमी वाले राज्यों से दुगना मुनाफा कमाया है और इसी कारण वे क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह मुनाफा कमाने की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी राज्य ने अनुचित लाभ कमाया है, परन्तु यह प्रश्न तो राज्यों की जनता के हितों की रक्षा करने का है। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समूचे तौर पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाय और इसी आधार पर निणय किये जायेंगे।

Purchase of New Aeroplanes

*1072. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Solanki :
Shri P. K. Deo :
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state:

(a) the number of new aeroplanes being purchased in 1966 to increase the number of air flights by the Indian Airlines Corporation and Air India and the names of the countries from where those are being purchased; and

(b) the reasons why no efforts are being made to manufacture modern aeroplanes in India to meet the needs of country's civil aviation?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० नाचा) : (क) और (ख) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6025/66।]**

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether the acquisition of three aircrafts for I.A.C. and two aircrafts for Air India for this year would solve the problems relating to aviation in the country. If not, what arrangements would be made to acquire more aircarfts?

श्री चे० मु० पुनाचा : ये विमान आ जाने से स्थिति में कुछ सुधार तो हो जायगा परन्तु सारे देश में हवाई सेवाओं की मांग बहुत अधिक है, अतः विमानों की संख्या इतनी सीमित है और साथ ही दुर्घटनाओं में एक-दो विमानों का नुकसान हो जाने के कारण स्थिति अब भी कठिन बनी हुई है ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know with whose collaboration these Dart type of engines are being manufactured in H.A.L. and how long will it take to complete it as also what would be the cost of their production?

श्री चे० मु० पुनाचा : ये एक ब्रिटिश फर्म 'एवरोज़' के सहयोग से बंगलौर और कानपुर में बनाये जा रहे हैं। यह इन्जन 'रौल्स राइस' के प्रकार का है। एवरो–748 का मूल्य इस समय 45 से 50 लाख रुपये के लगभग बताया जाता हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि यह योजना और क्रयादेश काफी पहले के हैं इसलिये क्या राजधानी इल्यूशिव की हाल की नुमाइश और अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षमता को भी ध्यानाधीन रखा गया है और क्या अधिक सुविधा और सेवा के कारण इनका आयात किया जायेगा? यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है?

श्री चे० मु० पुनाचा : इनका परीक्षण किया गया था और कुछ परीक्षण उड़ाने भी की गई थी और हमारे विशेषज्ञों ने मामले पर अधिक विस्तार के साथ विचार किया था। बाद में पता चला कि यह विमान हमारी कम भारवाहन क्षमता की परिस्थितियों और कुछ सामान्य आवश्यकताओं आदि की दृष्टि से ठीक नही है। फिर भी मामला अभी भी विचाराधीन है। हमने इस विमान में कुछ सुधार करने के लिये भी कहा है और उत्तर आने पर इस मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये सरकार का तीन प्रकार के विमान खरीदने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में पहले ही पांच प्रकार के विमान इस के लिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतने विभिन्न प्रकार के विमान खरीदने का मूल आधार क्या है?

श्री चे० मु० पुनाचा : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बनने के समय विद्यमान विभिन्न गैर-सरकारी सेवाओं के एकीकरण के कारण ऐसा हुआ है। इसलिये हमें कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और वे कायम है, परन्तु धीरे धीरे हम सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात् कुछ लम्बी यात्राओं और मध्यम सघनता वाली यात्रा आदि के लिये आधुनिकतम विमान चलाये गये हैं। इस प्रकार हम अभी ऐसा ढांचा सुधारने का ही काम कर रहे हैं जो इंडियन एयर लाइंस कापोरेशन के लिये सर्वाधिक अनुकूल ढांचा हो।

श्री स० चं० सामन्त : हाल ही में जिस 'कैरविल' विमान को क्षति हुई थी क्या उसकी मुरम्मत देश में ही हो रही है और क्या इसका पुनः प्रयोग 1966 में होने की आशा है और क्या फालतू पुर्जे उपलब्ध हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : हाल ही में पालम पर जिस कैराविल को क्षति पहुंची थी वह मुरम्मत योग्य नही है वह तो बिलकुल नष्ट हो चुका हैं।

Shri Ram Harakh Yadav : From the statement we find that 12 aircrafts would be imported. May I know whether the I.A.C. propose to import some fast planes so that long-distance travel might be possible?

श्री चे० मु० पुनाचा : ये बातें निरन्तर विचाराधीन है और जभी किसी विशिष्ट विमान को ठीक समझा गया और वह उपलब्ध हुआ तो ऐसे कुछ विमान आवश्यक ही खरीदे जायेंगे ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या डकोटा विमानों के स्थान पर फोक्कर फ्रेंडशिप विमान रखने का विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न तो उपलब्धि का है। डकोटा विमानों के स्थान पर 11 फोक्कर फ्रैंडशिप विमान पहले ही चल रहे हैं और अब शेष सभी डकोटा विमानों का स्थान फोक्कर फ्रैंडशिप अथवा एवरो–748 विमान ले लेंगे।

श्री शिंकरे : कुछ समय पूर्व समाचार छपा था कि इंडियन एयर लाइन्स को फालतू पूर्जों के अभाव में बन्द करना पड़ेगा। इसके पश्चात फिर यह समाचार था कि दूसरा विमान आने तक एक विमान की मुरम्मत रोक देनी पड़ती है और नये विमान से कुछ फालतू पुर्जे निकाल कर इस में लगाये जाते हैं। सरकार फालतू पुर्जों का अभाव समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने के बारे में सोच रही है? क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय से इस मद को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिये आग्रह किया है?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा ही किया जा रहा है, परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण अधिक मात्रा में फालतू पुर्जे हम नहीं मंगा पा रहे हैं, परन्तु कुछ अत्यावश्यक पुर्जे सदा ही हमारे भण्डार में रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुर्जे खराब हो जाते हैं, जो हमारे यहां नहीं होते और हमें थोडे समय के लिये कुछ कठिनाई हो जाती है।

श्री रा० स० पाण्डेय : देश के अन्दर तथा बाहर और अधिक विमान सेवायें चलाने के लिये चौथी योजना में क्या उपबन्ध है?

श्री चे० मु० पुनाचा : पहले भी कई बार चौथी योजना में इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के विस्तार कार्यक्र सभा के समक्ष रखा जा चुका है और मैं पुनः विवरण दे सकता हूं।

श्री कपूर सिंह : विमान बाहर से मंगाये जाते हैं तो साथ ही दक्ष कर्मचारी भी वहां से मंगाने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता ताकि वे समय पर यह सेवायें चला सकें?

श्री चे० मु० पुनाचा : नीति यह नहीं है। हमें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इस मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिये। कुशल कर्मचारियों के लिये विदेशों पर निर्भर करने का कोई लाभ नहीं है।

श्री रंगा : विमान इतने विलम्ब से क्यों चल र हैं?

श्री कपूर सिंह : कभी कभी विमान चलते ही नहीं। कल मैं नागपुर गया। मुझे लखनऊ में उतार दिया गया क्योंकि वहां से विमान नहीं मिलता था **(अन्तर्बाधा)**

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कभी कभी मौसम और दूसरी परिस्थितियां भी बाधक हो जाती हैं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में एवरो–748 विमान तैयार होने की अनुमानित तिथि अस्पष्ट सी 1966 बताई गई है। अब तक इसके निर्माण की बहुत ही धीमी गति को देखते हुय क्या सरकार और 'आई-ए-सी' इस लक्ष्य पर पक्के पैर पर विश्वास करते हैं अथवा वे इस में विलम्ब होने पर कोई और उपाय कर रहे हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : हिन्दुस्तान एयरक्राफ्टस लिमिटेड से 1966 में पांच, 1967 में 6 और 1968 में 4 विमान प्राप्त होने की आशा है। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। हम इनसे पता लगायेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का आधार पक्का है।

श्री दी० चं० शर्मा : 12 पैचवर्क क्विलट में से 5 पैच भारत से और 7 विदेशसे आते हैं। मैं जानना चाहता हुं कि हाल के भारत-पाक संघर्ष को देखते हुए क्या हमें इन विमानों को देश के अन्दर ही और अधिक तेजी से तैयार नही करना चाहिये क्योंकि हमें बताया गया है इनके निर्माण की संख्या प्रति वर्ष घटती जा रही है। हमें इसको बढाना चाहिये।

श्री चे० मु० पुनाचा : यही देख कर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में असैनिक आवश्यकताओं के लिये भी विमान तैयार होने आरम्भ हो गये हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : परन्तु निर्माण कम क्यों होता जा रहा है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसके लिये हमें प्रतिरक्षा मंत्रालय से चर्चा करनी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य नीति

*1073. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन देश के अन्दर समाहार, कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था के उत्तरदायित्व, विवरण प्रणाली, तथा उस कार्यक्षेत्र, खाद्यान्न संभरण के सम्बन्ध में विदेशों द्वारा दिये गये वचनों तथा देश में प्रचलित मूल्यों के सब पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त जो राष्ट्रीय खाद्य निति बनी है उसका आधुनिकतम रूप तथा निश्चित स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : एक विवरण जिसमें खाद्य नीति की रूपरेखा दी गयी है सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वतमान खाद्य नीति देश में खाद्यान्न की कुल कमी के पूर्वानुमान पर आधारित है। सरकार का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आत्मनिर्भर होने का है। वर्तमान कमी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने, उपभोक्ताओं की कठिनाई को कम करने और ऐसी विवरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय तथा रचनात्मक कार्य किया है, ताकि विभिन्न राज्यों को यथासंभव समान त्याग करना पड़े। इस नीति की दिशा में पहले कदम के तौर पर सरकार ने बड़ी और व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई है। इस वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये सरकार यथासंभव अधिक से अधिक देशी उत्पादन के फालतू और बेचने वाले अनाज को लेने और विदेशों से आयात करके उस भण्डार को बढ़ाने का कार्य किया है। बहुलता वाले राज्यों में समाहार अधिक से अधिक करने और कमी वाले राज्यों को फालतू अनाज भेजने के लिये सरकार को समर्थ बनाने के लिये अन्तर्राज्य अनाज लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। सरकार की यह नीति है कि कानूनी राशन व्यवस्था लागू करने के द्वारा खरीद कर सकने की अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों को घेरने की है, ताकि वे शेष भाग से खाद्यान्न कम ले सकें। जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब देश में खाद्यान्न का निर्बाध लाना-ले जाना शुरू करना आसान हो जाएगा।

श्री श्रीनारायण दास : हाल में हुए मुख्य मंत्री तथा कृषि मंत्री सम्मेलन में उत्पादन के संबंध में एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाई गई थी परन्तु वितरण और मूल्य के संबंध में निश्चित नीति क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री गोविन्द मेनन : यह सम्मेलन उत्पादन संबंधी सुझावों पर विचार करने हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा बुलाया गया था।

श्री श्रीनारायण दास : चूंकि सभी सरकारी प्रयासों के होते हुए भी खाद्यान्नों के मूल्य बढते ही जा रहे हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य-वृद्धि को रोकने के अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि यह भी राष्ट्रीय खाद्य नीति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सरकार असफल रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : इस सम्मेलन के साथ ही गेहूं उगाने और उसका उपभोग करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया गया था जिस में खाद्य क्षेत्र बने रहने अथवा

न बने रहने पर विचार हुआ था। इस बारे में दो-तीन दिन के अन्दर अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा। इस प्रकार खाद्य समस्या के दूसरे पहलू भी विचाराधीन हैं।

श्री रंगा : अभी बताया गया है कि खाद्य क्षेत्रों के भविष्य के बारे में एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई है और मुख्य मंत्री सम्मेलन भी बुलाया गया है। यह बताया जाये कि सरकार इन दोनों कार्यवाहियों में कैसे समन्वय स्थापित करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : इस सभा की इच्छानुसार एक समिति नियुक्त की गई थी और उसे अन्तःकालीन रिपोर्ट देने को कहा गया था परन्तु उसने कहा कि मामले पर पूरा विचार किये बिना ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के पश्चात् गेहूं के बारे में निर्णय ले सकती है। इसलिये मुख्यमंत्री सम्मेलन में इस पर विचार किया गया था।

श्री रंगा : समिति तो आंख में धूल झोंकने के लिये है। मुख्य मंत्री ही अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय करते हैं।

Shri Achal Singh : When compulsory rationing or total rationing has failed in Kerala and West Bengal, is the Minister prepared to take responsibility of introduction of compulsory food rationing in other States?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार से कठिनाईयों के बावजूद केरल और पश्चिमी बंगाल राशनिंग के बल पर ही जीवित हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : खाद्य नीति में मूल्य न बढने, खपत और वितरण, इन तीन मूल बातों में सरकार को क्या सफलता मिली है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 1965 में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नगरों में खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा और मूल्य पर काबू पाने के बारे में काफी सफलता मिली है।

श्रीमती सावित्री निगम : इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of the Chief Ministers who were in favour of abolition of food zones?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक गुप्त सम्मेलन था और कोई निर्णय लेने से पूर्व मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मानसिंह प्रि० पटेल : क्या यह सच है कि कुछ मुख्य मंत्रियों ने, जिन्होंने पहले ये क्षेत्र समाप्त करने के पक्ष में मत दिया था, बाद में अपने विचार बदल दिये हैं ? यदि हां तो इसका क्या कारण है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में कुछ मुख्य मंत्री दुविधा में थे। उन्होंने कोई निश्चित राय नहीं दी है। हमें निर्णय लेने से पूर्व इन सभी बातों पर विचार करना होगा।

Shri Yashpal Singh : Whether Government have taken into consideration the fact that while 2,800 crore rupees are being spent on import of foodgrains our own farmers are not provided with an assistance of 100 crores even? Had even one-eighth part of that amount been given to farmers, the problem would have been solved.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम किसानों को भी देते है।

अध्यक्ष महोदय : अब जब कि माननीय सदस्य ने यह बात सरकार को सुझाई है तो वह इस पर विचार करेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : राष्ट्रीय खाद्य नीति निर्धारित करने में अेक कठिनाई यह है कि कुछ राज्यों का सहयोग नहीं है। क्या हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ सहमति व्यक्त की है अथवा क्या वे असहमत हैं, और यदि हां तो किन बातों पर असहमत हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं नहीं मानता कि राज्यों ने सहयोग नहीं दिया है क्योंकि कमी के समय उनकी अपनी कठिनाइयां होती है। उनपर भी विचार करना होता है। मैं सभा को बता सकता हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट और पूरा सहयोग दिया है।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण से पता चलता है कि सरकार उन क्षेत्रों को अलग निर्धारित करेगी जहां पर लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, ताकि शेष भागों में अनाज का निर्बाध लाना-ले-जाना हो सके। यह ठीक है परन्तु क्या राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : कुछ ही दिन हुए महाराष्ट्र के बहुत से क्षेत्रों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू की गई है। मैं मानता हूं कि यह काम उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से हम करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा है, राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं और वे ऐसी तात्कालिक राशन व्यवस्था जारी के लिये स्टाक आदि के बारे में हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय मंत्री की सराहना करता हूं कि वह स्वयं सारे दोष की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं और राज्यों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कमी वाले राज्यों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर मांग करने को रोकने तथा बाहुल्य वाले राज्यों जैसे राजस्थान और पंजाब द्वारा स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ? इस स्थिति में अपना कार्यक्रम सफल कराने के लिये क्या कार्य किया जा रहा है ?

श्री चि सुब्रह्मण्यम् : दुर्भाग्य की बात है कि यह स्थिति समूचे देश में कमी होने के कारण है। केवल राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता भी अपनी आवश्यकताओं से कुछ अधिक जमा करके रखना चाहते हैं। यह बात उत्पादकों और व्यापारियों की है। यही सब से बड़ा कठिनाई है। परन्तु राज्य सरकारों ने समझ लिया है कि उन्हें कठिनाइयों को मिलकर सहन करना है। जहां तक सम्भव है हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : इस वक्तव्य में बहुत दावे किये गये हैं। जैसे यह कहा गया है कि सरकार ने प्रथम कार्यवाही के रूप में जनता में वितरण के काम को अपने हाथ में लिया है। यह भी कहा गया है कि एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन व्यवस्था लागू की जायेगी। ऐसे कितने नगरों में राशन व्यवस्था लागू की गई है और नगरीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत आता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैंने पहले राशनिंग वाले नगरों के नाम बता दिये हैं। इस के बारे में हम ने चरणवार कार्यक्रम बनाया था। हम पहले 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों में, फिर 3 लाख जनसंख्या वाले नगरों में और उसके पश्चात एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन व्यवस्था लागू करना चाहते थे। यह काम उतनी शीघ्रता से नहीं हुआ है जिससे हम करना चाहते थे। इसके मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं। कानूनी राशन व्यवस्था के अतिरिक्त उचित मूल्यों वाली 1,20,000 दुकानें भी हैं। इनके द्वारा हम गेहूं, चावल तथा अन्य वस्तुएं नियन्त्रित मूल्य पर और परिवारों के कार्डों के आधार पर बेचते हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : Under the present policy of Government food grains are distributed in such a way that the produce of a certain place is sent to other place and the produce of other place is brought to that place. For example, the Jawar of Maharashtra is sent to other places and maize from other places is brought to Maharashtra. I want to know why the produce of a certain place is not allowed to be distributed there?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां भी वसूली की जाती है वहां उत्पादक के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज रहने दिया जाता है। जहां पर वसूली नहीं की जाती, वहां उत्पादक को ही विक्रय करना होता है।

श्री हेम बरुआ : क्या अमरीका सरकार ने हमारे देश को अनाज देते समय यह शंका प्रकट की है कि हम अपने अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्नों में सफल नहीं होंगे ; यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने अमरीका सरकार को आश्वासन दिया है कि हम कुछ समय में उत्पादन में वृद्धि कर लेंगे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह आश्वासन दूसरे देश को नहीं दिया गया, यह तो अपने लिये है कि हम उत्पादन को बढ़ायेंगे और आत्मनिर्भर होंगे।

Shri D. S. Patil : I want to know whether it is a fact that the Planning Commission has suggested preparation of a national food budget and taking of decision about the deficit and surplus states; if so, what action has been taken on this suggestion, and whether any steps have been taken to prepare a national food budget?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। योजना आयोग इस में नहीं आता है। मंत्रालय का खाद्य विभाग यह कार्य करता है और हमारी योजना है।

Air Services

***1074. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for operating at least bi-weekly air service from the headquarters of each State to all its districts; and

(b) if so, the main features thereof?

परिवहन, तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether it is a fact that the population of Bihar is 5 crores and five districts of north Bihar *viz.* Champaran, Saran, Muzafferpore, Darbhanga and Monghyer are not connected by air service with Patna while we have this service in other areas with a population less than one crore?

श्री चे० मु० पुनाचा : विभिन्न क्षेत्रों और ज़िलों के मुख्यालयों के साथ राज्यों की राजधानियों से विमान सेवाएं औद्योगिक नगरों, इस्पात नगरों तथा पर्यटन उद्योग को ध्यान में रखकर चालू की जाती हैं। इन बातों को देखकर सर्वेक्षण किया जाता है। इस बारे में बिहार में चार सेवाएं हैं। हो सकता है वे नगर ज़िला मुख्यालय न हों परन्तु वे नगर औद्योगिक, इस्पात या पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। हम सदैव प्रयत्न करते हैं कि महत्वपूर्ण स्थानों पर विमान सेवाएं उपलब्ध की जायें। हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि सभी ज़िला मुख्यालयों को सम्बंधित राज्यों की राजधानियों से मिलानेवाली विमान सेवाएं चालू करने का कार्यक्रम बनाएं।

Shri Bibhuti Mishra : I wanted to know as to why five districts of North Bihar, whose population is more than five crores have not been connected with Patna by air?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह यातायात पर निर्भर करता है। मुझे बताया गया है कि पहले उत्तरी बिहार में विमानों का सेवा चलाने की योजना थी परन्तु उस में घाटा पाया गया। विमान कारपोरेशन को वाणिज्यिक दृष्टि से देखना होता है।

यदि इस में लाभ है तो यह विमान सेवा अवश्य चालू की जायेगी। यदि घाटा हो रहा हो तो राज्य सरकारों को राजसहायता उपलब्ध करनी होती है। यदि राज्य सरकार घाटा पूरा करने को तैयार है तो हमें विमान सेवा चालू करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : It is the duty of the Government to develop various areas of the country. During the last 15 years many areas like Delhi, Bombay and Calcutta have been developed. The North Bihar has been neglected. It is not our fault. Is it not the duty of the Government to provide air service to the people of North Bihar?

श्री संजीव रेड्डी : ठीक यही कार्य हम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना कारपोरेशन का काम नहीं है। इसे प्रत्येक मार्ग पर लाभ का ध्यान रखना होता है। बिहार राज्य की सरकार को कारपोरेशन को होने वाली हानि को पूरा करना होगा।

Shri Sheo Narain : Gorakhpur is the biggest city of Eastern U.P. and is a big railway centre. I want to know why this city has not been connected by air?

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रश्न बिहार के बारे में है। इस बारे में सिद्धान्त यह है कि क्या इस मार्ग पर हानि तो नहीं होगी? यह सामान्य नीति है। यदि इस में लाभ है तो हम तुरन्त इसे कार्यान्वित करते हैं परन्तु यदि राज्य सरकार हानि को पूरा करने को तैयार हो तो गोरखपुर हो या उत्तरी बिहार हो कहीं भी हम विमान सेवा चलाने को तैयार हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने बहुत असामान्य वक्तव्य दिया है कि यह काम वाणिज्यिक आधार पर होता है और नहीं तो राज्य सरकारों को हानि पूरी करनी होगी। यह बात यहां पर पहले कही गई बात के प्रतिकूल है। कारपोरेशन ने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ताकि हानि पूरी की जा सके और उस में से 20 लाख रुपये भी मार्गों के विकास के लिये व्यय नहीं किये गये हैं। कारपोरेशन को एक अधिकार प्राप्त है। इसलिये इसका यह कर्त्तव्य है कि देश का विकास करे। क्या सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है।

श्री संजीव रेड्डी : नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं मेरा राज्य भी विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा विमान सेवा के लिये प्रतिकर दे रहा है। यही नीति है परन्तु यदि राज्य इसके लिये तैयार है तो सेवा चालू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकारें दे रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : नीति में परिवर्तन कर दिया गया है।

Shri Maurya : The number of followers of Lord Buddha is about 90 crores. Thousands of persons go on pilgrimage. Is there any proposal to connect Delhi with Gaya, Lumbini and Kushinari by air service so that foreign exchange may be earned and the travel by foreigners facilitated?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस विषय पर विचार हो रहा है। जब विमानों के बारे में स्थिति में सुधार हो जायेगा तो इन स्थानों के लिये विमान सेवा चालू की जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कारपोरेशन के अधिनियम में यह नहीं दिया गया है कि इसे केवल वाणिज्यिक आधार पर ही कार्य नहीं करना चाहिये बल्कि इसे देश की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखना चाहिये और सारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये योजना बनानी चाहिये।

श्री संजीव रेड्डी : सामान्य नीति यह है कि यह एक वाणिज्यिक संगठन है। फिर भी जहां पर्यटकों का आना जाना हो, हम हानि होने पर भी सेवा जारी रखते हैं।

Shri Shasi Ranjan : An airport was constructed in Northern Bihar after acquiring hundreds of acres of cultivable land but that airport has not been put to use for many years. How can we say that State Government is not cooperating? I want to know whether that airport would be used?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसी हवाई अड्डे का उल्लेख श्री विभूति मिश्र ने किया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि कारपोरेशन ने वहा सेवाएं चालू की थी परन्तु उनमें हानि हुई अतः उन्हे चालू नहीं रखा गया। वहां पर पर्याप्त यातायात नहीं था। फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम छोटी दूरी वाले स्थानों के लिये छोटे विमान 26 यात्रियों वाले जैट विमान मंगा रहे हैं, तब हम इस पर विचार करेंगे। इस समय हमारे लिये सम्भव नहीं है। इससे कारपोरेशन को बहुत हानि होगी। हम छोटे जैट विमान भी लेने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे विमान मिलने पर हम छोटे मार्गों पर सेवाएं चला सकेंगे, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री रंगा : दोनों मंत्री इस मंत्रालय में नये हैं। हमने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में इस पहलू का अध्ययन किया था। और श्री माथुर ने ठीक कहा है कि इस काम के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरी बिहार के सामरिक महत्व को भी ध्यान में रखा गया है? वहां पर हमारी सीमा नेपाल और चीन से मिलती है। इस बारे में क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय से भी सलाह की गई है। वहां दो या तीन स्थानों का विकास किया जाना चाहिये ताकि वहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके।

श्री संजीव रेड्डी : इन सुझावों पर हम विचार करेंगे।

कृषि का विकास

+

*1075. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प० ह० भील :**
श्री कपूर सिंह : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1966 के "स्टट्समन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि खाद्य मन्त्री तथा योजना आयोग के बीच कृषि विकास के मामले में तीव्र मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रकार के मतभेदों से देश में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है; और

(ग) इन मतभेदों को सुलझाने तथा एक समन्वित दृष्टिकोण खोज निकालने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं, तो वे क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नैशनल टोनेज क्लब आफ फार्मरस द्वारा संगठित सैमीनार की कार्यवाहियों पर प्रेस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) तथा (ग) : खाद्य मन्त्री तथा योजना आयोग के बीच कोई मूल मतभेद नहीं है। प्रेस रिपोर्ट में दिया गया तर्कित विषय अतिव्याप्त सामान्यानुमान है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश पर प्रभाव डालने वाले इस महत्वपूर्ण प्रश्न से कृषि मंत्रालय का सीधा सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग ने कृषि मंत्रालय को क्या परामर्श दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सामान्यतया योजना आयोग का सम्बन्ध सामान्य योजना बनाने से है। उनकी क्रियान्विति तथा ब्यौरों के लिए निश्चय ही कृषि मंत्रालय उत्तरदायी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना आयोग में विशेषज्ञ भरे पड़े हैं और कोई भी दो विशेषज्ञ किसी विषय पर सहमत नहीं होते, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय के बीच ऐसी बात तय हुई है कि मतभेद होने पर किसी भी मामले में सार्वजनिक रूप से विचार प्रकट नहीं किये जायेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए उनका आभारी हूं। मैं यह सुझाव योजना आयोग के सदस्यों को भेज दूंगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय उपमंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि योजना मंत्री तथा कृषि मंत्री के बीच कोई मूल मतभेद नहीं है। यह निर्धारित करना हमारा काम है कि क्या वे मतभेद मूल हैं या नहीं। मैं कृषि मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यदि योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय में कोई मतभेद है, तो वह कितना गम्भीर है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे किसी ऐसे मतभेद की जानकारी नहीं है जो सभा के समक्ष रखा जा सके।

श्री हेम बरूआ : समाचारपत्रों में लिखा है कि मतभेद बहुत बड़े हैं। सम्भव है कि कुछ बुनियादी मतभेद न हों, परन्तु ऐसे गैर-बुनियादी मतभेद हों जो बहुत गम्भीर हों।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है कि मूल नीति के बारे में कोई मतभेद नहीं है, परन्तु क्या यह सच नहीं है कि जहां तक सिंचाई के लिए ऋण सुविधाएं उदार बनाने और उर्वरक तथा सिंचाई को महत्व देने का सम्बन्ध है, योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय में मतभेद है ? यदि हां, तो मंत्री महोदय के अधीन यह मंत्रालय होने के कारण हम उनका समर्थन करते हैं। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि योजना आयोग किस बात को अधिक महत्व देता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रसन्नता की बात है कि ऋण के मामले में मुझे योजना आयोग का समर्थन प्राप्त है, परन्तु रिजर्व बैंक के कार्य के सम्बन्ध में समूची वित्तीय उपलब्धि तथा अन्य बातों के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रंगा : माननीय मंत्री को अन्तिम निर्णय करना होगा। वह इस मामले को योजना आयोग पर नहीं छोड़ सकते।

Shri Daljit Singh : Tractors are essential for the advancement of agriculture. Many schemes have been prepared for the manufacture of tractors but they have not been implemented. There is only one brand of tractors which comes from U.S.S.R. and liked by agriculturists but even that is not available. Tractors made in India by a factory are costly and available for rupees 22 or 23 thousand of rupees. I would like to know the schemes for manufacture of tractors and how far are those schemes being implemented.

Shri Shyam Dhar Mishra : We need twenty thousand tractors per year and we hope that nearly 11,000 tractors will be manufactured in the country. We are trying for that. Those tractors will be manufactured by four or five companies and not by a single company. Price of tractors manufactured in India ranges between rupees 13,000 and 24,000. It is a fact that tractors manufactured in India are costlier than the imported tractors. It is due to the fact that production here is not on a mass scale. We think that we will begin to manufacture thirty to forty thousand tractors per year during the fourth five year Plan. We are also trying to import as many tractors as possible. We will try to import two to fourty thousand small powered and high powered tractors this year, subject to availability of foreign exchange. Our need is more and there is definitely shortage of tractors. Government are keeping this thing in view.

जल संसाधन

+

*1077. **श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मार्च, 1966 के "आसाम ट्रिब्यून" में "भारत के जल संसाधनों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारत के जल संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये देहाती क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है । यह कार्य चालू है और चौथी योजना में भी इस कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री रा० बरुआ : क्या भारत में विभिन्न स्थानों पर सूखे की स्थिति भिन्न भिन्न है और कई स्थानों में स्थायी तथा अन्य स्थानों में समय समय पर सूखा पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस अन्तर का पता लगाया है ? भिन्न भिन्न स्थानों पर सूखे की स्थिति किस प्रकार है ।

श्री श्यामधर मिश्र : यह ठीक है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और स्थिति में अन्तर है । कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां सूखे की स्थिति स्थायी है और वे कमी वाले क्षेत्र हैं । कुछ क्षेत्र मरुस्थल और अर्ध-शुष्क हैं परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य वर्षों में जल पर्याप्त होता है परन्तु पिछले वर्ष, दुर्भाग्य से बहुत कम वर्षा हुई । उन क्षेत्रों के आंकड़े भी उपलब्ध हैं ।

श्री रा० बरुआ : समय समय पर सूखे की स्थिति वाले क्षेत्रों के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या विद्युत उपकरणों की सहायता से निकटवर्ती नदियों से जल प्राप्त करने के कोई तरीके निकाले गये हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि छः या सात राज्यों में स्थायी सूखे अथवा कमी वाले उन क्षेत्रों में भी हमने पिछली तीन योजनाओं के दौरान 15 वर्षों में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की हैं। इसके अतिरिक्त, हम भूमि की स्थिति का पता लगाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। दो महीने पूर्व दुर्भिक्ष सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना के लिए एक संकल्प यहां रखा गया था। उस पर चर्चा की गई थी और हमने वचन दिया था कि हम कमी वाले क्षेत्रों के बारे में राज्य सरकारों से अग्रिम योजनायें प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हमने उन छः या सात राज्यों को अग्रिम योजनाएं बनाने तथा उन्हें हमारे पास भेजने के लिए कहा है। जैसे ही वे योजनाएं हमें प्राप्त होंगी, हम उनकी जाँच करेंगे और अग्रिम योजनाएं बनायेंगे।

श्री रंगा : हमने विद्युत सम्भरण के बारे में पूछा है।

श्री लीलाधर कटकी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि उपज के लिए जल की मूल आवश्यकता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने देश में जल संसाधनों की उपलब्धि का पता लगाने तथा कृषि उपज के लिये उसका पर्याप्त और प्रभावी रूप से लाभ उठाने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। हमारे अनुमान के अनुसार देश में कुल भूमि के ऊपर जल लगभग 136 करोड एकड़ फुट है। इसमें से लगभग 45 करोड़ एकड़ फुट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है और हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक लगभग 20 करोड़ एकड़ फुट का प्रयोग किया जायेगा। इसके साथ ही, लगभग 4.5 करोड़ एकड़ फुट भूमिगत जल की सम्भावना है और चौथी योजना के अन्त तक 3.2 करोड़ एकड़ जल के प्रयोग की हमें आशा है।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है। क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में, विशेषतया आसाम में, जब तक सिंचाई की बहुत कम क्षमता स्थापित की गई है। क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है।

श्री श्यामधर मिश्र : यह ठीक है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ क्षेत्रों में सिंचाई तथा विद्युत के उपयोग की प्रतिशतता बहुत कम है। जैसा मैंने कहा है जल क्षमता बहुत अधिक है परन्तु हम उसका उपयोग नहीं कर पाये हैं। ऐसा धन की कमी के कारण हुआ है। हम यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या नदियों का क्षेत्रीय अथवा नदी बेसिन के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कौनसा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ताकि सभी संसाधनों से उपलब्ध जल का यथासम्भव लाभप्रद प्रयोग किया जा सके। अन्यथा इतने करोड़ घन फुट बहते हुए जल का हमें कोई लाभ नहीं होगा।

श्री श्यामधर मिश्र : योजना आयोग तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोगने नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी सहित सभी नदियों के कुछ क्षेत्र को छोड़कर शेष का सर्वेक्षण किया था। महाराष्ट्र में एक सिंचाई आयोग है। मध्य प्रदेश सरकार में भी हाल ही में एक सिंचाई आयोग स्थापित किया था। लगभग सभी राज्यों में बड़ी योजनाएं भी है और जल क्षमता के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

श्री रंगा : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से रायलसीमा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में, जहां केवल भूमिगत जल ही उपलब्ध है और उसे केवल विद्युत शक्ति द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है, विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से निश्चय ही कार्यवाही की जा रही है परन्तु जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था, क्षमता से मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम चौथी योजना के दौरान 7 लाख पम्प लगाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और इस वर्ष भी हम एक लाख से अधिक पम्पों के लिए बिजली देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कंडप्पन : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि रायलसीमा में लोग पूर्ण निराशा के कारण पेय जल का एक प्याला प्राप्त करने के लिए गाड़ियां रोक रहे हैं। ऐसे समाचार बहुत चिन्ताजनक हैं। मैं मंत्री महोदय से कम से कम यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह शुष्क क्षेत्रों में पीने के जल की तुरन्त व्यवस्था करने पर ध्यान देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र : मैंने ये समाचार आज प्रातः काल ही पढ़े हैं। मैं उनकी जांच करूंगा। वहां सूखे की स्थिति है। जहां तक हम इस मामले में सहायता कर सकते हैं, अवश्य करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न के बारे में
Re : Short Notice Question

श्री श्रीकान्तन नायर : कार्य के क्रम के बारे में नियम 235 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले अल्प-सूचना प्रश्न लिया जाये, श्री माथुर।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान्, यह सूचना 30 मार्च को दी गई थी। मैं नहीं जानता कि क्या आप 12 दिनों के बाद अल्प-सूचना प्रश्न लिए जाने को सन्तोषजनक समझते हैं और क्या यह उपबन्धों की पूर्ण अवहेलना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि विलम्ब हो गया है परन्तु इसके भी कारण हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह संसद के कार्य की दृष्टि से बहुत ही असन्तोषजनक बात है।

लन्दन में प्रकाशित आदरणीय माइकेल स्काट का पत्र

+

अ० सू० प्र० 17. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड की समस्या को विदेशी मध्यस्थता द्वारा हल करने के बारे में आदरणीय माइकेल स्काट के लन्दन में प्रकाशित पत्र की ओर गया है ;

(ख) इस भड़काने वाले रवैये का क्या प्रयोजन था ;

(ग) उनकी यह कार्यवाही शांति मिशन में उनकी स्थिति और उनके वीसा की शर्तों के कहां तक अनुरूप है ; और

(घ) सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसका उद्देश्य क्या है, यह हम नहीं जानते, क्योंकि हमने बहुत से मौकों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह एक घरेलू मामला है और सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण नहीं करने देगी।

(ग) और (घ) : एक पक्ष के विचारों को इस तरह प्रकाशित करने की कार्रवाई तो पक्षपातपूर्ण ही लगती है। सरकार इसे अच्छा नहीं समझती।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : काफी समय से पादरी माइकल स्काट अन्तर्राष्ट्रीयकरण के बारे में तथा बर्मा सरकार को पत्र लिखकर बहुत ही राष्ट्र-विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यवहार के बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया है, और भविष्य के बारे में क्या वचन दिया है। इसके बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उन्हें यहां रहने देने के क्या कारण हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैंने कल प्रश्न काल में इसके बारे में कुछ बताया था। यह बात पादरी माइकल स्काट के ध्यान में लाई गई थी और उन्हें बताया गया था कि सरकार इसे अच्छा नहीं समझती। उन्होंने कहा है कि शान्ति मिशन को निष्पक्ष रहना है और निष्पक्ष रहने का प्रयत्न करते हुए कई बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें दूसरा पक्ष अच्छा नहीं समझता, यदि इस से हम अप्रसन्न हैं, तो उसके लिए उन्हें खेद है। उन्होंने जो कुछ किया है, उसमें यह बिलकुल स्पष्ट है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि उस बारे में समाचार पत्रों को भी लिखा है और उस से पहल भी नागाओं का पक्ष लिया है। परन्तु यह विचार किया जाता है कि उनके शान्ति मिशन के साथ सम्बन्ध रहने से अधिक विश्वास उत्पन्न हो सकता है और इस का अर्थ यह होगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिशन से बाहर नहीं रख रहे जिसे कि नागे चाहते हैं। यदि वह इसी प्रकार व्यवहार करते रहेंगे ..... (**अन्तर्बाधा**)

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं मंत्री महोदय को ठीक समझ नहीं पाया हूं। क्या वह कृपा करके बतायेंगे कि उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है और भविष्य के लिये क्या आश्वासन दिया है और क्या सरकार उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी समझती है?

श्री दिनेश सिंह : मैंने यह बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि इस मामले में पादरी माइकल स्काट पक्षपाती रहे है। हमने पहले ही यह बात उनको स्पष्ट कर दी है कि हम उनकी ये बातें पसन्द नहीं करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि उन्होंने खेद प्रकट किया है।

श्री माईकल स्काट को शान्ति मिशन में रखने का उद्देश्य है और उन्हें सदस्य बनाने के लिए प्रार्थना की गई थी। परन्तु यदि उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा तो वह कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री स्काट ने बर्मा सरकार को भी पत्र लिखा है कि नागाओं को पूर्वी पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाये। इस बात का उत्तर दिया जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भविष्य के लिये कोई वचन दिया है। इस बारे में कुछ भी नही कह गया है। मैंने पक्षपात के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे राष्ट्र विरोधी समझती है अथवा नहीं? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : निश्चय ही हमारा यह मत है कि श्री माईकल स्काट की इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कार्यवाही तथा यह सुझाव देना कि कोई विदेशी इस मामले से सम्बंध्द किया जाये, भारत के हितों के बिल्कुल विरुद्ध है और हमने अपने विचार उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिये हैं (**अंतर्बाधायें**)। उनका स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने ऐसा सद्भावना से किया है। हम उनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं करते। परन्तु मेरे विचार में वह स्वयं अनुभव करते हैं कि उनकी कार्यवाही उचित नहीं है और उन्होंने इस के लिए पहले ही खेद प्रकट कर दिया है (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री हिरश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार श्री माइकल स्काट को इसलिए यहां रहने की अनुमति दे रही है क्योंकि वह समझती है कि उन्हें विद्रोही नागाओं का विश्वास प्राप्त है? यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने विद्रोही नागाओं को—उनके प्रतिनिधि अथवा नेता यहां हैं—श्री माईकल स्काट के व्यवहार के बारे में बता दिया है? यदि हां, तो विरोधी नागाओं की इस के बारे में प्रतिक्रिया क्या है। यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री माइकल स्काट के बारे में हम जो भी रवैया अपनायें उसमें नागाओं को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इसके बारे में उनसे उल्लेख करने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी नागाओं से बातचीत चल रही है और यह कुछ दिन और चलेगी। इसलिये हम इस समस्त स्थिति पर तीन या चार दिन के पश्चात् विचार करेंगे। यदि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई तो मैं जानता हूं कि सभा की प्रतिक्रिया क्या होगी।

श्री रंगा : इसके बारे में आप सभा में वक्तव्य दें। **(अन्तर्बाधा)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमारा सरकार को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय को यह अवश्य जानना चाहिये कि सभा क्या चाहती है और सरकार को यह बात लोगों को स्पष्ट रूप से बतानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह केवल मध्यस्थ का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि माइकल स्काट ने बर्मा सरकार से नागाओं को पाकिस्तान न जाने देने के लिये विरोध प्रकट किया है। मंत्री महोदय को इस बात का उत्तर देना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा उनके द्वारा भारत के बाहर किसी भी प्राधिकार से सम्पर्क बनाने के प्रयत्न को हमने सदा बुरा माना है। उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बर्मा सरकार ने भी इसको पसंद नहीं किया है। इसलिये इसमें जोखिम का कोई बात नहीं है। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री रंगा : मंत्री महोदय को ये शब्द वापस लेने चाहिये कि इसमें जोखिम की कोई बात नहीं है। इस बात का हर कोई स्वागत करेगा कि बर्मा सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी परन्तु हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इसमें जोखिम की कोई बात नहीं है। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हेम बरुआ : मैंने पहले ही एक अल्प सूचना प्रश्न भेज रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ। श्री कछवाय।

श्री रंगा : मंत्री महोदय को ये शब्द वापस लेने चाहिये कि इस में जोखिम की कोई बात नहीं है।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है, और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम उत्तर पाने के लिये आपका संरक्षण ले सकते हैं। यदि प्रश्न सम्बंधित नहीं था तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या माइकल स्काट से इस बारे में पूछताछ की गई है कि उन्होंने बर्मा सरकार को लिखा है कि बर्मा सरकार का नागाओं को पाकिस्तान जाने से रोकना बुरी बात है। हमारा विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है। इसका विशिष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : माइकल स्काट द्वारा बर्मा सरकार को पत्र लिखे जाने पर मैंने प्रातः एक अल्प सूचना प्रश्न भेजा था। मैं चाहता हूं कि वह प्रश्न उठाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को अवसर दूंगा। क्या उत्तर मिल रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि मैंने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हमने श्री माइकल स्काट को स्पष्टरूप से बता दिया है कि उनका बर्मा समेत किसी भी विदेशी प्राधिकार को इस बारे में लिखना एक गलत कार्य है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। स्वतंत्र दल के माननीय नेता ने मेरे द्वारा प्रयोग किये गये जोखिम शब्द का उल्लेख किया है। मेरे कहने का अर्थ यह था कि बर्मा सरकार के स्पष्ट तथा मित्रतापूर्ण रवैये ने श्री माइकल द्वारा हानि पहुंचाने के प्रयत्नों को विफल कर दिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Michael Scott has written many such letters to foreign countries and so in this way he has acted against the interests of our country. I would like to know whether Government proposed to take severe action against him and what are the reasons that Government are hesitating to oust him from the country. He has lost confidence in the Peace Mission and all his actions are against peace. What difficulty is being faced the Government in ousting him from the country ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम वर्तमान वार्ता की समाप्ति के पश्चात ही उनको देश से बाहर निकालने के प्रश्न पर विचार करेंगे। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वार्ता में कितनी प्रगति होती है। मेरा विचार है कि मैंने इस मामले के सम्बन्ध में समस्त सन्देहों को दूर कर दिया है। मि० माइकल स्काट का व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question has not been answered.

Mr. Speaker : The Hon. Minister has stated that he would review the situation after the present talks are over. What more can he say ?

Dr. Ram Manohar Lohia : This is not the first time that Michael Scott has written to the Governments of Burma and England. He has apologized or expressed regret to Govt. of India only. If sometime later this issue takes an international importance then this oral apology and regret would be of no use. I would like to know as to why Government did not ask Mr. Michael Scott to apology or express his regret in writing ?

Shri Swaran Singh : This point has not yet been considered. Expression of regret and making a clear statement in this House is as good as a written apology—
(अन्तर्बाधायें)

Dr. Ram Manohar Lohia : When this issue would be raised in the U.N.O. all this would prove useless.

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि हमें उनके पिछले व्यवहार के बारे में उनके द्वारा खेद व्यक्त किये जाने से ही संतोष करना चाहिये। मैंने कहा है कि वर्तमान वार्ता के पश्चात हम समस्त स्थिति पर विचार करेंगे तथा उचित कदम उठायेंगे। मेरे विचार नहीं कि लिखित क्षमा या मौखिक क्षमा या यदि वह क्षमा याचना नहीं करते तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस मामले पर हमारी स्थिति बिगड़ जायेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia : He has tried to raise the question in the international field. This type of answers create much misunderstanding. Whenever this question takes a serious turn it would be known that Mr. Michael Scott has never apologized. Only his statement in the House has been interpreted by the External Affairs Minister as having expressed regret by him.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि मि० माइकल स्काट ने बर्मा सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को किस हैसियत से पत्र लिखा है। क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने इसके पत्र पर क्या कार्यवाही की है तथा उसको क्या महत्व दिया है ? इस तथ्य को देखते हुए कि मि० माइकल स्काट ने शान्ति मिशन के सदस्य के नाते अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके क्या इस मिशन का सदस्य बने रहने का अधिकार खो नहीं दिया है ? मुझे इसका स्पष्ट उत्तर चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग, अर्थात उनके पत्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य देश, जिसको भी उन्होंने पत्र लिखा है, की प्रतिक्रिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उन देशों पर उनके पत्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। सब जानते हैं कि यह भारत का एक आन्तरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य सरकारों को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं परन्तु उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस से पूर्व कि माननीय मंत्री अपना उत्तर पूरा करें स्पष्ट रूप से यह जानना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में जिस व्यक्ति ने माइकल स्काट की ओर से यह पत्र प्राप्त किया है उसका इस पत्र के बारे में क्या रवैया है और क्या सरकार को स्पष्ट उत्तर मिल गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पत्र को कोई महत्व नहीं दिया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब वे कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो दूसरों से पूछते हैं। यदि वे ऐसे पत्रों को केवल फाइल करते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं तो उनपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनके पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर कार्यवाही करने के अधिकार को हम मान्यता नहीं देते। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न कुछ लम्बा है। आशा है कि आप अनुमति देंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि मि० माइकल स्काट ने (1) छिपे हुए नागाओं द्वारा मनाये गये गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस समारोहों में उपस्थित हो कर तथा (2) उनकी ओर से परिपत्र बांट कर, जिन में भारत सरकार की आलोचना की गई है, तथा (3) छिपे हुए नागाओं की ओर से विदेशों से सम्पर्क स्थापित कर और (4) तुलसीदास को रामायण के बराबर बड़ा 'नागाओं पर भारतीय सुरक्षा दल द्वारा किये गये अत्याचारों' नामक प्रतिवेदन बनाकर तथा (5) फिजो को अपने पास रखकर खुलमखुला अपने आप को छिपे हुए नागाओं की महत्वाकांक्षाओं का समर्थक बना लिया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार कब तक उनको तथा व्यक्तिगतरूप से की गई उनकी गतिविधियों को—जैसा कि कल राज्य मंत्री ने कहा था, सहन करती रहेगी और एक विदेशी को हमारे अपने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति क्यों दी गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का वास्तविक प्रश्न यह है कि सरकार मि० माइकल स्काट को यहां क्यों रखे हुए है। मैंने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वर्तमान वार्ता की समाप्ति के पश्चात समस्त स्थिति पर विचार किया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग यह था कि एक विदेशी को अपने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति क्यों दी गई है। मंत्री महोदय ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सारी बात बता दी है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मि० माइकल स्काट ने ऊ थांट को पत्र लिख कर जिस प्रकार नागालैण्ड में हस्तक्षेप या मध्यस्थता के लिये कहा है, उसको देखते हुए क्या सरकार उन द्वारा केवल खेद प्रकट कर दिये जाने से संतुष्ट है? सरकार उनके विरुद्ध, जिन्होंने राष्ट्रविरोधी गतिविधियां की है, क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार करती है? वह शान्ति मिशन के सदस्य थे परन्तु उन्होंने छिपे हुए नागाओं का साथ दिया है और वह स्वतन्त्र नागालैण्ड चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बार बार वही प्रश्न पूछा जाता है। मंत्री महोदय ने बता दिया है कि स्थिति पर विचार किया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि सरकार का विचार मि० माइकल स्काट के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हेम बरुआ : सरकार निश्चितरूप से यह बताये कि वर्तमान वार्ता के पश्चात वे मि० माइकल स्काट को देश से निकाल देगी।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सरकार ऐसा नहीं बतायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य को देखते हुए कि माननीय मंत्री ने कई बार कहा है कि यह एक आन्तरिक मामला है, क्या नागालैण्ड शान्ति मिशन के दूसरे दो सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि मिशन के तीसरे सदस्य ब्रिटन या पाकिस्तान के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह इस मामले को भारत का आन्तरिक मामला नहीं समझते हैं, यदि हां तो सरकार ने उस तीसरे सदस्य के विरुद्ध बिना कोई कार्यवाही किये अपनी गतिविधियां क्यों जारी रखने दिया?

श्री स्वर्ण सिंह : मि० माइकल स्काट की कार्यवाही को दूसरे किसी सदस्य ने भी मान्यता नहीं दी है। उन्होंने शान्ति मिशन तथा दूसरे सदस्यों के नाम से ऐसा नहीं किया है। इसलिये हमने आपत्ति की है। शान्ति मिशन के दूसरे सदस्यों को साथ लिये बिना उनको कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शुष्क क्षेत्रों आदि का विकास

*1071. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुष्क क्षेत्रों, रेगिस्तानों तथा स्थायी अभाव वाले क्षेत्रों के विकास के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं को चलाने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भूमि तथा जल संरक्षण, सिंचाई के बिना खेती, वन विकास, चराहगाहों, लघु, माध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा जलसंसाधनों तथा पशु पालन के विकास आदि की समस्याओं के हल के लिये योजनाएं बनाई गई हैं। सामान्य कृषि कार्यक्रमों से उन कार्यक्रमों की पूर्ति की जाती है।

(ख) रेगिस्तान के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिस में शुष्क क्षेत्र भी शामिल हैं। यह राशि सामुदायिक विकास खंडों के लिये उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त होगी। स्थायी अभाव वाले क्षेत्रों के विकास का मामला प्रायोगिक परियोजनायें बनाने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। प्रायोगिक परियोजनाएं बनाने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन राशि की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

फार्म की उपज का मूल्य-ढांचा

*1076. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने फार्म की सब उपजों के लिए समेकित मूल्य-ढांचा तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : इस समय कृषि मूल्य आयोग का कार्य मुख्यतः कृषि पण्यों के लिए सहाय्य-मूल्य निर्धारित करना है। सहाय्य-मूल्यों के निर्धारण के समय अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन व्यय तथा अन्तः फसल-मूल्य की अनुरूपता को ध्यान में रखा जाता है।

Distribution of Rationed Articles in Different Zones

*1078. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that distribution arrangement on ration shops in Delhi is not satisfactory and there is no uniformity in regard to scale of distribution of rationed articles in different zones; and

(b) if so, the action being taken by Government to regulate the distribution and ensure uniformity in the scale?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

एयर इण्डिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड्डानो में देरी

*1079. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की बम्बई से होने वाली चार अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में 11 मार्च, 1966 को कई घंटों का विलम्ब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6026/66।]**

किसानों को प्रोत्साहन

*1080. **श्री नि० र० लास्कर :**

श्री लीलाधर कटकी :

श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में किसानों को अधिक अन्न पैदा करने के लिये कुछ प्रोत्साहन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6028/66।]**

Reconstitution of the Offiicial Language (Legislative) Commission

1081. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of reconstituting Official Language (Legislative) Commission is under consideration;

(b) if so, when the reconstituted Commission would be able to complete its work; and

(c) the particulars of its publications till February 1966 and also the details of its future programme?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) Yes, Sir.

(b) The Commission is a standing Commission although its composition may change from time to time and its principal functions being of a continuing nature, namely, the preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts, Ordinances and other Central laws and the arrangement for translation of all such Acts, Ordinances end other laws into regional languages, the question of completion of its work by the Commission within a specified time does not arise.

(c) The Commission has published the authorised Hindi versions of ten Central Acts upto February 1966. The details are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT.6028/66].** The Commission has also published a Glossary of Legal Terms occurring in the Indian Penal Code, 1860, The Indian Evidence Act, 1872 and the Transfer of Property Act, 1882.

So far as the future programme of the Commission is concerned, this will be a matter for the Commission to consider on its reconstitution. A tentative programme has, however, been drawn to publish Hindi versions of about 34 selected Central Acts during the next year.

संयुक्त स्कन्ध समवायों का न मांगा गया तथा न दिया गया लांभांश

*1082. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों के पास न मांगे गये तथा न दिये गये लाभांश की राशि कई वर्षों तक जमा पड़ी रहती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार कुल कितनी राशि जमा हो गई है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये, कि इस प्रकार जमा हुई राशि सरकार को, ले, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) लाभांशों के एक बार घोषित कर दिये जाने पर समवायों को घोषणा की तिथि के 42 दिन के अन्दर अन्दर इन का भुगतान कर देना पड़ता है, परन्तु घोषित लाभांशों का कुछ ऐसा भाग बिना भुगतान के रह सकता है जिस की मांग न की गई हो। जहां तक चालू समवायों का सम्बन्ध है, इस प्रकार के लाभांश कम से कम 6 वर्षों तक इनमें जमा रहते हैं। इस के पश्चात्, वे इस राशि को परिसम्पत्ति में जोड़ने या आय में संचालन सम्बन्धी विनियोजन करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) इस समय भारत में लगभग 27,000 समवाय कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में इन समवायों के अपेक्षित आंकड़ों के संकलन करने में बहुत परिश्रम और समय लगेगा, इसलिए, इस बारे में कोई ठीक ठीक सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) विधि में सरकार को इस प्रकार से जमा हुई राशि को विनियोजन करने की आज्ञा नहीं है। फिर भी, ऐसे समवाय जो परिसमापन की अवस्था में हैं, के मामलों में 15 वर्ष तक बिना भुगतान के रहने वाले लाभांशों का विनियोजन केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व में किया जाता है।

मोटरगाड़ी के नीचे के ढांचे "रौलीगन" की खरीद

*1083. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के माध्यम से अमरीका की एक फर्म से खरीदा गया सात टन वाला मोटर गाड़ी का नीचे का ढांचा "रौलीगन" अभी तक नहीं लगाया गया है ;

(ख) उस ढांचे का मूल्य कितना था ; और

(ग) उस लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 4 लाख रुपये।

(ग) जैसा कि शुरू में अभीष्ट था, मोटर गाड़ी के नीचे के ढांचे को क्रैश फायर टेंडर के रूप में बनाने के लिए उपयुक्त पावर टेक-आफ यूनिट उपलब्ध न होने के कारण देरी हुई है। इसे अब एक बचाव गाड़ी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए आवश्यक उपस्करों की भी एक मद है।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

*1084. **श्री मौर्य** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग पच्चीस अथवा तीस हजार डालर जो एक जापानी शिपयार्ड द्वारा चाणक्य ज्यन्ती नामक जहाज की कुल भार कमी (डेड वेट डफिशियन्सी) के रूप में दिये जाने थे जयन्ती शिपिंग कम्पनी के विदेश स्थित कार्यालयों ने नौवहन विकास निधि समिति तथा नौवहन मंत्रालय की जानकारी के बिना गलती से ले लिये थे ;

(ख) क्या यह राशि नौवहन विकास समिति तथा नौवहन मंत्रालय को बिल्कुल हाल ही में लौटाई गई थी जबकि इस कम्पनी को कई बार स्मरणपत्र तथा कड़ी चेतावनी दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस धन को, जो वास्तव में सीधा सरकार को प्राप्त होना चाहिये था, गबन करने का प्रयास करने के लिये जयन्ती शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) यह सत्य है कि मित्सुविशी हेवी इंडस्ट्रीज लि० टोकियों ने, जिसने चाणक्य जयंती जहाज बनाया था, जयंती शिपिंग कम्पनी लि० को जहाज के कुल टनभार में दोष होने के कारण 3,22,000 यू०एस० डालर का हर्जाना दिया। यह राशि जयंती शिपिंग कम्पनी लि० के बैंक आफ इंडिया, लंदन के खाते में जमा कर के दी गयी थी। चूंकि जहाज का औरडर कम्पनी ने दिया था और जहाज निर्माण शर्तें की पार्टियां कंपनी और शिपयार्ड थे, इसलिये यह ठीक ही था कि शिपयार्ड ने शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी को देने के लिये सीधा कंपनी को भुगतान किया।

(ख) जैसा उसने पहले ही तय किया था कि कंपनी को 10 नवम्बर, 1965 को शिपिंग डेवलपमेंट फंड में कमेटी को वह राशि देने के लिये कहा गया था, कंपनी से वास्तव में यह राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया, लंदन को, शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी को भेजने के लिये 24-2-66 को प्राप्त हुई और 28-3-66 को वह शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी के रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नवी दिल्ली, के निजी लेजर खाते में जमा की गयी थी।

(ग) : (क) भाग के उपर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नही उठता है।

कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें

*1085. **श्री हम्मतसिंहजी** :
श्री कपूर सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ; और

(ख) क्या ताशकन्द समझौते के परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सड़कों का एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें सब मिला कर लगभग 610 मील की सड़कें होंगी और जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ रुपये प्राक्कलित की जाती है। इनमें अधिकांश परियोजनायों पर काम प्रारंभ कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं। मगर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रकाश में समय समय पर कार्यक्रमों की विशिष्टताओं और प्राथमिकताओं का पुर्नविलोकन करना पड़ता है।

दिल्ली में आलू तथा संतरों का जमा किया जाना

*1086. **श्री बी० चं० शर्मा** : **क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शीतागारों में संतरे तथा आलू भारी मात्रा में जमा किये जा रहे हैं जबकि उपभोक्ताओं को उनके सामान्य मूल्य से दूगना और तिगुना मूल्य देना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

*1087. **श्री वाल्मीकी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति दिन वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को, विशेषत : स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : जी नहीं। 1966 के पहले तीन महीनों में (जनवरी, फरवरी और मार्च), दिल्ली में 2011 सड़क दुर्घटनायें हुई जब कि 1965 की उसी अवधि में 2117 दुर्घटनायें हुई थी।

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्न सूचित कार्यवाही की गई है या की जा रही है :—

(1) दिसंबर, 1962 से सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये एक सब इन्स्पेक्टर की अधीक्षता में अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

(2) सड़क व्यवहार करने वाले बालकों तथा अन्य लोगों में सड़क सुरक्षा पर इश्तहार और रेखाचित्र बांटे गये हैं।

(3) विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा पर फिल्में दिखाई जाती हैं।

(4) सड़क किनारे पड़ने वाले करीब करीब सभी स्कूलों के निकट मोटर चलाने वालों को आगाह करने के लिये चेतावनी संकेतपट्ट लगाये गये हैं।

(5) उपर्युक्त स्थानों पर स्कूलों के निकट सड़कों पर पैदल पारपथ चिन्हित कर दिये गये हैं। इन स्थानों पर पैदल आरपार जाने के लिये सूचना देने वाले पट्ट भी लगा दिये गये हैं।

(6) भीड़ वाले क्षेत्रों में स्पीड पर नियंत्रण लगा दिया गया है, विशेषकर उन स्थानों में जहां स्कूलों की संख्या अधिक है।

(7) शैक्षणिक संस्थाओं में नियमित तौर पर यातायात नियमों पर अनुदेश और सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान दिये जाते हैं। विद्यार्थियों के लाभ के लिये सड़क पर व्यावहारिक प्रदर्शन दिया जाता है।

(8) मेसर्स बरमाशेल, आयल स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग की सहायता से इरविनरोड़, नई दिल्ली में एक यातायात प्रशिक्षण पार्क बनाया गया है। यह मार्च 1964 से चल रहा है। प्रातःकाल के समय निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यातायात पुलीस द्वारा इस पार्क में स्कूल विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संध्याकाल में निश्चित वय वर्ग के समस्त बालकों के लिए पार्क खुला रहता है।

(9) जहां आवश्यकता है वहां बड़ी सड़के चौड़ी की जा रही हैं और स्वचालित यातायात संकेत लगाये गये हैं। कुछ सड़कों पर साइकिल पथों की व्यवस्था भी की गई है। भीड़भाड़ के क्षेत्रों से बस स्टाप, स्टाल, विक्रीवाले, टैक्सी स्टैंड इत्यादि हटाये जा रहे हैं।

चावल का आयात

*1088. **श्री रमपुरे :**
श्री फिरोडिया :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की स्थिति होने के कारण चालू वर्ष में कितना चावल आयात किया जायेगा, और

(ख) चावल का आयात करने के लिये किन किन देशों से प्रार्थना की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार लगभग 5.4 लाख टन।

(ख) बर्मा, थाइलैण्ड और संयुक्त अरब गणराज्य के साथ खरीद करार पूरे हो चुके हैं। ब्रिटिश गयाना के साथ करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी चावल की कुछ मात्रा आयात करने की आशा है। अन्य देशों से सामान्यतः आपत्कालीन खाद्य सहायता के अंग के रूप में चावल देने की प्रार्थना की गयी है। अब तक जापान, इटली, नीदरलैण्ड और होलीसी ने चावल देने की पेशकश की है।

भूमि विकास बैंक

*1089. **श्री तुलसी दास जाधव :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्रीमति सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कृषि के विकास के लिये किसानों को धन देने के लिए राज्यों में भूमि विकास बैंकों को पर्याप्त धन नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भूमि बिकास बैंक ऋण-पत्र जारी करके अपने साधन जुटाते हैं। एक वर्ष पूर्व तक भारत का रिज़र्व बैंक, भारत का स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम जैसी संस्थागत एजन्सियां जारी किए गए ऋण-पत्रों में से लगभग 60 प्रतिशत में धन लगाती थी। हाल ही में ऋण-पत्र कार्यक्रमों में अच्छी-खासी वृद्धि हो जाने के कारण इन संस्थागत एजेन्सियों ने जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों में से 60 प्रतिशत में धन लगाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अब बैंकों को खुले बाजार से अधिक साधन जुटाने होंगे। रुपया बाजार की स्थिति वस्तुतः कठिन होने की वजह से यह सन्देहजनक है कि बैंक बिना कुछ विशेष सहायता के अपने कार्यक्रम के पूरा कर पायेंगे। इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सड़कों के लिये पृथक आयव्ययक

*1091. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क तथा परिवहन विकास संस्था ने सुझाव किया है कि सड़कों के लिये पृथक एवं स्वयंपूर्ण आयव्ययक होना चाहिये,

(ख) क्या उसने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय राजपथों पर यातायात के आने व जाने के मार्ग अलग होने चाहियें, ताकि दुर्घटनायें न होने पाये, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : भारत सरकार को भारतीय सड़क और परिवहन विकास संस्था से एसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

Modern Machines for Unloading Foodgrains

*1092. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of modern machines already installed and being installed at present at various ports so that foodgrains may be unloaded from ships in shortest possible time;

(b) the quantity of foodgrains likely to be unloaded daily; and

(c) the progress made and the facilities available at present and likely to be available in future as compared to those in the past?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). A statement giving the information asked for in parts (a) and (c) of the Question is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in Library.** *See* **No. LT/6029/66.**] The total quantity of foodgrains likely to be unloaded daily at all the ports in the country is about 40,000 tons or about 1.2 million tons per month during the non-monsoon months with possibilities of stepping it up further, if necessary. The grain handling capacity at our ports last years was about 25,000 tons per day or about 7.5 lakh tons per month.

Ration Supply in Delhi

*1093. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister **of Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that each family in Delhi whose staple food is wheat is given one kilogram of rice per month irrespective of the number of members of that family; and

(b) if so, the reasons for which rice is not provided according to the number of members of family?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) : Yes, Sir.

(b) Rice issued to the wheat-eaters is only meant to cover requirements like special dishes during festivals, food for invalids and sick, etc.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

*1094. **श्री मौर्य** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी के लन्दन कार्यालय ने आय-कर की बकाया राशि के रुपमें नऊ लाख रुपये का भुगतान किया है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा में इतनी राशि का भुगतान नियमानुकूल था ; और

(ग) क्या इस कम्पनी ने इस प्रकार तथा इस विशेष प्रयोजन हेतु इस विशेष भुगतान के लिये भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां, जयन्ती शिपिंग कम्पनी के लन्दन कार्यालय ने भारत के स्टेट बैंक में 68,000 पौंड जमा कर दिये हैं और इसके बराबर के रुपये अर्थात् 905095.32 नई दिल्ली के स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 30 मार्च, 1966 को इनकम टैक्स विभाग को दे दिये हैं।

(ख) और (ग) : भारत में विदेशी मुद्रा के आन्तरिक प्रेषण में कोई रुकावटें नहीं है और इसलिये इस प्रेषण के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है।

कपास का उत्पादन

*1095. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कपास के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्रा) : (क) यद्यपि 1965-66 के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, संकेतों से मालूम होता है कि तीसरी योजना के लक्ष्य में कमी होगी।

(ख) कपास के उत्पादन की अनुमानित गिरावट का मुख्य कारण देश के कुछ भागों में मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा का अभाव था।

(ग) कपास के लिए कोई क्रैश कार्यक्रम नहीं है। फिर भी कृषि सम्बन्धी नये तरीके के अन्तर्गत कपास पर एक सघन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान तथा शिक्षा

*1096. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम वेतनक्रम होने तथा अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण अति मेधावी व्यक्ति कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) कृषि सम्बन्धी अनुसंधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6030/66।**]

विमान समवायों का विलय

*1097. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनैशनल के कर्मचारियों की अनुशासनहीनता तथा हड़तालों के कारण अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों विमान सेवाओं के हाल में ठप्प हो जाने के परिणामस्वरूप, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के पुनर्गठन, विलय अथवा पुनस्संस्थापन का कोई प्रताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वनस्पति का उत्पादन

*1098. **श्री सूबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति का उत्पादन गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) गत तीन महीनों में वनस्पति का उत्पादन इससे पूर्व के तीन महीनों की अपेक्षा 13.5 प्रतिशत कम था।

(ख) 1966 में मूंगफली के तेल की उपलब्धि कम होने के कारण सरकार के अनुरोध पर उद्योग ने वनस्पति के उत्पादन में स्वैच्छा से कटौती लागू की है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिये उपाय तेज किये जा रहे हैं।

(2) खाने योग्य तिलहनों तथा तेलों के निर्यात पर और ऋण नियन्त्रण पर जो पहले प्रतिबन्ध लागू किये गये थे, उन्हें जारी रखा जा रहा है।

(3) संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 के अधीन 1,50,000 मीटरी टन वनस्पति तेल आयात करने के लिये बातचीत की जा रही है।

केन्द्रीय अध्ययन दल

*1099. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अध्ययन दलों ने छः राज्यों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में वयस्कों का मासिक राशन तुरन्त बढ़ाकर 10 किलोग्राम करने तथा अप्रैल, 1966 से निर्माण कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या अध्ययन दलों की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) तीन केन्द्रीय दलों ने 8 सूखा से प्रभावित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों का दौरा किया है और इन राज्यों में 'वर्क्स' कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की हैं। जिस दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा किया है उसने यह सिफारिश की है कि इन राज्यों के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों के राशन की मात्रा बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दी जानी चाहिये।

(ख) जी हां।

(ग) व्यस्क लोगों को रोजगार सुलभ करने के लिये इन राज्यों में "वर्क्स" कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। 20 लाख से भी अधिक व्यक्ति इन "वर्क्स" कार्यक्रमों में काम कर रहे हैं। अभाव ग्रस्त राज्यों को खाद्यान्नों के नियत में वृद्धि कर दी गयी जिससे कि 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कम दर से खाद्यान्न देने के लिये कार्यकर्ताओं के लिये पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे।

तालाबों के तल वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना

3527. श्री कोल्ला वेंकैया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय सरकारी दल ने दक्षिण की राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि तालाबों के तल वाली उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए तथा कृषि योग्य बनाई गई भूमि को खुले रूप से बेचा जाए ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अनुमानत : कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में तालाबों के तल वाली कितनी भूमि भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के अवैध कब्जे में है ; और

(घ) दल की विभिन्न सिफारिशों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में पंचायत तथा खंड विकास परिषद

3528. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार का विचार पंचायतों तथा खंड विकास परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान करने का है ?

(ख) यदि हां, तो विकास के किन क्षेत्रों के लिए अधिक शक्तियां देने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार अधिक शक्तियां देने के साथ-साथ पंचायतों को आवश्यक धन भी देगी ;

(घ) क्या यह सच है कि केरल पंचायत अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत मूल भूमि कर पंचायतों को दिया जाना है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित क्यों नही किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : केरल में पंचायतों और खण्ड विकास परिषदों को अधिक अधिकार देने के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य तथा आवश्यक निधि हस्तांतरित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) पंचायतों को अनुदान के रूप में मूल भूमि कर देने की व्यवस्था करने का अभिप्राय यह है कि उन अनुरूपी दायित्वों के खर्च को पूरा किया जा सके जो अनुदान के साथ-साथ पंचायतों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार उन कार्यों का ब्यौरा तैयार कर रही है जो हस्तांतरित किए जाने हैं।

कृत्रिम वर्षा

3529. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसने "सीडिंग आफ क्लौडस फ्राम ग्राउंड जनरेटर्स फार मोआइस्ट कन्डनसेशन ऐट हाई आल्टीच्यूटस" नामक पद्धति के विषय में कुछ समन्वेषी कार्य किया है, अभी तक कृत्रिम वर्षा करने के विषय में किसी व्यावहारिक योजना के बारे में कोई सिफारिश नही की है।

माथुपेट्टी में भारत-स्विटजरलैंड दुग्धशाला (डेरी) परियोजना

3530. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माथुपेट्टी में भारत-स्विटज़रलैंड दुग्धशाला (डेरी) परियोजना कब पूरी हो जायेगी ;

(ख) दूसरे चरण की समाप्ति तक वहां कितनी गायें हो जायेंगी ; और

(ग) क्या केरल में ही पशुओं के चारे के उत्पादन को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) परीक्षणों का पहला दौर 31-3-65 को समाप्त हो गया था। 1-4-65 से परियोजना का दूसरा परीक्षणात्मक दौर शुरू हो गया है और यह दौर 31-3-67 तक चलेगा। उसके पश्चात् पोरमेड़ में एक विस्तार कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्विटज़रलैंड की सरकार के साथ एक नया करार तय किया जायेगा।

(ख) केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

केरल में ढोरों में रोगों का फैलना

3531. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अल्लप्पी जिले में कुट्टान में ढोरों में पांव और मुंह के रोग महामारी के रूप में फैल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ढोर मर गये हैं ; और

(ग) उन रोगों की रोक-थाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) 1965 में अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में कट्टानद क्षेत्र में ढोरों में पांव और मुंह के रोग महामारी के रूप में फैल गए थे। मोबाइल वेट्रेनरी सर्जन को 18 अक्तूबर, 1965 को पहले ऐसे केस की सूचना मिली थी। 28 दिसम्बर, 1965 के पश्चात् कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) किसी पशु के मरने की रिपोर्ट नहीं आई है।

(ग) अल्लप्पी स्थित मोबाइल वेट्रेनरी डिसपेन्सरी के माध्यम से प्रभावित पशुओं को समय पर सहायता दी गई। कुट्टानद की पशूचिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से भी उपचार सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गई।

केरल में थाइनन बीजों की विशेष किस्म

3532. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि में विशेष किस्म के थाइनन बीजों की खेती की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिए किन किन स्थानों को चुना गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। 1966-67 में केरल में 5 लाख कड़ भूमि में थाइनन-3 धान की अधिक उत्पादनशील किस्म की खेती करने का प्रस्ताव है।

(ख) केरल राज्य के लिए राकफेलर संस्थान के माध्यम से तेपई व ताइवान से थाईनन-3 का 2 लाख टन बीज प्राप्त हुआ है। इस (तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक व पाटाम्बी अनुसंधान संस्थान द्वारा सप्लाई किये गये) बीज से एर्नाकुलम, त्रिचूर तथा पालघाट ज़िलों में 700 एकड़ भूमि में बीज वर्द्धन किया गया। अब इन बीजों का 1966-67 के खरीफ की बुवाई में उपयोग किया जायेगा। उर्वरकों तथा वनस्पति रक्षा के विषय में आवश्यक प्रबन्ध राज्य सरकारें करेंगी।

(ग) एर्नाकुलम, त्रिचूर, एलेपी तथा पालघाट ज़िलों में थाइनन-3 धान के बीजों की बड़े स्तर पर खेती करने का प्रस्ताव है।

धान और चावल की वसूली

3533. **श्री थेनगौंडर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में मद्रास राज्य के थनजाबूर और मन्नारगुड़ी जिलों में कितने टन धान और चावल की वसूली की है ;

(ख) क्या यह सच है कि मन्नारगुड़ी गोदाम द्वारा वसूल किये गये धान के लिए धान उत्पादकों को तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता और इसके लिये उन्हें बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है; और

(घ) किसानों को तुरन्त भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने मद्रास के थंजाबूर तथा मन्नारगुडी जिले में कोई धान और चावल नहीं खरीदा है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Assistance to Maharashtra

3534. **Shri D. S. Patil :**
Shri Kamble :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the amount of grant actually paid to the Government of Maharashtra during the year 1965-66 to carry on the "Grow More Food" Compaign and the amount of grant to be given for that purpose during the year 1966-67; and

(b) the amount actually utilised out of the grant paid during the year 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Grant given to the States for the Grow More Food Compaign is covered under the Heads

of Development—(i) Agricultural Production (including Land Development), and (ii) Minor Irrigation. A total grant of about Rs. 209 lakhs had been sanctioned to Maharashtra State during 1965-66, under the above mentioned two Heads of Development. The amount of Central Financial Assistance to be allocated during 1966-67 has not been finalised so far.

(b) Provisional payment sanction of Central Financial Assistance for year 1965-66 has been made on the basis of anticipated expenditure for that year. This assistance is, however, subject to final adjustments on the basis of actual expenditure for the year 1965-66, as a whole, which are made some time towards the close of the year 1966-67. It is not therefore possible to furnish at present the figures of grant actually utilised by the State Government during the year 1965-66.

Supply of Foodgrains to Bombay

3535. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have requested the Central Government for regular supplies of foodgrains to the State for introducing rationing system in the Cities of Bombay, Nagpur, Sholapur and Poona;

(b) if so, the monthly quota of wheat and rice the supply of which has been demanded by the State; and

(c) the decision taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menion): (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The total monthly supply of foodgrains to any particular State is finalised in consultation with the State Government, taking in view its commitments, the availability with the Centre and the requirements of the other deficit States.

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

3536. श्री लखमू भवानी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में मध्य प्रदेश सरकार को "अधिक अन्न उपजाओं" आन्दोलन के लिये वास्तव में कितनी रकम मंजूर की गई ; और

(ख) इस कार्य के लिये 1966-67 में उस राज्य सरकार को कितनी रकम दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान (1) कृषि उत्पादन (जिसमें भूमि विकास शामिल है) और (2) लघु सिंचाई विकास के शीर्षकों के अन्तर्गत आता है। विकास के उपरोक्त दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत 1965-66 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को लगभग 150 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(ख) 1966-67 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय वित्त सहायता की राशि के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

केरल में टैपिओका और नारियल की खेती

3537. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में टैपिओका और नारियल की खेती के लिए आदर्श फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ये फार्म कब तक स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस कार्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कितनी रकम नियत की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) और (ख) : केरल सरकार राष्ट्रीय विस्तार सेवा के खण्डों में टैपिओका तथा नारियल के उत्पादन के लिए माडल फार्मों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। परन्तु राज्य सरकार टैपिओका तथा नारियल के विषय में पैकेज कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में विचार कर रही है जिसके अनुसार 1966-67 में 50 चुनिन्दा खण्डों में नारियल तथा 5 खण्डों में टैपिओका का उत्पादन होगा।

(ग) 1966-67 में नारियल तथा टैपिओका के उत्पादन सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम के लिए क्रमशः 22.18 लाख तथा 5.00 लाख रुपए की राशिओं की व्यवस्था की गई है।

केरल में नीण्डकारा पुल

3538. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नीण्डकारा पुल का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : बिजली की कमी और मजदूरों की हड़ताल के कारण प्रगति अनुसूची से थोड़ा पीछे है।

मंगलौर जिले में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)

3539. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **परिहवन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के मंगलौर जिले में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क) के विकास की राष्ट्रीय राजपथ योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोकसभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

केरल में वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)

3540. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वैस्ट कोस्ट रोड़ (पश्चिम घाट सड़क) पर तेल्लिचेरी, माही, बड़गरा, कल्लायी और फेरोक में बाहरी सडकों का निर्माण करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इनमें से किन्ही स्थानों पर सड़क के नये पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां तथा वे कब बनकर तैयार हो जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : केरल की वैस्ट कोस्ट सड़क पर बड़गरा, और तेल्लिचेरी, में उपमार्गों के बनाये जाने का प्रस्ताव है। पहले का संरेखण अनुमोदित कर लिया गया है। दूसरे के संरेखण के बारे में राज्य सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है। इन दोनों उपमार्गों का काम अभी शुरू नहीं किया गया है फिर भी इसे शीघ्र ही हाथ में लिया जायेगा और चालू योजना अवधि में पूरा कर दिया जायेगा। इन दोनों उपमार्गों पर कोई बड़े पुल नहीं है। बाकी तीन उपमार्ग केन्द्रीय सहायता के लिये स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

मालाबार क्षेत्र के पहाडी भागों में परिवहन की सुविधाएं

3541 **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के मालाबार क्षेत्र के पहाडी भागों में रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र में परिवहन की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण कठिनाई होती है;

(ख) मालाबार क्षेत्र में कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां तक वर्षा ऋतु में सड़कों से नहीं जाया जा सकता;

(ग) इन क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस कार्य के लिये 1966-67 में कितनी राशि निश्चत की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी ।

(ख) मालाबार क्षेत्र की 376 पंचायतों में से दस प्रतिशत में विशेषकर कन्नानूर जिले में इरीकूर खंड में बरसात में पहुंचा नहीं जा सकता है।

(ग) संबंद्ध स्थानीय निकायों से राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पंचायत सड़कों के लिये जाने का प्रस्ताव है और राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्माण के लिये नई सड़कों और पुलों का भी प्रस्ताव है।

(घ) मालाबार में सड़क और पुलों के लिये लगभग 8 लाख रुपये।

चावल का चोरी छिपे लाना जाना

3542. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालघाट, केरल राज्य से कोयम्बटूर, मद्रास राज्य को चोरी छिपे चावल ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : इस प्रकार के किसी तस्कर व्यापार का सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है। संचलन आदेशों के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिये सीमा पड़ताल चौकियां सतर्क हैं।

Production of Eggs

3543. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the annual production of eggs(hen) in India;

(b) the percentage of increase in production compared with that of the last two years;

(c) the annual expenditure incurred by the Central Government on this item; and

(d) the steps being taken to increase the production of eggs ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shinde): (a) The production of eggs (hen and duck) in 1966 is expected to be of the order of 5,800 million against the estimated production of 2,880 million in 1961 and 1,908 million in 1956.

(b) Egg production had risen by 50.9 per cent at the end of Second Plan and is expected to have risen by about 101 per cent at the end of Third Plan.

(c) The Plan provision for Poultry Development Schemes in the Third Plan including Crash Programme was Rs. 8.37 crores against Rs. 2.58 crores in the Second Plan.

(d) Poultry Development has been accorded high priority during the Second, Third and Fourth Plans, the tentative plan allocation for the Fourth Plan being Rs. 21.40 crores. Various schemes have been and are being taken up to improve the stock and to increase the production of eggs, provide marketing facilities to the producers, provide liberal credit facilities in the private sector etc.

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

3544. **श्री प० कुन्हन :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में राष्ट्रीय राजपथ (संख्या 4) पर कुल कितनी किलोमीटर लम्बी सड़क का काम किया गया,

(ख) क्या यह सच है कि केरल में, विशेषकर उत्तरी भाग में राष्ट्रीय राजपथ अपूर्ण पड़े है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या इसके लिये नियत की गई राशि में से कुछ राशि व्यपगत हो गई है ?

परिवहन, उडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) शायद माननीय सदस्य राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 47 का उल्लेख कर रहे है । 1963-64 के दौरान 35 किलोमीटर सड़क और 8 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया था । 1964-65 में चार पूल पूरे किये गये थे । 1965-66 में 9 किलोमीटर सड़क और तीन पूलों का निर्माण कार्य जारी था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) जी नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता

3545. श्री कोल्ला वैंकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**

श्री म० ना० स्वामी : **श्री मि० सू० मूर्ति :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) किन योजनाओं के लिये नियतन किया गया है तथा प्रत्येक योजना के लिये कितनी कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो राज्य के सुखाग्रस्त भागों में अकाल की स्थिति को देखते हुए वित्तीय सहायता शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 79.00 लाख रुपये ।

(ग) एक विवरण नत्थी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण

संयुक्त केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा अतिरिक्त वित्तिय सहायता का नियतन

	योजना का नाम	केन्द्रीय अतिरिक्त वित्तीय सहायता का नियतन
1	लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम	29.00 लाख रुपये
2	कुओं का निर्माण	25.00 लाख रुपये
3	ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली का विस्तार .	25.00 लाख रुपये

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

3546. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1964-65 में समस्त राज्य सरकारों को सहकारी समितियों को दिये जाने के लिये अपनी पूर्ण धनराशि दे दी थी ;

(ख) राशि के नियतन का आधार क्या है ;

(ग) क्या राज्यों ने धन का पूरा उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं। 1964-65 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर विभिन्न राज्य सरकारों को 10.30 करोड़ रुपये दिए हैं। 1964-65 के अन्त में, निगम ने आने वाले वर्षों में सहकारी विकास योजना के उपयोग के लिये अपनी विकास निधि में 4.70 करोड़ रुपये की पूर्वविशिष्ट राशि ली थी।

(ख) निधि का नियतन मोटे तौर पर वार्षिक योजना चर्चा के परिणामस्वरुप योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए अनुमोदित उच्चतम सीमा के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी हां। राज्यों ने कुल 10.30 करोड़ रुपये में से 10.02 करोड़ रुपयों का उपयोग किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में जमाखोर तथा चोरबाजारी करने वाले व्यक्ति

3547. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली में जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कितने मुकदमें चलाये ;

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस प्रकार का दण्ड मिला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मैनन) (क) 79।

(ख) 27।

(ग) प्रत्येक मामले में दिए गए दण्ड बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6031/66।]**

Food Production

3548. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under consideration to take steps to make such varieties of seeds available to the farmers which may enable them to raise at least three crops of foodgrains, pulses, vegetables and fruits in a year;

(b) whether Government propose to impart to the children of farmers practical knowledge regarding food production together with other type of education; and

(c) whether Government propose to take steps for mobile exhibition regarding food production, seeds and ploughs in the villages?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyamdhar Mishra) : (a) A number of varieties of fields, fodder and vegetable crops such as bajra, maize, wheat, oats, cowpeas, peas, radish, carrot, cauliflower and turnips etc. have been developed at the I.A.R.I. which enable raising 2 to 3 crops a year. A few rotations are given below:

Maize-wheat-cowpeas . .	Two grain crops one fodder crop
Maize-wheat-Cheena Millet . . .	All grain crops.
Jowar-Berseem-cowpeas	All fodder crops.
Maize-potato-onion	One grain crop Two vegetable crops.
Bhindi-cauliflower-tomatoes . . .	All vegetable crops.

Seeds of such varieties as are developed at the I.A.R.I. are first multiplied at the Institute Farm at Headquarters (Delhi) as well as at its sub-stations. Some of them are thereafter handed over to the National Seed Corporation for large scale multiplication and sale to the farmers. Others are multiplied in Delhi State on farms of selected farmers (A & B Class farmers as they are called) and/or in seed Villages (such as Jyonti Seed Village for wheat). The question of including fruit crops in the annual cropping rotation does not arise.

(b) In the past some efforts were made to impart practical traning to Young Farmers (Farmer's sons) by organising vocational training courses of various duration in different States, Manjri type of Vocational Schools in Maharashtra, Agricultural Schools in Uttar Pradesh, Madras and Mysore are the Institutions which were started to provide such training.

It is proposed to set up during the Fourth Five Year Plan period, 100 Training Wings at Extension Training Centres, on the model of Danish Folk Schools. In these wings two types of courses, one long duration course of 9-12 months and a short duration course of 15-30 days each will be conducted for the farmers' sons.

The farmers'sons selected for this training will be imparted both theoretical and practical knowledge in the varions aspects of agriculture and allied subjects including vegetable growing, fruit cultivation, food and fruit preservation, poultry keeping and animal husbandry etc. Every trainee will be given stipend of Rs. 50 per month to meet his expenses.

(c) Agricultural exhibitions to convey the message of improved practices in agriculture is an important function of the State Departments of Agriculture and such exhibitions are held on a large scale by each State Government. The Farm Information Unit of the Directorate of Extension also undertakes showing of agricultural exhibits at all important occasions where a large number of farmers congregate and puts up exhibits depicting such information as package of practices for increasing crop production, poultry keeping etc. Some of the State Governments use Mobile Publicity Vans which are equipped with Film Projectors and move from place to place and conduct film shows, exhibitions and distribute literature, pesticides, etc. to farmers. The Directorate of Extension, however, does not have any such publicity vans. A scheme for the provision of Mobile Vans which could carry the exhibits also has been proposed both for the Centre and for the States as a part of the Fourth Five Year Plan schemes which is under consideration of the Planning Commission.

कृषि औद्योगिक निगम

3549. श्री बागड़ी : **श्री विश्राम प्रसाद :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य कितने तथा कौन-कौन से हैं जहां अभी तक कृषि-औद्योगिक निगम स्थापित नहीं किये गये हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में उनके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र के सिवाय किसी अन्य दूसरी राज्य सरकार ने अभी तक कृषि, औद्योगिक निगम स्थापित नहीं किये। आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं जो विचाराधीन हैं। मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा पंजाब योजनाएं बना रहे हैं और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं।

चावलों का पालिश किया जाना

3550. श्री श्रीनारायण दास :

श्री बादशाह गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये इस निदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कि चावल मिलें केवल चार प्रतिशत पालिश की मात्रा का प्रयोग करें ;

(ख) चावल पर अधिक पालिश करने के कार्य को जिससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और चावल की मात्रा भी कम हो जाती है, रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या मिलों में चावल तैयार करते समय काम की देख भाल करने वाली केन्द्र में कोई एजेन्सी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) एक या दो राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों ने इस निदेश का पालन किया है।

(ख) (1) चावल की खरीदारी करने वाली एजेंसियों अर्थात राज्य सरकारों, सहकारी समितियों तथा भारतीय खाद्य निगम ने 4 प्रतिशत पालिश के आधार पर चावल का उत्पादन निर्धारित किया है ।

(2) मिलों को 4 प्रतिशत पालिश चावल के नमुने सप्लाई किये गये हैं और उन के द्वारा उत्पादित चावल इन नमूनों के अनुरूप होना चाहिये ।

(3) राइस मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन पालिश के सम्बन्ध में अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले मिल मालिक को तीन महीन की कैद या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

(ग) राइस मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम के अधीन लागू करने के अधिकार राज्य सरकारों को मिले हुये हैं और राज्य सरकारें ही इसकी देखभाल करती है।

कोलाघाट हल्दिया सड़क

3551. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को कोलाघाट से हल्दिया तक बढाने के लिये किये जा रहे निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सड़क को बढाने के लिये अपेक्षित भूमि का अर्जन किया जा चुका है और उसका मूआवजा दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य पूरा होने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : हल्दिया पत्तन क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 6 से मिलाने वाली एक राज्य सड़क पहले ही मौजूदा हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित हल्दिया पत्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 6 पर कोलाघाट से मिलाने बाकी डाका नया सड़क बनाने का सुझाव दिया है। शायद माननीय सदस्य इस नयी सड़क का उल्लेख कर रहे हैं। यह राज्य सड़क का निर्माण कार्य है और इस मामले से प्रधानत: राज्य सरकार का संबंध है। परन्तु वह इस कार्य की लागत के केन्द्र द्वारा दिये जाने पर बल दे रही है। इस प्रार्थना की जांच की जा रही है। मालूम हुआ है कि इस बीच में भूमि अधिग्रहण के लिये राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है और आवश्यक भूमि का लगभग 40 प्रतिशत भाग पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि अभी कोई क्षतिपूर्ति नही दी गयी है। निर्माण कार्य शुरू होने के लगभग 3 वर्ष बाद इस सड़क के पूरा होने की संभावना है। निर्माणकार्य तब ही शुरू किया जा सकेगा जब नयी सड़क की आवश्यकता कबूल कर ली जायेगी और धन की व्यवस्था के बाबत निणय ले लिया जायगा।

Fire in vessels carrying Chemicals

3552. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1561 on the 30th November, 1965 and state :

(a) Whether the causes af the fire in the three vessels loaded with chemicals have since been ascertained; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). No, Sir. A preliminary enquiry under the Merchant Shipping Act, 1958 is still in progress.

Boats seized by Pakistan

3553. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 562 on 30th November 1965 and state :

(a) whether the Assam Government have completed the investigations into the matter relating to drifting away of three boats towards Pakistan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) & (b). Enquiries made by Assam Government officials revealed that the three empty boats which were tied with old ropes were lying without any attendant in the river. The owners did not keep any guard and had practically no supervision over their boats. There was heavy and continuous downpour for two or three days; causing a sudden rise of water in the river which resulted in drifting away of the boats towards Pakistan.

कलकत्ता बन्दरगाह में माल उतारने की स्वचालित मशीन

3554. श्री सुबोध हंसदा : **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री प्र० के० देव :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता बन्दरगाह में माल उतारने की स्वचालित मशीनें लगा दी हैं और यदि हां, तो कितनी;

(ख) इन मशीनों की कार्यक्षमता कितनी है और उतनी अवधि में उस काम को कितने मजदूर कर सकते हैं;

(ग) क्या इस के परिणामस्वरुप कुछ कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिये क्या कोई अन्य व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जहाज से खाद्यान्न उतारने और उसे साइलो गोदाम में डालने जिस की कुल क्षमता 19,000 मीटरी टन है, के लिये कलकत्ता कीदरपूर गोदी में एक घाट पर मैरीन 'लैग' जिसमें तीन यंत्रीकृत उतारने के एकक लगे है, स्थापित की गयी है ।

(ख) प्रत्येक एकक की निर्धारित क्षमता 75 मीटरी टन प्रति घंटा है। इस बन्दरगाह पर मजदूरों द्वारा माल उतारने की प्रति-घंटा दर लगभग 20 मीटरी टन प्रति फलका (हैच) है।

(ग) मशीनों से माल उतारने की व्यवस्था केवल एक घाट पर की गयी है जबकि अन्य घाटों पर मजदूरों द्वारा माल उतारा जाता है। इसे देखते हुए और खाद्यान्नों के आयात की बड़ी हुई मात्रा से इन मशीनों के प्रयोग के कारण कोई भी कर्मचारी फालतू घोषित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापतनम पत्तन

3555. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम पत्तन परियोजना को पूरा करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इसे कब चालु किये जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : विशाखापतनम पत्तन परियोजना में चार अतिरिक्त बर्थों का निर्माण, दो कच्चे लोहे को धरने उठाने के लिये और दो समान्य माल के लिये, और धातुक बर्थों पर आधुनिक यांत्रिक धातुक धरने उठाने के संयंत्र के लगाने का कार्यक्रम है। इस स्कीम पर हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(1) दो धातुक बर्थों का निर्माण पूरा हो गया है और बर्थे काम में लाई जा रही है।

(2) दो सामान्य बर्थों का निर्माण प्रगति पर है और उनके 1966 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) यांत्रिक धातुक धरने उठाने के संयंत्र को खड़े करने का काम पूरा हो गया है। 3 अप्रेल 1966 तक यांत्रिक धातुक धरने उठाने के संयंत्र द्वारा 6.57 लाख टन की कच्ची धातु सैतालीस जहाजों पर लादी गई थी। इन स्कीम पर अब तक 581 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

नलकूप

3556. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बागड़ी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से बिहार में, केन्द्रीय सरकार की सहायता से लगाये गए नलकूपों के ठीक प्रकार से काम करने के बारे में कोई मुल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने नलकूप लगाये गये;

(घ) क्या समय समय पर दिए गए इस सुझाव पर, कि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार नलकूप नहीं लगाये गय हैं तथा जिनके किसी प्रस्तावित नहर योजना के अन्तर्गत आने की सम्भावना नहीं है, वहां पर नलकूपों की व्यवस्था की जानी चाहिय, विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयमें उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ड़) : नलकूपों के काम करने के बारे में प्लान परियोजनाओं सम्बन्धी समिति तथा प्रोग्राम एवैलुएशन आर्गेनाइजेशन आफ प्लानिंग कमीशन और इस मन्त्रालय के तकनीकी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। बिहार में कुल 981 राज्यकीय नलकूप (उत्तरी बिहार में 450 और दक्षिणी बिहार में 531) तथा 820 गैर-सरकारी नलकूप हैं। विशेषतया उत्तरी बिहार में नलकूप संतोषजनक रूप से काम नही कर रहे हैं। उनकी विद्युत-शक्ति की विधि डीजल-जनरेटिड बिजली से है जो महंगी पड़ती है। उन्नत कार्य विधि के लिए राज्य को सुझाव दिये गये हैं। जो क्षेत्र नहरों के अधिपत्य में नहीं हैं वहां नलकूप लगाने पर विचार किया जाता है। दक्षिणी बिहार के मामले में सोन नहरों के अधिपत्य में नलकूप आरा-बक्सर क्षेत्र जो सिंचाई पद्धति का अन्तिम छोर है, में लगा दिए गए हैं।

2. विभिन्न राज्यों में लगाए गए नलकूपों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लगाये गये नलकपों की संख्या	टिप्पणी
1	आन्ध्र प्रदेश . . .	11	
2	आसाम	21	
3	बिहार (1) गैर-सरकारी नलकूप . .	820	
	(2) राज्य के नलकूप .	981	
4	गुजरात .	994	इनमें से 728 सफल हुए हैं और 639 चालू हैं।
5	केरल .	200	पीने के पानी के लिये।
6	मध्य प्रदेश	90	इनमें से 70 चालू हैं शेष नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7	उड़ीसा	167	इनमें से दो छोड़ दिये गये।
8	पंजाब . . .	1,574	इसमें वे भी शामिल हैं जो 23 सफल नही हुअे।
9	उत्तर प्रदेश (1) गैर सरकारी नलकूप	19,207	
	(2) राज्य के नलकूप	8,684	इनमें से 8193 चालू हैं। शेष 491 पूरे हो रहे है।
10	मद्रास (1) बोर कुएं . .	4,253	केवल 1960-61 से चालू हैं।
	(2) आर्टेशियन कुएं (राज्य के के नलकूप)	152	1963 में योजना बन्द कर दी गई थी।
	(3) समन्वेषी नलकूप	23	इनमें से 11 चालू हैं और शेष की मरम्मत हो रही है।
11	महाराष्ट्र . .	7	
12	पश्चिम बंगाल . . .	1,317	अभी तक 454 शक्ति वाले सिद्ध हुए हैं।

कृषि फार्म

3557. **श्री बादहाश गुप्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के किन-किन कृषि-फार्मों से 1965 में सरकार को शुद्ध लाभ हुआ है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : राजस्थान में सूरतगढ़ तथा जेतसर स्थित केन्द्रीय यान्त्रिक फार्मों को 1964-65 में हानि उठानी पड़ी है। हानि मुख्यत: नालियों में बाढ़ आने, सिंचाई के लिए पानी की कम सप्लाई तथा वर्षा न होने के कारण हुई है।

पंजाब में सामुदायिक विकास खण्ड

3558. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पंजाब सरकार को सामुदायिक विकास खण्डों के लिये कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) इस काम के लिये 1966-67 में अब तक राज्य सरकार को कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(लाख रुपये में)

	ऋण	अनुदान	योग
(क) 1965-66 (दत्त राशि) .	54.07	102.83	156.90
(ख) 1966-67 (आवंटित राशि) .	58.67	91.64	150.31

पंजाब में लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास

3559. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और 1966 में अब तक पंजाब में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिये केन्द्र ने पंजाब सरकार को कितनी धनराशि दी है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1965-66 के वित्तीय वर्ष में विकास शीर्षक "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत राज्य प्लान योजनाओं के लिए पंजाब सरकार को 12.87 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृति किया गया था। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई तथा जल उपयोग पर अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को 1.19 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया। राज्य सरकार को यह सहायता पूर्वानुमानित खर्च के आधार पर दी गई थी, अत: राज्य सरकार के उस वर्ष के वास्तविक कार्य के आधार पर अन्तिम समायोजन होना है।

चालू वित्तीय वर्ष (1966-67) के दौरान भारत सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सरकार के लिए 325 लाख रुपये का खर्च (जिसमें केन्द्र तथा राज्य के व्यय के भाग शामिल हैं) स्वीकृत किया है। 1966-67 में दिये जाने वाले केन्द्रीय अनुदान की वास्तविक राशि के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अनुदान वास्तव में मार्च, 1967 में अदा किया जायेगा।

(ख) 1965-66 का वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ है और 1966-67 का वर्ष आरम्भ हुआ है अतः अभी यह बताना कठिन है कि इन वर्षों में कितनी राशि उपयोग में लाई गई।

पहाड़ी जिलों में फलों का उत्पादन

3560. श्री हेम राज : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी जिलों में फल उत्पादकों को वल्गुल (फ्लाइंग फाक्स) के प्रकोप से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रभावी उपाय निकाला गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकोप को समाप्त करने के लिए उन फल उत्पादकों को आवश्यक सलाह देने हेतु क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। देश के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में फल उत्पादकों को वल्गुल (फ्लाइंग फाक्स) के प्रकोप से बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बागबानों को 10-15 प्रतिशत हानि उठानी पड़ती है।

(ख) और (ग) : बागों में तेज़ रोशनी का प्रबन्ध करने तथा फल वृक्षों पर जाल बिछाने से ही प्रायः इस प्रकोप से बचा जाता है। शिकारी पार्टियों के गठन से भी इस प्रकोप से बचा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में शिकार के लिए लाइसेंस तथा असला देकर वल्गुलों के विरुद्ध अभियान जारी किया जाता है। गैलिगनाइट बमों के विस्फोट से भी सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं। उपयुक्त ढंग के बम बनाकर उन्हें वृक्षों पर रखने की तकनीकें निकाली गई हैं। 1964-65 में लगभग 450 बमों की सहायता से 16,000 से भी अधिक वल्गुले मारे गये हैं। ऐसे अभियानों के लिए विशेष पार्टियों के गठन का प्रस्ताव है।

चावल का मूल्य

3561. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री वारियर :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल का मूल्य विशेष रुप से चावल पैदा करने वाले राज्यों में, बहुत बढ गया है; और

(ख) यदि हां, तो चावल के मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) चावल पैदा करने वाले कुछ राज्यों में चावल के भावों में कुछ वृध्दि हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6032/66।]**

1965-66 में सर्वोत्तम गांव

3562. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय करने के लिये कि भारत का सर्वोत्तम गांव कौनसा है 1965-66 में राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता हुई थी;

(ख) यदि हा, तो इस प्रकार सर्वोत्तम माना गया गांव कौनसा है और वह कहां पर है ; और

(ग) उस गांव को किन विशेष बातों के कारण सर्वोत्तम माना गया और उसे क्या पुरस्कार दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) नियमित योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष सर्वोत्तम गांव के चुनाव के लिये राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की जाती है। 1965-66 में कौनसा गांव सर्वोत्तम रहा इस बात का निश्चय किए गए कार्यों के बारे में आंकड़े उपलब्ध होने पर किया जाएगा। 1965-66 की प्रतियोगिता के परिणाम 1966-67 में किसी समय घोषित किए जाएंगे।

(ख) व (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उपकर

3563. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने 1965-66 में कृषि उपकर के रूप में कितना धन वसूल किया ; और

(ख) इस अवधि में इसमें से कितना धन मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों पर और अनुसन्धान तथा अन्य खर्च किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी का एक विवरण नत्थी है।

विवरण

आय		व्यय	
(1) कृषि उत्पाद उपकर से आय	66,73,100	(1) मुख्यालय के प्रशासकीय स्टाफ पर व्यय	13,52,980
(2) अन्य आय . .	29,21,900	(2) अनुसंधान तथा अन्य योजनायें जिसमें तकनीकी स्टाफ भी शामिल है पर खर्च	1,02,60,120
कुल	95,95,000	कुल	116,13,100

नोट :—गत वर्षों के बिना खर्च किये अर्थ शेषों द्वारा आय की प्रतिपूर्ति की गई।

पंजाब में कृषि उत्पादन के लिये ग्राम्य संगठन

3564. श्री बागड़ी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कृषि उत्पादन को तीव्र गति देने के लिए उक्त राज्य में एक ग्राम्य संगठन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य को कोई सहायता दी गई है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे संगठन बनाय जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क), (ख), (ग) व (घ) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्राम स्वयंसेवक दल जिसका मुख्य कार्य कृषि उत्पादन बढ़ाना भी है, अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी मौजूद है। किसी भी राज्य को इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

प्याज को सुखाना

3565. श्री मा० ल० जाधव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज को सुखाने वाले कोई संयंत्र देश में काम कर रहे हैं,

(ख) उन में से कितने संयंत्र बड़े पैमाने पर है और कितने छोटे पैमाने पर, और

(ग) इन संयंत्रों के काम काज के लिये सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, ताकि इनके उत्पादन का अधिक मूल्य मिले तथा उससे विदेशी मुद्रा कमाई जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री (गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। दो संयंत्र काम कर रहे हैं।

(ख) अन्य खाद्यों का विधायन करने के साथ प्याज को सुखाने के लिये निम्नलिखित दो बड़े पमाने के कारखाने हैं :—

(1) मेसर्स मिड लैंड फूट वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, मथुरा।

(2) मसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० गाजियाबाद।

दो अन्य बड़े पमाने की फर्में अर्थात्

(1) मैसर्स अज़ीज ट्रेडिंग कं०, मद्रास, और

(2) मसर्स नासिक जिला सहकारी कंद निर्जलीकरण कारखाना लि० को भी उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन क्रमश : नासिक और पिम्पलगांव म प्याज सूखाने के संयंत्र लगाने के लिये लायसेंस दिये गये हैं।

प्याज सूखाने के लिये कोई छोटे पैमाने के यंत्रीकृत संयंत्र नहीं है, यद्यपि देश के कछ भागों में कुटीर पैमाने पर धप में सूखाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

(ग) सब्जियां सूखाने के काम में लगी हुई फर्मों और जो इस उद्देश्य के लिये नये एकक स्थापित करना चाहते हैं, को सभी सम्भव प्रोत्साहन दिये जाते हैं और प्रति स्पर्धात्मक और अधिक दृष्टि से चलने योग्य बनाने के लिये उन्हें उन्नत विधायन संयंत्रों से लस करने के लिये सहायता दी जा रही है।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियां

3566. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए कितने छात्रों को सरकारी छात्रवृत्तियां दीं; और

(ख) उनमें कितने छात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पिछले वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान करने के लिए कोई सरकारी छात्रवृत्तियां नहीं दी हैं। परन्तु परिषद् ने अपने पास से अनुसंधान कार्य के लिए 192 शिक्षा-वृत्तियां दी हैं।

(ख) परिषद् की शिक्षावृत्तियां केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाती हैं अत: आवेदन-पत्र में ऐसी कोई मद नहीं है जिससे पता चल कि उम्मीदवार अनुसूचित जातियों या अनु-सूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखते हैं अथवा नहीं। अत: ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि पिछले वर्ष कितने अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को शिक्षा-वृत्तियां दी गई हैं।

Import of Ploughs

3567. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been arrived at recently with Czechoslovakia for supply of 640 ploughs to India; and

(b) if so, its details?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No.

(b) Does not arise.

राज्यों द्वारा चावल के कोटे में कटौती

3568. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने चावल के अपने कोटे में कटौती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के द्वारा कुल कितनी बचत हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविद मैनन) : (क) जी हां। कुछ राज्यों ने राशन उचित मूल्य की दुकानों पर दिये जाने वाले चावल की मात्रा में कटौती की है।

(ख) वास्तविक बचत न केवल दी जाने वाली मात्रा बल्कि लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और वास्तव में ली गयी मात्रा पर निर्भर करती है। अत: यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि दी जाने वाली मात्रा में इस कटौती से वास्तव में कितनी बचत होगी।

काठमाण्ड हवाई अड्डे पर इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का क्षतिग्रस्त हो जाना

3569. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक डकोटा विमान का जो अपनी निश्चित उड़ान पर काठमाण्डू जा रहा था, पंखा (प्रोपैलर) 9 मार्च, 1966 को विमान के काठमाण्डू हवाई अड्डे पर उतरते समय खराब हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। काठमाण्डू में उतरते समय विमान के दोनों प्रोपैलर जमीन से टकरा गये और उनके अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गये, और कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ख) घटना की जांच की जा रही है।

सिंगापुर में भारतीय जहाजों की टक्कर

3570. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मत सिंहका : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मार्च, 1966 को सिंगापुर बन्दरगाह में चार जहाजों की कई बार टक्कर हो गई थी जिन में एक भारतीय जहाज भी शामिल था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे; और

(ग) कुल कितना नुकसान हुआ ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) 9 मार्च, 1966 को 'स्टेट आफ मद्रास' जहाज सिंगापुर पत्तन पर लंगर डाले पड़ा था। एक ब्रिटिश जहाज, वाणिज्य पोत "बोम्बला" उसकी बर्थ के निकट पहुंच रहा था जब कि वह एक जापानी जहाज, वाष्प पोत "अजूचीसान मारू" से जो 'स्टट आफ मद्रास' के निकट ही लंगर डाले पड़ा था, टकरा गया। इस आकस्मिक टक्कर के परिणाम स्वरूप 'स्टेट आफ मद्रास' का अपना लंगर टूट गया और वह जरमन पोत, वाणिज्य पोत, "मुन्चन" से जो निकट ही था, टकरा गया।

(ग) "स्टेट आफ मद्रास" की हानि की ठीक लागत अभी तक मालूम नहीं हुई है परन्तु वह 40,000 रुपये से अधिक अनुमानित नहीं की जाती है।

Forced landing of I.A.C. Dakota

3571. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an I.A.C. Dakota which took off from Delhi at 9.35 hours on the 5th March, 1966 had to land on the banks of Ganga near Patna; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). An I.A.C. Dakota aircraft VT-CEA made a forced landing on the dry bed of river Ganges 48 miles ESE of Patna on the 4th March, 1966. All aboard, *viz* 4 members of the crew and 15 passengers were unhurt. The airdraft did not sustain any damage.

Detailed investigation is in progress.

मरुस्थल विकास बोर्ड

3572. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मरुस्थल की समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग) : राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात राज्यों में मरुस्थल की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड की स्थापना के प्रश्न को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इस समय उत्तर प्रदेश के विषय में किसी ऐसे कार्यक्रम पर विचार नहीं हो रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय

3573. **श्री रा० बरुआ :** **श्री फिरोडिया :**
श्री लिंग रेड्डी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदाकि विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या आसाम सरकार ने आसाम राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम तथा मद्रास की सरकारों ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना में दिलचस्पी प्रदर्शित की है और वे सब शीघ्र ही इसके बारे में ब्यौरा तैयार करेंगी।

(ख) आसाम की सरकार ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबन्ध कर दिया है परन्तु अभी तक उन्होंने इस विषय में कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37

3574. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 को समुचित रूप से वर्गोन्नत कर दिया गया है, ताकि वह मोटर गाड़ियों के बढ़ते हुए यातायात को बर्दाश्त कर सके;

(ख) क्या सड़क की सतह निरन्तर खराब होने और सड़क की पटरी में बार-बार नालियां बनाने का कारण यह है कि मिस्त्रियों ने अच्छे ढंग से काम नहीं किया और ठेकेदारों से निर्धारित परिमाप से घटिया माल मिला और कार्य निरीक्षण में नितान्त उपेक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 37 की फर्श चौड़ी और मजबूत की जा रही है। समस्त कमजोर और संकरे पुल और पुलियां मजबूत या फिर से बनाई जा रही हैं। काम, प्रगति पर है और इन के 1967 में समाप्त हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं। सतह में टूटफूट और फर्श में खराबी वहां होती है जहां यातायात की ततकालीन दबाव के लिये उपरी सतह की मोटाई अपर्याप्त होती है या निकास का प्रबन्ध ठीक नहीं होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिये जहां जरूरत है वहां फर्श मजबूत किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में गैर-आदिम जातीय लोग

3575. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ-राज्य-क्षेत्र के राधाकिशोरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को जिसकी अधिकांश जनसंख्या गैर-आदिम जातियों की है त्रिपुरा-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित है, सम्मिलित किये जाने के बारे में कोई विरोध-पत्र दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस विरोध-पत्र में क्या-क्या बातें उठाई थीं ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी, हां। यह प्रस्थापना है कि त्रिपुरा पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित सभा निर्वाचन क्षेत्र-18-राधाकिशोरपुर को त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित किया जाए। परिसीमन आयोग के सहयोजित सदस्यों में से एक सदस्य श्री दशरथ देव ने परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9(2)(क) के अधीन विमत प्रस्थापनाएं भेजी हैं।

(ख) सहयोजित सदस्यों से प्राप्त विमत प्रस्थापनाएं, जिनमें श्री दशरथ देव की प्रस्थापनाएं भी हैं, असाधारण अंक, भारत का राजपत्र और राज्य राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1966 में प्रकाशित कर दी गयी है।

(ग) सरकार को परिसीमन आयोग के आदेशों में, जो कि परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन स्थापित स्वतंत्र निकाय है किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

Sale of Gram by Delhi Consumers' Cooperative wholesale Store

3576. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 per cent of gram purchased by Delhi Consumers' Cooperative Wholesale Store was sold at sufficient profit;

(b) whether it is also a fact that the matter is being investigated into; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir. The Delhi Consumers' Cooperative Wholesale Store earned a gross profit of 5·1% from the sale of 1323 quintals of 'Kabli' gram imported by it from Punjab.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों के बेबसी में नीचे उतरने की घटनायें

3577. श्री दशरथ देब : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी और मार्च, 1966 में यांत्रिक खराबी होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों के बेबसी में नीचे उतरने की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) विमानों की उड़ान से पहले सावधानीपूर्वक उनकी जांच करने के लिये क्या अतिरिक्त पूर्वोपाय किये जाते हैं, ताकि दुर्घटनाय न होने पाय ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) फरवरी और मार्च, 1966 में मशीनी खराबी के कारण आई० ए० सी० के विमानों की बेबसी में उतरने की कोई घटना नहीं हुई। फिर भी, 4 मार्च, 1966 को आई० ए० सी० के एक विमान के पटना से 48 मिल दूर गंगा नदी की सखी तलहटी में बेबसी में उतरने की एक घटना हुई। बबसी में उतरने की इस घटना के कारणों की जांच हो रही है लकिन अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर यह घटना किसी मशीनी खराबी के कारण नही हुई।

(ख) उड़ान पर रवाना होने से पहले सभी निर्धारित मशीनी जांच बड़ी सावधानी से की जाती है और यदि रवाना होने से पहले किसी खराबी का पता लग जाता है तो खराबी के दूर किये जाने से पहले उड़ान नही की जाती है।

Temporary Government Employees

3578. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of Finance had issued an order some time back to the various Ministries asking them to declare permanent 80 per cent of such posts as had been temporary continuously for the last three years or more;

(b) if so, the number of temporary/quasi-permanent posts in the Departments of Food and Agriculture, separately, as had been temporary/quasi permanent for the last three years or more ;

(c) the number of temporary employees covered under part (b) above who have since become eligible to be declared as permanent and the number amongst them since declared permanent ; and

(d) in case they have not been declared permanent, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Ministries are permitted, with the concurrence of the Ministry of Finance, to convert 80 per cent of Class I, II and III posts and 50 per cent of Class IV posts which have been in existence for a continuous period of not less than 3 years and are likely to be required on a permanent basis, into permanent ones.

(b) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the House shortly.

Village Post Offices

3579. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Law** be please to state whether there is any proposal to append the names of village post offices in the lists of villages which will be available in the polling centres that would be set up at the time of General Elections in 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : No, Sir. There is no proposal under the consideration of the Election Commission to specify in the list of polling stations the village post offices pertaining to the villages comprised within each polling area.

केरल अन्तर्देशीय जल परिवहन

3580. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा ने नये मार्गों पर नावें चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई सारणी क्या है; और

(ग) क्या इसके लिये अधिक कर्मचारी रखे जायेंगे और यदि हां, तो कितने ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

विश्व चावल बैंक

3581. श्री महेश्वर नायक : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि भारत तथा अन्य देश निरन्तर खाद्यान्न विशेष रूप से चावल की कमी का सामना कर रहे हैं, कुछ वर्ष पूर्व खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये विश्व चावल बैंक बनाने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा विश्व चावल बैंक बनाने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्तन शुल्क

3582. श्री रा० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघर्ष के दौरान रोके गये पाकिस्तानी माल पर पत्तन शुल्क निर्धारित करने के बारे में कोई अनुमान लगाया जा रहा है; और

(ख) पत्तन न्यासों को देय शुल्क की प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यह निश्चित किया गया है कि माल पर संबंद्ध दलों द्वारा पोर्ट अधिकारियों को धरने, उठाने, विलंब शुल्क या अन्यत: दिये जाने वाले प्रभारों की वसूली नहीं की जायेगी चाहे वह माल निषेधात्मक के अन्तर्गत औपचारिक रूप से पकड़ा गया हो या और किसी तरह से भारतीय पत्तनों पर उतारा गया हो ।

पोर्ट अधिकारियों से उनके अधिकारों के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रभारों की वसूली को त्याग देने की प्रार्थना की गई है । पोर्ट अधिकारियों द्वारा जो प्रभार छोड़े नहीं जा सकते हैं उनकी पूर्ति करने के लिये भारत सरकार तैयार है । ऐसे प्रभारों की अदायगी पर विचार करने के लिये पोर्ट अधिकारियों से आवश्यक आंकड़े के लिये कहा गया है, अर्थात माल का ब्यौरा, भेजने वाले का नाम, दिये जाने वाले प्रभार की राशि और प्रकृति इत्यादि ।

दिल्ली में कुक्कुट पालन विकास योजनायें

3583. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुक्कुट पालन विकास योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में आदर्श कुक्कुट पालन त ा सूअर पालन फार्म चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन फार्मों की संख्या कितनी है और 1962 से प्रतिवर्ष इन फार्मों पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या इनसे अब तक कुछ लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक सरकारी कुक्कुट फार्म दिल्ली छावनी में है। एक छोटासा सुअर पालन एकक इस फार्म से संबद्ध है। 1962 से वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुक्कुट पालन रुपए	सुअर पालन रुपए
1962–63	2,11,718	14,876
1963–64	2,10,464	16,897
1964–65	4,48,270	17,907
1965–66	4,49,232	17,065

(ग) सूचना मांगी जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सहकारी समितियों से बकाया रकम की वसूली

3584. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बढ़िया किस्म के बीज बेचने के लिये जून, 1959 में आरंभ की गई योजना के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी समितियों से बहुत बड़ी बकाया रकम अब तक वसूल नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम बकाया थी; और

(ग) अब तक कितनी रकम वसूल की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : सहकारी समितियों से 88,694.49 रुपये की बकाया धन राशि में से 59,938.61 रुपये वसूल कर लिये गये हैं और 28,755.88 रुपये वसूल करने बाकी हैं।

सामुदायिक विकास खण्डों के लिये साहित्य

3585. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 तक प्रादेशिक भाषाओं में 161 पुस्तकें प्रकाशित करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास खंडों के नव-साक्षर लोगों के लिये बुनियादी तथा सांस्कृतिक साहित्य तैयार करने के लिये 1958 में एक योजना स्वीकार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर 1961 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया है; और

(ग) योजना को कहां तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां, किन्तु 1958 में चालू की गई योजना में इस बात की परिकल्पना की गई थी कि दूसरी योजना अवधि के अन्त तक 100 पुस्तकें तैयार की जाएंगी।

(ख) इस पर प्रति वर्ष जो खर्च किया गया वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय राशि
1960–61	1,74,500
1961–62	3,93,900
1962–63	2,70,000
1963–64	2,90,000
1964–65	32,500
1965–66	42,100

(ग) आपात्कालीन परिस्थिति के कारण इस कार्यक्रम को अक्तूबर, 1962 से धीमा करना पड़ा ।

इस योजना के अन्तर्गत 1965–66 के अन्त तक 172 पुस्तकें तैयार की जा चुकी थीं ।

Wheat from Australia

3586. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that seventy thousand tons of wheat is arriving from Australia within a few weeks ;

(b) if so, the rate at which it is being imported ;

(c) the difference between the rate of purchase of this wheat and that of imported from America ; and

(d) the rate at which it would be sold in India?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). This Australian wheat is coming as gift and therefore the question of comparison of its purchase price with that of wheat purchased from America does not arise.

(d) The present issue price of imported wheat for supply to the State Governments from the Central Stocks is Rs. 50 per quintal, bagged grain delivery ex-godown or F.O.R. destination.

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन

3587. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने दिसम्बर 1963 से दिसम्बर 1964 की अवधि के दौरान पाइप खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये पाइप कैसे प्रयोग में लाये गये है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : जी हां। दिसम्बर, 1963 से अप्रैल, 1965 की अवधि के दौरान खरीदे गए पाइपों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

पाइपों का साइज़	खरीदी गई मात्रा	उपयोग की गई मात्रा
(1) 8–5/8" ओ० डी०	1,21,500 आर० एफ० टी०	50,830′ – $6\frac{1}{2}$"
(2) 14" ओ० डी०	57,000 आर० एफ० टी०	41,133′ – 9"

ये पाइप गुजरात, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों के नलकूपों में प्रयोग किये गए।

उत्तर प्रदेश में एक मिल द्वारा गन्ना लेना

3588. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भटनी स्थित चीनी मिल द्वारा कम मात्रा में गन्ना लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस वर्ष भटनी शर्करा मिल ने कम मात्रा में गन्ना नहीं लिया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

परादीप पत्तन

3589. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परादीप पत्तन के कब पूर्ण हो जाने की संभावना है; और

(ख) इसकी माल उतारने की प्रस्तावित दैनिक क्षमता कितनी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दो मिलियन टन कच्चा लोहा प्रति वर्ष धरने उठाने के लिए परादीप पत्तन की प्रथम विकास अवस्था पूरी हो गई है। दो पत्तन टगों के तैयार होते ही, फिलहाल बनाये जा रहे है यह पत्तन यातायात के लिये खोल दिया जायेगा।

(ख) पत्तन पर लगाये गये यांत्रिक तौर पर कच्चा लोहा धरने उठाने के संयंत्र की क्षमता 2,500 टन प्रति घंटा है।

कृषि कालेज तथा विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

3590. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित कृषि कालेज तथा कृषि विश्वविद्यालय के कितने छात्र तथा अध्यापक उच्च शिक्षा के लिये विदेशों को भेजे गये;

(ख) वे किन किन देशों में भेजे गये; और

(ग) इस कार्य के लिये उन्हें उक्त अवधि में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैकनौलोजी जिसमें भुवनेश्वर के कृषि तथा पशुचिकित्सा विज्ञान के कालिज शामिल हैं, से 37 अध्यापक उच्च शिक्षा के लिए विदेशों को भेजे गए।

(ख)	देश	संख्या
(1)	यू० एस० ए०	35
(2)	आस्ट्रेलिया	1
(3)	स्वीडन	1
	कुल	37

(ग) प्रशिक्षणार्थियों को सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई किन्तु तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके प्रशिक्षण का सारा खर्च विदेशी सरकारों द्वारा पूरा किया गया।

उड़ीसा में कृषि फार्म

3591. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक बिकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में केन्द्र द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि है;

(ख) इस पर कितने मजदूर लगे हुए हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार ने इस पर क्या व्यय किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : उड़ीसा में एक केन्द्रीय बीज फार्म की स्थापना करने के प्रश्न पर अभी सरकार विचार कर रही है।

उड़ीसा को सहायता

3592. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सूखाग्रस्त प्रत्येक जिले में सहायता कार्यक्रम की योजना बनाने हेतु उड़ीसा को जो सहायता दी जायेगी उसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में राहत कार्यक्रमों के लिये अब तक निम्नलिखित सहायता मंजूर की गयी है :—

(1) राहत खर्चे के लिये 45 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में मंजूर की गयी है।

(2) सूखा से प्रभावित जिलों में बूढ़े और निबल व्यक्तियों में मुफ्त सहायता के रूप में बांटने के लिये एक हजार मीटरी टन गेहूं नियत किया गया है। बाद में और मात्राएं नियत की जाएंगी।

(3) बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं में बांटने के लिये एक हजार मीटरी टन दुग्ध चूर्ण नियत किया गया है। बाद में और मात्राएं नियत की जाएंगी।

(4) सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या के जरूरत मन्द लोगों में बांटने के लिये 9,96,500 मल्टी विटामिन की गोलियां सप्लाई की गई हैं।

(5) राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में 2 से 5 वर्षों के बच्चों में बांटने के लिये 176 मीटरी टन बिस्कुट नियत किये गये हैं।

त्रिपुरा में सब्जियों के बीजों का वितरण

3593. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के लोगों में राज सहायता के रूप में कितनी मात्रा में सब्जियों के बीज बांटे गये; और

(ख) उक्त अवधि में त्रिपुरा के शहरी लोगों में राज सहायता के रुप में कितनी मात्रा में ये बीज बांटे गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में फलों तथा काजू का उगाया जाना

3594. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी वित्तीय सहायता से त्रिपुरा में कुल कितने एकड़ भूमि में फलों तथा काजू के पेड़ लगाये गये; और

(ख) क्या त्रिपुरा में काजू लगाना उपयोगी समझा जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कनाडा से गेहूं

3595. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की सरकार ने चालू वर्ष के लिये भारत को विशेष खाद्य सहायता के रूप में 10 लाख टन गेहूं देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : कनाडा सरकार ने भारत सरकार को पहली अप्रैल, 1966 से शरू देने होने वाल कनाडा के वित्तीय वर्ष 1966–67 में 560 लाख डालर की खाद्य सहायता का प्रस्ताव किया है । इस राशि और इस वर्ष कनाडा द्वारा पहले दी गयी 150 लाख डालर की आपातकालीन खाद्य सहायता से वर्ष 1966 में लगभग 10 लाख टन कनाडा की गहूं खरीदी जाएगी ।

मछली पकड़ने से सम्बन्धित विकास योजना

3596. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना में मछली पकड़ने से सम्बन्धित विकास योजना के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और योजना की वर्तमान प्रगति क्या है; और

(ग) सहायक योजना के रूप में इस योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा में मछली मिलने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तुंगभद्रा परियोजना में 1959 में मात्स्यकी विकास की योजना शुरू की गयी थी और वह तीसरी योजना अवधि में चलती रही ।

(ख) इस योजना पर 1965–66 में कुल 4.16 लाख रुपये खर्च होने की आशा है । 13.5 एकड़ का एक मछली फार्म तयार किया गया है । बर्फ संयंत्र और ठण्डा गोदाम भी स्थापित किया गया है । जलाशयों में मछली पकड़ने के लाइसेंस दिये गये हैं। इन चालू योजनाओं के लिये 1966–67 में 3.9 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस परियोजना के अधीन जाल बनाने का संयंत्र लगाने का भी विचार है और संयंत्र के लिये भवन और मशीनरी के लिये 17 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) 1965–66 में फार्म में 76 लाख अदद फिश सीड और एक लाख फिगरलिंग पैदा किये गये । 1965–66 में जलाशयों में 220 मीटरी टन मछली पकड़ी गयी ।

धान के खेतों में खारे पानी का बह निकलना

3597. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के एर्नाकुलम् जिले के कुम्बालांगी और चेल्लानम तथा अलप्पी ज़िले के अरूर और एलूपुन्ना के किसानों की ओर से, धान के खतों में खारे पानी के वह निकलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गावों में फसलों के बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि उसे ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रतिवेदन पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

सुपारी विकास समिति

3598. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सुपारी विकास समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कार्य क्या होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 30 सितम्बर, 1965 को भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति की समाप्ति के बाद सुपारी से सम्बन्धित वह विकास तथा विपणन कार्य जो अब तक समिति द्वारा चलाया जा रहा था, की देखभाल अब कृषि विभाग कर रहा है । इस सम्बन्ध म भारत सरकार की सहायता तथा उसे परामर्श देने के लिए एक भारतीय सुपारी विकास परिषद् कृषि विभाग के अधीन बना दी गई है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, उत्पादकों, व्यापार तथा उद्योग, संसद सदस्यों तथा अन्य सम्बन्धित अनुरक्तों के प्रतिनिधि शामिल हैं । परिषद् की बैठकें व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में और उन क्षेत्रों में जिनमें सुपारी पैदा होती है आवधिक रूप से हुआ करेंगी ।

(ख) परिषद् परामर्श निकाय होगी और निम्नलिखित कार्य करेगी :

(1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सुपारी विकास कार्यक्रमों पर समय समय पर विचार करना ।

(2) निर्धारित लक्ष्यों के प्रसंग में सुपारी विकास की प्रगति पर विचार करना ।

(3) जहां आवश्यक हो विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को तीव्र करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(4) सुपारी विपणन तथा उद्योग, जिसमें मल्य नीति शामिल है, की समस्याओं पर विचार करना और बेहतरी के लिए सुझाव देना ।

(5) अन्य कार्य जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा परिषद् को सौंपे जायें ।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था

3599. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डरी अनुसन्धान संस्था में दिये जाने वाले शिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : राष्ट्रीय डरी अनुसन्धान संस्था, करनाल में और बंगलौर में उसके क्षेत्रीय केन्द्र में दिये जाने वाले शिक्षण पाठ्यक्रम और उनकी अवधि निम्नलिखित है :—

पाठ्क्रम का नाम	अवधि	केन्द्र
(क) पीएच० डी० . . .	2 वर्ष	करनाल और बंगलौर
(ख) एम० एससी० . . .	2 वर्ष	करनाल
(ग) डेरी में बी० एससी० (डेरी हस्बेन्डरी) . .	4 वर्ष	करनाल
(घ) डेरी में बी० एससी० (डेरी टैक्नोलोजी) . .	4 वर्ष	करनाल
(ङ) डेरी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स .	9 मास	करनाल
(च) डेरी विस्तार में अल्प पाठ्यक्रम .	3 मास	करनाल
(छ) आई० डी० डी० (डेरी हस्बेन्डरी) . .	2 वर्ष	बंगलौर
(ज़) आई० डी० डी० (डेरी टैक्नोलोजी)] . .	2 वर्ष	करनाल और बंगलौर
(झ) दुग्ध उत्पादन में अल्प पाठ्यक्रम .	3 मास	बंगलौर
(ट) दुग्ध प्लान्ट ओपरेशन्ज़ में अल्प पाठ्यक्रम (ठ) डेरी में विशेष अल्प पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (ड) डेरी प्लान्ट मैनेजमैन्ट में अल्प पाठ्यक्रम (ढ़) क्वालिटी कन्ट्रोल में अल्प पाठ्यक्रम	आवश्यकता के अनुसार करनाल तथा बंगलौर में प्रबन्ध किया गया ।	

वसूली वाले धान का मूल्य

3600. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टानाड कृषक संघ के प्रतिनिधियों ने वसूली वाले धान के मूल्य में वृद्धि करने तथा वसूली के लिये जोतों की छूट सीमा को बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केरल में धान की अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि और लेवी के लिये जोतों की छूट सीमा को बढ़ाने के लिये कुछ किसानों और उनकी एसोशियेशनों जिन में कुट्टानाड के भी है, के अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे ।

(ख) काश्तकारों को अधिकतम मूल्य नियन्त्रण आदेश के अधीन धान के लिये निर्धारित अधिकतम मूल्य दिया जा रहा है। इस मूल्य के अतिरिक्त, सभी काश्तकारों को जो कि किसी अधिसूचित तारोख से पहले स्वैच्छा से लेवी देते हैं, सुपुर्दगी बोनस दिया जाता है । लेवी से ज्यादा मात्रा देने पर प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाता है । किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से लेवी के लिय भूमि के वर्गीकरण में भी उपयुक्त संशोधन किया गया है । कलक्टरों को ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे 2 एकड़ तक की छोटी जोत वाले काश्तकारों से देय लेवी एकत्रित करने के लिये किसी प्रकार के बल का प्रयोग न करें । कलक्टरों को यह अनुदेश भी दिये गये है कि वे उन मामलों में जहां भूमि के वर्गीकरण के लिय अपनाये गये पैदावार के आंकड़ों से स्पष्टत : पदावार कम रही है, लेवी में समुचित कटौती करें ।

अत: यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक सम्भव कदम उठाया गया है कि अधिप्राप्ति योजना से उत्पादकों को किसी प्रकार की अनुचित कठिनाई न हो ।

केरल में वेस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क)

3601. श्री अ० व० राघवन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौहवन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वेस्ट कोस्ट रोड (पश्चिम घाट सड़क) को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रगति धीमी होने के क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण कार्य को पूरा करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : केरल में वेस्ट कोस्ट सड़क के निर्माण की प्रगति सन्तोषजनक है । केरल में सड़क की 198 मील की संपूर्ण लंबाई मे से लगभग 174 मील का सुधार और काली सतह किया जा चुका है । इस प्रकार लगभग 24 मील का सुधार और काली सतह—होना है । 27 बड़े और छोटे पुलों मे से, 19 पूरे किये जा चुके हैं, 7 की अच्छी प्रगती हो रही है और शेष एक चौथी पंचवर्षीय योजना काल में लिया जायेगा । संपूर्ण काम के चौथी योजना में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

Roads in Rajasthan

3602. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) the roads which were proposed to be constructed in Rajasthan during the Indo-Pak conflict with a view to meet India's defence needs ;

(b) the roads being constructed and the roads which have since been abandoned; and

(c) the reasons for abandoning the roads?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). A programme of constructing about 2500 miles of surfaced (black topped) and gravelled roads for defence requirements in Rajasthan has been framed. It is estimated to cost nearly Rs. 26 crores. Most of the road projects included in the programme have been sanctioned and work on them has been started. On some, contracts are now being drawn up. A few projects are yet under sanction. No project sanctioned as a defence necessity has been abandoned. Names and further details of the individual projects included in the programme cannot be disclosed to safeguard public interest.

पंजाब-दिल्ली बस सेवा

3603. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने उनके मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा पंजाब और दिल्ली के बीच संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलाई जाने वाली गैर-कानूनी बस सेवाओं को नियमित किया जाये ; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में विरोध प्रकट किया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार ने लिखा है कि उसकी बस सेवाओं को एक साथ दो परमिट दे कर, अन्तर्राज्यिक रास्तों पर दिल्ली और पंजाब के बीच उन स्थानों से आगे तक बढाना, जहां तक के लिए उनके पास वैध परमिट और प्रति हस्ताक्षर हैं, मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 की व्यवस्था के अनुकूल है। परन्तु दिल्ली प्रशासन ने पंजाब रोडवेज के ऐसे चालनों के विरुद्ध अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग को अभ्यावेदन दिया है। यह प्रश्न उक्त आयोग के विचाराधीन है कि क्या पंजाब रोडवेज द्वारा अपनी सेवाओं को इस प्रकार आगे बढ़ाना कानूनन ठीक है।

पंजाब रोडवेज

3604. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब रोडवेज़ अपनी मोटर गाड़ी सेवाओं को अवैध रूप से उन मार्गों से आगे बढ़ा कर, जिसके लिये वे राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली से प्रतिहस्ताक्षर करवाते हैं, दिल्ली के स्टेज कैरेज आपरेटरों (ट्रक चलाने वाले लोगों) को वित्तीय हानि पहुंचा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने अन्तर्राज्य परिवहन आयोग से, पंजाब रोडवेज़ द्वारा उस स्थान से आगे के लिये जिस के लिये उनकी गाड़ियों के पास वैध परिमट हैं और साथ साथ उसी गाड़ी के लिये दो परमिट अन्तर्राज्य मार्गों पर पंजाब और दिल्ली के बीच में चलाने के लिये प्रतिहस्ताक्षरित किये होने चाहियें, प्रतिवेदन भेजा है क्योंकि इससे दिल्ली चालकों को वित्तीय हानि होती है। यह प्रश्न कि क्या पंजाब रोडवेज़ द्वारा इस प्रकार के चालन कानूनी तौर पर ठीक हैं, आयोग के विचाराधीन हैं।

मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाएं

3605. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोझीकोड जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं का काम पूरा किया गया ; और

(ख) प्रत्येक योजना पर किये गये वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बिजों तथा उर्वरकों का वितरण

3606. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री वाडीवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पाराशर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में अच्छे बीज, उर्वरक आदि के क्रय तथा वितरण के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि के अल्पकालीन ऋण की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बिकट सूखे की स्थिति के कारण मध्य प्रदेश की सहकारी समितियां अभाव स्थिति के परिणाम-स्वरूप बकाया रकमों की वसूली रोक दिये जाने के कारण ऐसे ऋणों के लिये धन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है ; और

(ग) इस काम के लिए सहकारी समितियों की असमर्थता को दृष्टि में रखते हुए पूर्ण ऋण-आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्र) : (क) 1041.50 लाख रुपये ।

(ख) सरकार जानती है कि जिन क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है उनमें सहकारी बकाया रकमों की वसूली नहीं की जा सकती है । मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट दी है कि रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने जो ऋण दिया है वह कृषकों की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है, अतः सहकारी एजैन्सी अपने साधनों से उर्वरक वितरण के लिए धन की व्यवस्था करने में असमर्थ है ।

(ग) यथा सम्भव आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

नर्मदा पुल

3608. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-बम्बई राष्ट्रीय राज पथ पर गुजरात राज्य में नर्मदा पुल पर समस्त मोटरगाड़ी भार की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गुजरात वाणिज्य मंडल के अभ्यावेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी हां । इस पुल का प्रयोग करने वाली मोटर गाड़ियों के लदान भार की पाबंदी 19,000 पौंड से बढ़ाकर 24,000 पौंड की गयी थी बशर्ते कुछ पूर्वोपाय किये जाय। गुजरात वाणिज्य मंडल ने फिर अभ्यावेदन भेजा है कि 24,000 पौंड की पाबन्दी में और ढील दे दी जाय । गुजरात सरकार के परामर्श में यह विषय विचाराधीन है ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

3609. **श्री मौर्य** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री वाई० एन० सुकथांकर जयन्ती शिपिंग कम्पनी में सरकारी डायरेक्टर हैं और वह पिछले कई महीनों से डायरेक्टरों की बैठकों में भाग लेते रहे हैं और उन्होंने वर्ष 1964–65 के लिये इस कम्पनी के सन्तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर हस्ताक्षर भी किये हैं, क्या वह प्रस्तावित जांच समिति से, जिसकी स्थापना के बारे में उन्होंने हाल में ही घोषणा की है, सक्रिय रूप स सम्बद्ध होने के लिये ठीक अथवा उपयुक्त व्यक्ति हैं ; और

(ख) क्या सरकार श्री वाई० एन० सुकथांकर को सौंपे गये कठिन कार्य को करने के लिये किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) श्री सुकथंकर द्वारा हस्ताक्षरित तुलन पत्र 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबद्ध है, जब कि वे 27 अगस्त, 1965 से कम्पनी के निदेशक हो गये । निदेशक मंडल में सरकारी मनोनीत के रूप में कम्पनी के कामकाज में श्री सुकथंकर पूरी चौकसी रखते हैं और समिति द्वारा दिये हुये ऋण की पुनर्अदायगी में से संबद्ध नौवहन विकास समिति के हितों की सुरक्षा के उपाय करते हैं । अतः यह उचित ही नहीं वरन् ठीक भी है कि कम्पनी के मामलों की जांच पड़ताल में उनका सहयोग लिया जाये ।

(ख) यह निश्चय और घोषित किया गया है कि श्री सुकथंकर के साथ इस जांच समिति में कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल का एक मनोनीत भी नियुक्त किया जाये ।

पंजाब में दुग्धशाला परियोजनायें

3610. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब में दुग्धशाला परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि नियत की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : एक सौ अस्सी लाख रुपये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा के कुछ भागों में खाद्यान्नों की कमी

श्री प्र० के० देव (कालाहांड़ी) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"सूखा पड़ने और खाद्यान्न के ले जाने पर नियन्त्रण के कारण उड़ीसा के कुछ भागों में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी।"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उड़ीसा भी एक ऐसा ही राज्य है जहां 1965–66 में सूखा पड़ा। वहां 16 प्रतिशत क्षेत्र में फसलों को लगभग पूरी तरह से और लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। परन्तु इस कठिन वर्ष में भी जबकि गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादन कम हुआ है राज्य में खाद्यान्नों की उपलब्धि इतनी है जिससे लोगों को उचित स्तर तक खाद्यान्न सुलभ किया जा सकते हैं। केन्द्र से चावल सप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उड़ीसा से चावल सप्लाई के लिये कोई मांग नहीं आई। किन्तु केन्द्र उड़ीसा को गेहूं का नियतन कर रहा है। उड़ीसा को गेहूं का नियतन गत दो महीनों में बढ़ा दिया गया है और उड़ीसा सरकार के कहने पर इस महीने 5000 मीटरिक टन और गेहूं नियत किया जा रहा है।

योजना आयोग की अध्यक्षता में जिस अध्ययन दल ने राज्य का दौरा किया था उसने रिपोर्ट दी है कि राज्य में कम आय वाले लोगों के लिये खाद्य ढूंढने की अपेक्षा रोजगार तलाश करने की मुख्य समस्या है। उड़ीसा में एक समय में 5 क्विंटल तक चावल के लाने ले जाने पर कोई अन्तर-जिला प्रतिबन्ध नहीं है। परमिटों से अधिक मात्रा में चावल लाना ले जाना पड़ता है। ये परमिट जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं और बहुत ही उदारता से जारी किए जा रहे हैं। उड़ीसा सरकार प्रभावित जिलों में 695 उचित मूल्य की दूकानें चला रही है और इन दुकानों पर साप्ताहिक निकासी लगभग 16,600 क्विंटल है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार और दुकाने खोलेगी।

उड़ीसा सरकार को सारी स्थिति का पता है और मार्च के अन्त तक 1,76,000 टन तक चावल का संग्रह हो जायेगा। सरकार इस दिशा में स्थिति को ठीक करने का पूरा प्रयास कर रही है।

श्री प्र० के० देव : कालाहांड़ी जैसे नगर में से जो कि 50,000 टन वार्षिक निर्यात करता था, भुखमरी की खबरे आ रही है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा है कि केन्द्र की सहायता के बिना इस गम्भीर स्थिति का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या इस स्थिति सरकार उड़ीसा को कुछ वित्तीय सहायता दे रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य मंत्री यहां आये थे और मेरे विचार में सन्तुष्ट होकर ही गये है। राज्य में 6,744 कल्याण कार्य आरम्भ किये गये है। मार्च के अन्त तक 3,82,381 लोगों को कल्याण कार्यों में लगा दिया गया है। 1000 टन गेहूं और 1000 टन दूध का पाउडर दिया गया है। 9,96,500 विटामिन की गोलियां दी गयी है। 175 टन बिस्कुट भी दिय गये है।

श्री रा० बरूआ (जोरहाट) : सरकार को चाहिये था कि इस होने वाली कमी का पहले ही पता करती। आखिर इसके क्या कारण है कि सरकार मुख्य मंत्री के आग्रह करने से पूर्व कोई पग न उठा सकी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बात में कोई तथ्य नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Ferrukhabad) : Shri Subramaniam stated on the 22nd of February that there is no scarcity of rice in the State then what has happened after that?

I also want to ask him about his famine code.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस संहिता के अन्तर्गत कल्याण कार्य बड़े जोर से किया जाता है। ठीक तरह से मजूरी दी जाती है और सस्ती दुकानें खोली जाती है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I think wrong reply is being given. During the British time the responsibility of famine was that of States. About famine code, the Minister should state in detail.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब भी यह राज्यों का ही उत्तरदायित्व है।

Shri Maurya (Aligarh) : I want to know the aid which is being given by the Centre to the State is reaching the deserving people? Many a time we find that the aid reaches only in the urban areas, the poor villagers cannot take any relief out of it.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सहायता गांवों में पहुंच रही है। कमी वाले सभी क्षेत्रों में अपेक्षित सहायता दी जा रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : स्थिति यह है कि उड़ीसा की एक तिहाई लोगों को सहायता की आवश्यकता है सहायता तो देनी ही चाहिये परन्तु यह भी देखना चाहिये कि वितरण ठीक ढंग से हो।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राज्य में उत्तरदायी सरकार चल रही है और हमें उनके परामर्श से ही चलना होता है। मैंने बताया है कि मैंने मुख्य मंत्री से बात की है और जो कुछ भी हम इस दिशा में कर रहे है उससे वह सन्तुष्ट हैं। यद्यपि राज्य में सूखा पड़ा है फिर भी कई नगर ऐसे है जहां पर चावल फालतू है। हमने उन्हें गेहूं देने की पेशकश भी की है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 388 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6021/66।]**

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 421 में प्रकाशित हुये थे, सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6022/66।]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन (भाग १ और २)

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1963-64 के प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई।। देखिये संख्या एल० टी० 6023/66।]**

केरल पंचायत (सहकारी खेती की उन्नति) नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल पंचायत (सहकारी खेती की उन्नति) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 1 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 24/66 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–6024/66।]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमानजी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य-सभा ने अपनी 5 अप्रैल, 1966 की बैठक में दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक, 1966 को पास किया।

(दो) कि राज्य-सभा अपनी 7 अप्रैल, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से कि छः सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक, 1965 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में हुई रिक्तताओं के लिये छः सदस्यों को नियुक्त किया जाये, सहमत हुई और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया :—

(1) श्री अर्जुन अरोड़ा

(2) श्री टी० चेंगलवरायन

(3) श्री राजपत सिंह दुगड़

(4) श्री श्यामनन्दन मिश्र

(5) श्री एम० आर० शेरवानी

(6) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

(तीन) कि राज्य सभा अपनी 7 अप्रैल, 1966 की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से कि तीन सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में हुई रिक्तताओं के लिए तीन सदस्यों को नियुक्त किया जाय, सहमत हुई और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया :—

(1) श्री अकबर अली खान

(2) श्री गोपाल स्वरूप पाठक

(3) श्री के० के० शाह

(चार) कि राज्य-सभा अपनी 7 अप्रैल, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से कि दो सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में हुई रिक्तताओं के लिए दो सदस्यों को नियुक्त किया जाये, सहमत हुई और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया :—

(1) श्री एल० एन० मिश्र

(2) कुमारी शांता वशिष्ठ

6—54 Lok Sabha/66

दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक
DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित

सचिव : म दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक 1966 (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पिचासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पिचासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

(1) पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री दलपत सिंह के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तता के लिए राज्य-सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री दलपत सिंह के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण पेटेंट्स (एकस्व) विधेयक 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तता के लिए राज्य-सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion is adopted.*

(2) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री द्वारका नाथ तिवारी : (गोपालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री लोकनाथ मिश्र और श्री टी० एस० पट्टाभिरामन के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में हुई रिक्तताओं के लिए समिति की शेष अवधि के लिए इस के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दो सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री लोकनाथ मिश्र और श्री टी० एस० पट्टाभिरामन के राज्य-सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में हुई रिक्तताओं के लिए समिति की शेष अवधि के लिए इस के साथ सहयोजित करने हतु राज्य सभा के दो सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के बारे में सांविधिक संकल्प के सम्बन्ध में

RE: STATUTOTY RESOLUTION ON KERALA UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या संविधिक संकल्प को सब से पीछे लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय इस बारे में निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे चार बजे सायं लिया जायेगा।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

श्री बासप्पा (तिपतुर) : श्रीमती विमला देवी ने "ट्रानसमिशन लाईन्स" की स्थापना पर बल दिया। इन्होंने कहा कि शरावती परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरावती केवल मैसूर के लिये ही नहीं अपितु सारे देश के लिये महत्वपूर्ण है।

आज देश में सिंचाई तथा बिजली के बारे में बहुत जागृति है। इसमें डा० कु० ल० राव ने बहुत कार्य किया है।

संसद में सूखा की स्थिति तथा खाद्यान्न की कमी पर चर्चा हुई है। इसका एक ही कारण है कि सिंचाई तथा बिजली की क्षमता पर जोर देना चाहिये। बिजली की क्षमता तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये 127 लाख किलोवट थी परन्तु हम केवल 110 लाख किलोवट पर ही पहुंच सके। समझ में नहीं आता कि मंत्रालय इसे कैसे पूरा करेगा।

केन्द्रीय पानी तथा बिजली आयोग के विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये। निजलिंगप्पा समिति ने भी बहुत अच्छी सिफारिश की है विशषकर समुन्नत कर के बारे में। ऐसे मामले में केन्द्र तथा राज्य सरकारों में तालमेल होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय में भी सहयोग होना चाहिये।

कुछ ऐसी परियोजना हैं देश में जिन्हें केन्द्र अपने हाथ में ले लेवे उदाहरणार्थ की चम्बल परियोजना राजस्थान नहर, नेवेली लिगनाइट परियोजना आदि तथा मेरे राज्य में अपर कृष्णा परियोजना। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद में इसके बारे में कहा भी था परन्तु समझ में नहीं आता कि योजना आयोग इसके विरुद्ध क्यों है।

[श्री बासप्पा]

मैसूर ने ही देश में बिजली पानी के कार्यों को आरम्भ किया था परन्तु वहां सिंचाई क्षेत्र केवल 8 प्रतिशत है जबकि सारे देश में यह कहीं अधिक है । देश में बहुत सी परियोजनाओं को केन्द्र से सहायता मिल रही है जैसे चम्बल परियोजना, राजस्थान नहर । फिर क्या यह नहीं हो सकता कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट को भी प्रति वर्ष 6 से 7 करोड़ रूपए मिल जावे ताकि उस पर कार्य आरम्भ हो सके ? यह 120 करोड़ रुपए की परियोजना है और मैसूर के लिये इसे हाथ में लेना कठिन है । इस लिये केन्द्र को चाहिये कि इसे हाथ में ले ले ।

अन्तर्राज्यीय पानी के झगड़ों के कारण देश में सिंचाई के विकास को बड़ा धक्का लगा है । इन झगड़ों को निपटाने के लिये कुछ किया जाना चाहिये ।

पानी को आरब सागर में डालना ठीक नही है । पानी को "बेसिन" से बाहर ले जाना जब कि वहां बेसिन की आवश्यकता ही पूरी नहीं हुई है, ठीक नहीं है । पानी के बटवारे के बारे में भी ठीक सिद्धान्त निर्धारित कर देने चाहियें । कृष्णा नदी के पानी के बारे में 1951 का समझौता बिल्कुल ठीक नहीं था परन्तु इसे न्यायाधिकरण के भेजने से तो और कटु भावना बढ़ेगी ।

मैं मंत्री महोदय से फिर प्रार्थना करता हूं, कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिये केन्द्र रुपया दे ।

Shri Bade (Khargone) : We should always remember that India is an agricultural Country. Here it rains only for four months in a year. Hence it is very necessary that rain water should be collected.

The Minister has stated that he would end all disputes between states about water. But he is not successful in that.

I would suggest to him to do three things in that field *viz.*, improve well-irrigation, lift irrigation and tank irrigation. But these things have not been considered. The tendency for big irrigation projects should undergo a change.

The minister should know that the production in India is a gambling on monsoon. By depending entirely on monsoons it may affect even our power project. This has an adverse effect on our industry too. Therefore we should ponder over it whether we should go in for power projects. Even in our golden period the old kings stressed the importance of wells. But government has not paid any attention to it.

Agriculture in Madhya Pradesh is still lowest mainly due to lack of irrigation facilities. In Madhya Pradesh the percentage of irrigated land is 6·4 per cent as against 37·1 per cent of all India average. You should look on the problems of all states in an impartial manner. Ours is a surplus state in foodgrains and if you give us more irrigation facilities, we would have given you more foodgrains.

The Narmada Valley Project will destroy much of the fertile land and the farmers in large number will be uprooted. It will benefit only Gujarat and a Maharashtra after 25 years. We have no use for such a big project. If you construct this project on the Gujarat side, you will know how they would agitate against it. Here we should reconsider this Narmada Project.

Now I want to draw your attention as to how money is spent in the states. In the Hoshangabad constituency of Mr. Kamath 22 tube wells were dug but only 18 of them are supplying water. Instances of other areas can also be given like that. One of the reasons for the non-fulfilment of plans is that the allotted money is not given in full.

You have opened technical training schools at Kota in Rajasthan. There is another school at Kakra Par and one at Nangal. The School at Kakra Par has been closed down.

I would again request you that we should not be dependent for our irrigation on rains alone.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस बात के होते हुए भी कि एक योग्य मंत्री इस मंत्रालय के अध्यक्ष थे, सिंचाई मत्रांलय का कार्य सराहनीय नहीं है। मुझ इसके कारण का पता नहीं। शायद यह कारण हो कि इस मंत्रालय को केबिनेट स्तर से नीचे का दर्जा दिया गया है और इसकी वहां आवाज़ नहीं रही। अनुमान तो यह था कि तीसरी योजना के अन्त तक 295 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी परन्तु वास्तव में केवल 180 लाख एकड़ से कुछ ही अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair*]

इस लिये हमें यह देखना चाहिये कि ऐसा क्यों हुआ।

बड़ी योजनाओं के लिये पूरा धन देना किसी भी एक राज्य के लिये संभव नहीं है। इस कारण केन्द्र उन्हें ऋण थता है और बाद में राज्य उन्हें ऋण पर ब्याज भी देते हैं। इसी कारण राज्य सरकार उनका पूरा प्रयोग नहीं कर पातीं। इस मामले में हिराकुड परियोजना उदाहरण के रूप में दी जा सकती है।

हमें राष्ट्रीय योजना रखनी चाहिये। केन्द्र सरकार को यह बहाना नहीं लगाना चाहिये कि यह उनके करने का ही कार्य है।

दूसरे, हमें यह याद रखना चाहिये कि सारे देश में अधिक पानी की मांग है और यदि पानी मिल जावे तो उत्पादन बढ़ जावेगा। फिर क्या कारण है कि किसान सिंचाई की सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा रहे? हम बार बार यह बात पूछते हैं परन्तु उत्तर नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है कि पानी पर अधिक कर लिया जाता है और उसके लिये कोई सिद्धान्त नहीं है। इस लिये पानी की दर 3 वर्ष के लिये निर्धारित कर देनी चाहिये। उसके पश्चात उसे बदला जा सकता है। अभी परसों मैं उड़ीसा के मुख्य मंत्री से बात कर रहा था और इसने मुझे बताया कि उन्हें पता है कि किसान पानी के अधिक दर के कारण उसका पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। इस बात पर केन्द्र को गंभीरता से विचार करना चाहिये।

हिराकुड पर व्यय 89 करोड़ रुपया किया गया परन्तु आवेदन पत्र में यह केवल 85 करोड़ रुपया है। पता नहीं है कि इस में से कौन सी बात ठीक है। साथ ही परियोजना के तीसरे प्रक्रम पर होने वाले 18 करोड़ रुपये कर व्यय केन्द्र सरकार करेगी अथवा राज्य सरकार यह भी बहाना चाहिये।

मैं डा० कु० ल० राव से यह पुछना चाहता हूं कि ठिक्करपाड़ा परियोजना का क्या बना? केन्द्र सरकार उसके सर्वेक्षण के लिये धन दिया था। इसका यहीं जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि चौथी योजना में इसे क्या स्थान मिला है।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। उस मंत्रालय के मुख्य एक प्रशासनिक तथा तकनिकी में योग्य व्यक्ति हैं। इस कारण वह अपने कार्य में सफल होने चाहियें। प्रतिवेदन में ठीक ही लिखा है कि कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई बहुत ही आवश्यक है।

[श्री जसवन्त मेहता]

अब मैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जोकि राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। यह नही मध्य भारत में सब से बड़ी नदी है। इस परियोजना का प्रारंभ 1945-46 में किया गया। फिर 1948 में खोसला समिति ने नर्मदा नदी के सात परियोजनाओं की जांच की है। वह समिति इन बातों से पथ प्रदर्शित भी कि सिंचाई के मामले में राष्ट्र का हित रखा जावे न कि राज्यों का। उसके पश्चात ही राज्यों के हित आवें तथा सिंचाई को विद्युत से अधिक महत्व देना चाहिये। नर्मदा नदी के कारण 65 लाख एकड़ भूमि मध्य भारत में, 45.81 लाख एकड़ गुजरात में तथा 10,000 एकड़ भूमि महाराष्ट्र में और एक लाख एकड़ भूमि राजस्थान में सिंचाई होगी। इस प्रकार यह जोड़ कुल मिलाकर 111.91 लाख एकड़ भूमि होगा। यह भी बहुत संभव है कि नर्मदा को वैनगंगा से मिलाया जावे और फिर नर्मदा-वैनगंगा-गोदावरी मिला दी जावें और यह जल-पथ एक तट से दूसरे तट तक जावे और फिर नर्मदा को सोन से मिला दिया जावे और फिर नर्मदा-सोन-गंगा जल-पथ एक तट से दूसरे तट तक जावे।

हम वित्त के मामले में इस दिशा में कोई राजनैतिक समझौता नहीं चाहते। टेक्नीकल विशेषज्ञ समिति की यह रिपोर्ट है। इस लिये इसे टेक्निकल स्तर पर ही सुलझाया जावे। यदि केन्द्र इसमें सहायता करे तो अच्छा होगा।

सरकार को चाहिये कि उठाऊ-सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) को प्राथमिकता दे। यह कार्य तो बहुत शीघ्र तथा सस्ते दामों पर हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि कुछ भागों मे ट्यूबवैल् तो लगा दिये परन्तु उनके लिये बिजली न मिलने कारण वह बन्द पड़े हैं। ऐसे ही गुजरात में फालतू बिजली है परन्तु वहां इसे प्रयोग करने का सामान नहीं है। इस लिये केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामले सुलझाने चाहिये।

मैं अन्त में सरकार का ध्यान ग्रामों में बिजली पहुंचाने की ओर खींचता हूं। सरकार इस कार्य को प्राथमिकता दे।

मैं फिर सरकार से नर्मदा परियोजना को प्राथमिकता देने की प्रार्थना करूंगा।

श्री लीलाधर कटकी (नवगाव) : श्रीमान् जी, मै सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं। सरकार ने इस मंत्रालय के महत्व को सरकारने भी अब स्वीकार किया है। सिंचाई तथा विद्युत कृषि तथा उद्योग के लिये दो आवश्यक वस्तुएं हैं। इस मंत्रालय को बाढ़ नियन्त्रण के कार्य को भी करना होता है। बाढ़ों से देश को बहुत हानि होती है। सरकार को सिंचाई, विद्युत के साथ साथ भूमि कटाव की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

आसाम राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है। वहां पर कोई भी मध्यम सिंचाई योजना चालू नहीं की गई है। तीसरी योजना में चार मध्यम परियोजनाएं शामिल की गई थी परन्तु उन में से अभी तक किसी को भी पूरा नही किया गया यह इस बात का द्योतक है कि कृषि को कई महत्व नही दिया गया है। केन्द्रीय सरकार को आसाम की सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये सहायता देनी चाहिये। इससे वहां पर चावल के उत्पादन में वृद्धी की जा सकेगी। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1.65 करोड़ रुपये की मांग की है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दे।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है आसाम राज्य में इसके उत्पादन की बहुत क्षमता है। वहां पर नदियां, कोयला, तेल, गैस तथा अन्य सभी प्रकार के संसाधन हैं। परन्तु भारत के अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति खपत की अपेक्षा वहां के खपत बहुत कम है।

आसाम की कोपिली परियोजना एक बड़ी क्षमता वाली परियोजना होगी । इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यथाशीघ्र हाथ में लिया जाना चाहिये ।

आसाम की स्थिति ऐसी है कि सामरिक, राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से उसकी विकास बहुत आवश्यक है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : I support the Demands of this Ministry. Irrigation and Power are very essential for the development of our country. Top priority should be given to these items. The allocations made for the development of agriculture are very inadequate. During the 1st three plans agriculture has not been given due importance. Ours is a very big country and about 280 million acres are under cultivation. About 110 million acres in this used for cultivation of rice and wheat. We have about 36 percent of our land as irrigated land. We should bring more land under plough and more irrigation facilities should be provided. Only then we can achieve self-sufficiency in the matter of food. We should increase our production and not depend on imports. New irrigation projects should be started. The farmers should be encouraged to prodce more. The Nagarjunasagar is being delayed and its cost of construction is going up. It should be completed expeditiously.

There are certain areas in our country which require immediate attention in the matter of irrigation facilities. The Ministry should consider this question. More funds should be provided for irrigation facilities.

The State of Andhra Pradesh lags behind so far as of power is concerned. This State produces rice and other cereals. If more power is provided to this the production can be increased considerably. The reservoir on river Godavari is very old. It should be repaired. Central Government should give assistance to Andhra Pradesh liberally. There are many areas in Andhra Pradesh that can be developed provided adequate funds are made available.

Central Government is giving subsidy, where power rates are higher. I appreciate this, but I want that Government should provide help in procuring pumps also. Poor farmers are not in a position to buy costly things. Spare parts are also very costly. Power should be made available in all those villages through which electric mains pass. The rural electrification should be given priority. The Rayalaseema and Telengana regions of my State should be provided irrigation facilities.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : सिंचाई और बिजली सम्बन्धी सुविधाएं देश के विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं । मैं केरल की शोचनीय स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । केरल बिजली बोर्ड का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । वहां पर सदैव बिजली की कमी रहती है । इस वर्ष वहां पर बिजली की कटौती बहुत अधिक हुई है । इसके कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । कई उर्वरक के कारखाने भी बन्द हो गये है । इससे खाद्य उत्पादन में कमी हो गई है । लघु उद्योगों के काम को भी धक्का लगा है । इस लिये बिजली की कमी दूर करने के लिये अविलम्बनीय कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मैसूर राज्य की फालतू बिजली मद्रास को दे दी गई है । केरल बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने काम ठीक प्रकार से नहीं किया है और राज्य को कठिन स्थिति म खड़ा किया है । केरल में प्राकृतिक संशोधन बहुत अधिक हैं परन्तु उनसे पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । एक वर्ष पहले मैसूर के मुख्य मंत्री ने केरल को बिजली की पेशकश की थी परन्तु केरल बिजली बोर्ड ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है । यह बड़े खेद की बात है ।

[श्री अ० व० राघवन]

कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि केरल बिजली बोर्ड में टेन्डर स्वीकार करने में बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। न्यूनतम टेंडर को मंजूर नहीं किया गया। मुझे बतलाया गया कि ऐसा केरल बिजली बोर्ड के चेयरमैनके कहने पर हुआ। लोक लेखा समिति ने इस मामले में जांच करने को कहा है। केवल इस मामले की ही नही बल्कि पिछले पांच वर्षों में केरल बिजली बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये सभी टेंडरों की जांच होनी चाहिये। यह जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा कराई जाय और जांच के दौरान इस बोर्ड के चेयरमैन को मुअत्तिल कर दिया जाय और इस बिजली बोर्ड का कार्य-प्रभार सिंचाई विभाग के एक वरिष्ट अधिकारी को सौंपा जाय।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हम अपने देश में वृहद् विद्युत संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम अपने जल-संसाधनों में से केवल 10 से 12 प्रतिशत तक का ही लाभ उठा रहे हैं।

अपर कृष्णा परियोजना ही केवल ऐसी परियोजना है जिससे बीजापुर, रायचुर, और गुलबग रायलसीमा के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता हो सकती है। द्विभाषी महाराष्ट्र राज्य में कोयना परियोजना से काफी लाभ हो सकता था लेकिन अब केवल अपर कृष्णा परियोजना का ही सहारा है। बीजापुर जिले में कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और दोन-पांच नदियां हैं। फिर भी सैकडों वर्षों से यहां पर दुर्भिक्ष की स्थिति बनी हुई है। अतः इस जिले की सहायता के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

देश में कहीं पर भी बड़ी योजनाओं की जिम्मेवारी—चाहे वे योजनाएं आन्ध्र में हों या महाराष्ट्र में हों या मैसूर में हों—केन्द्र पर होनी चाहिये।

यहां पर सिंचाई सुविधाएं हैं, लेकिन भूमि तैयार करने का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक भूमि समतल नहीं बनाई जाती तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। ट्रैक्टरों और बुलडोजरों की व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे खुशी है कि 10–12 राज्यों में भूमि सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैसूर राज्य में भी भमि सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाये। क्यों कि सिंचाई सुविधाएं होने पर भी यदि भूमि सिंचाई के अनुकूल नहीं है तो सारी सिंचाई योजना ही बेकार हो जायगी।

हालांकि उर्वरक का बड़ा महत्व है, सिंचाई का और भी अधिक महत्व है। इस देश में यदि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो भी तो उर्वरक के बिना भी किसान फसल उगा सकेंगे।

अब वह समय आ गया है जबकि इस देश के किसानों को कोई भाषण सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अब देश में जागृति है। किसानों को यह बताना है कि वे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे लाभ होगा। अतः अब इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। जब तक जिला तथा तहसील स्तर पर इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया जायगा, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। इस बारे में जिला अधिकारीयों, तहसील अधिकारियों और खंड अधिकारियों को दिलसे सहयोग देना होगा।

इस बारे में अध्ययन किया जाये कि क्या गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में नौपरिवहन किया जा सकता है।

यह खुशी की बात है कि नागार्जुन सागर परियोजना पर काम हो रहा है। हमें इस इन परियोजनाओं पर गर्व अनुभव करना चाहिय। इस परियोजना ने बड़ी प्रगति की है और इसके लिये और सहायता दिये जाने की आवश्यकता है क्यों कि वे 97 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं।

इस मंत्रालय को अधिक धन दिया जाना चाहिये। मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Projects are prepared and financed by the Central Government and their execution is left to the State Governments as a result the responsibility cannot be fixed. It should be seen that responsibility is fixed on one or the other.

It was said that they overdrew power. Why they were allowed to overdraw? Who is responsible for this overdrawal? If an enquiry is instituted into the Chambal project it would be found that during these two years we have sufferred a loss of crores of rupees there. The distribution of power to industries was not even. Certain industries were given half the load power resulting in unemployment to lakhs of persons and non-availability of water for irrigation. An enquiry commission should be set up to go into the matter so that such a thing is not repeated. It is not enough to indicate about the number of Projects to be taken up. The priority should be given to the Projects on the rivers which have their source in the Himalayas. This would help in early gains.

All the work relating to power should within the jurisdiction of the Central Government. The work is not going on well on this subject being on the concurrent list. There should be a grid for the whole country.

In States allegations are made by one M.L.A. against the other. Such things should not happen. For this it is necessary that the whole grid system should be under the control of Central Government.

The Plana Lignite Thermal Plant Project should be undertaken in the fourth Plan. This should not be said about this Plant that they have not got the matching grant. Rajasthan should be given more money for power production.

A sum of Rupees 25 millions should be granted for rural electrification as the work is of importance. This will not only help in more food production but the villages will have a new shape, their ideas would change, the industries would flourish there. The defence should be treated first and electrification second so far as the allotment of funds is concerned.

On the one hand Government talks of giving power for wells and on the other hand attention is not paid on obstacles that come in their way. The feasibility of tube wells in Madhya Pradesh and Rajasthan should be got examined by scientists.

I hope that certain arrangements will be made to have control over the funds alloted to States.

The Sahibi River Project in Alwar should be completed immediately. Roopahel Project should also be completed. This Scheme has connections with both districts of Alwar and Bharatpur. By completing this project there will be increased production.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० कु० स० राव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्योंने बड़े मूल्यवान सुझाव दिये हैं और उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । गत वर्ष वाद-विवाद के उत्तर में मैंने बताया था कि 1965–66 में लगभग 30 लाख एकड भूमि में सिंचाई की जायगी और 20 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायगी । वास्तव में हम मार्च, 1966 तक 20 लाख एकड भूमि में सिंचाई कर सके हैं और 20 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन कर सके हैं । इस वर्ष अप्रैल और मई में हम दस लाख एकड भूमि में और सिंचाई कर सकेंगे । इस प्रकार खरीफ का मौसम आने तक हम 30 लाख एकड भूमि में सिंचाई कर सकेंगे । इसी प्रकार इन दो महीनों में हम 5 लाख किलोवाट बिजली का और उत्पादन कर सकेंगे । यदि पाकिस्तान ने हाल के संघर्ष में हमारी मशीनों और पुर्जों

[डा० कु० ल० राव]

को जब्त न किया होता तो हम 5 लाख किलोवाट अतिरिक्त का उत्पादन अब तक कर लेते। इस क्षेत्र में हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वह पिछले 15 वर्ष में की गई प्रगति की दर से तिगुने दर पर किया गया है। इससे पता चलता है कि इस देश में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का कार्य बड़ा सुसंगठित है, यदि उसको पर्याप्त धन दिया जाय।

अक्सर बड़ी और छोटी परियोजनाओं के बारे में विवाद उठ खडा होता है। देश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने में बड़ी योजनाओं का बड़ा महत्व है। इसलिये हमें इनके महत्व को कम नहीं करना चाहिये।

जहां तक पानी के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, इस बारे में पिछले वर्ष बनाई गयी क्षमता के इस वर्ष इस्तेमाल को ध्यान में रखना चाहिये। जन, 1965 में 1.6 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करनी थी। इसमें से हमने 1.40 लाख एकड भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। यह धारणा गलत है कि पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इससे विदेशियों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि 'आप इन परियोजनाओं पर धन बर्बाद कर रहे हैं'। सभी परियोजनाओं के आंकडों का विश्लेषण करने से पता चलेगा कि सिंचाई सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। कहीं कहीं पर पानी इकट्ठा करने की भी समस्या है। उदाहरणतः गुजरात में हमने ककरपार और माहे-दो परियोजनाएं बनायी हैं लेकिन इन नदियों में पानी नहीं है। हम वहां जलाशय बना रहे हैं। उकई और कडाना परियोजनाएं भी अभी बनाई गयी है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर हम नहरों को काफी पानी दे सकेंगे और हम 5 लाख एकड और में सिंचाई कर सकेंगे। लेकिन अभी जलाशय नहीं बनाये गये हैं।

हमने 502 परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया है। इनमें से 300 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं और 200 बाकी रहती हैं। इसके लिये हमें एक हजार करोड़ रुपया चाहिये। यदि इसके लिये हम 250 करोड़ रुपय प्रतिवर्ष की भी व्यवस्था करें तो हम ढाई करोड एकड और भूमि में सिंचाई कर सकते हैं। हमारे संसाधन बड़ सीमित हैं और हम इतना धन आवंटित नहीं कर सके हैं। जहां तक तकनीकी और निर्माण कार्य की संभावनाओं का सम्बन्ध है, हम इन योजनाओं को पूरा करने के लिये तैयार हैं।

जहां तक पन्द्रह वर्षों में लोगों को पर्याप्त अनाज न देने का सम्बन्ध है, 1950 में हमारे यहां 5 करोड टन अनाज का उत्पादन होता था आज 8 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता है। किसी अन्य देश में 15 वर्षों में खाद्यान्न-उत्पादन में इतनी प्रगति नहीं हुई है। यह वास्तव में बहुत अधिक वृद्धि है और यह वृद्धि सिंचाई और अन्य बडी परियोजनाओं के विकास के कारण हुई है। इसमें जो अन्तर है वह जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण है। 1950 में हमारी जन संख्या 36 करोड थी और आज यह 48 करोड है। हर वर्ष जनसंख्या में 120 लाख की वृद्धि हो जाती है। इन व्यक्तियों के लिये लगभग 10 लाख टन अनाज चाहिये। इसके लिये लगभग 20 लाख एकड अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करनी होगी। इस देश में इस समय 3370 लाख एकड भूमि में खेती होती है और हम केवल 8 करोड एकड भूमि में ही सिंचाई कर रहे हैं। भारत में हम औसतन लगभग 23 प्रतिशत भूमि में सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन पांच राज्यों में यह प्रतिशतता 23 से भी कम है। इन राज्यों के नाम हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मैसूर और महाराष्ट्र। तीसरी योजना में हमने कई परियोजनाएं आरम्भ की हैं और यदि हम इन परियोजनाओं को पूरा कर लें तो हम मैसूर में 70 प्रतिशत और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 60 प्रतिशत भूमि में सिंचाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। वहां पर सिंचाई का बिकास बहुत कम हो रहा है। वहां पर जो परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं, उनसे भी 30 प्रतिशत ही सिंचाई हो सकेगी। इसलिये मध्य प्रदेश के बारे में अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और हम इस बारे में विचार करेंगे। इस बारे में हम कुछ उपाय कर रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू परियोजना के स्थापित हो जाने पर काफी बिजली बनाई जा सकेगी ।

देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बिजली की स्थिति काफी अच्छी है । उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की काफी कमी है । पंजाब और राजस्थान में लगभग 20 प्रतिशत की कमी है । आन्ध्र प्रदेश और केरल में 40 से 60 प्रतिशत तक की कमी है । इस वर्ष सूखा की स्थिति के कारण यह प्रतिशतता और बढ गई है । वास्तव में इन सब स्थानों में हमारे उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत की कमी हुई है । हमें प्रत्यक्ष राजस्व के कारण 18 करोड़ रुपये की हानि हुई है । इन क्षेत्रों में बेरोजगारी काफी रही है और इससे हमें बडा कष्ट उठाना पडा है । इससे पता चलता है कि हमें यथासंभव शीघ्र कमी वाले क्षेत्रों में बिजली की स्थिति में सुधार करना पडेगा ।

जहां तक बिजली की कमी को पूरा करने के लिये अधिकाधिक तापीय बिजली घर स्थापित करने का सम्बन्ध है, हम इस बारे में प्रयत्न करते हैं । लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं हैं । वास्तव में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केरल जसे राज्य कोयला-क्षेत्रों से बहुत दूर हैं जहां कोयला भिजवाने में बहुत धन खर्च करना होगा । इसके लिये हमें परिवहन व्यवस्था और दृढ करनी पडगी । इसके लिये समूचे भारत के बारे में विचार करना चाहिये । इसके लिये एक मज़बूत ग्रिड व्यवस्था बनानी होगी और एक ग्रिड का दूसरे ग्रिड से सम्बन्ध जोडना पड़ेगा । अभी हमने राजस्थान को गुजरात से मिलाया है । तापीय प्रणाली के बारे में विचार करना होगा ।

जहां तक लागत सम्बन्ध है, जल-विद्युत सस्ती है, फिर तापीय बिजली और उसके बाद अणु शक्ति का नम्बर आता है ।

ट्रांसमिशन लाइनें बना कर और ग्रिड बना कर हम मैसूर से 4,000 लाख यूनिट बिजली मद्रास को दे सके हैं और 1,500 लाख यूनिट बिजली दामोदर घाटी निगम से बिहार को दे सके हैं । यह बड़ा अच्छा रिकार्ड है । इससे उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी पूरी हुई है । भारत एक बड़ा विशाल देश है । तीसरी योजना के अन्त तक हमने 18,000 मील लाइनें बिछायी हैं । हम लगभग 80,000 मील लाइनें बिछायेंगे । असल में इतना ही पर्याप्त नहीं है । हमें इस कार्य को दुगुना करना होगा और आशा है कि अगले 5 वर्षों में हम एसा कर सकेंगे । इस बारे में धन मुख्य कारण बनता है । पहली और दूसरी योजनाओं में ग्रिड सिस्टम द्वारा बिजली देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी थी लेकिन तीसरी योजना में कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत की कमी हो गयी है । तीसरी योजना में केवल 40 प्रतिशत धन की व्यवस्था की गई थी । आशा है कि हम ग्रिड सिस्टम बन जाने पर अधिक धन प्राप्त कर सकेंगे ।

भारत में संसार में पैदा की जाने वाली कुल बिजली की एक प्रतिशत बिजली पैदा की जाती है । लेकिन यहां पर आने वाले विभिन्न समितियों और संगठनों ने बताया है कि 1980 तक हमें 160 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी । आज हमारे यहां 1500 किलोवाट बिजली की खपत है जब कि रुस में 2000 किलो वाट, ब्रिटेन में 3000 किलोवाट और अमरीका में 5500 किलोवाट बिजली की खपत है । इस समय हमारी अधिष्ठापित क्षमता 105 लाख से 110 लाख किलोवाट तक की है । 160 लाख किलोवाट तक पहुंचने में 30 से 50 लाख किलोवाट बिजली हर साल अतिरिक्त बनानी होगी । यह बड़ा कार्यक्रम है । इस को करना ही होगा । दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में हमने 20 लाख किलोवाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया और तीसरी योजना में हमने 80 लाख किलोवाट बिजली का और उत्पादन किया । चौथी योजना में हमें और बिजली का उत्पादन करना है । इसके लिये हम देश की विद्युत विकास के सम्बन्ध में प्रगति पर विचार करने के लिये और कम खर्च में अधिक प्रगति करने के बारे मे विचार करने के लिये एक तकनीकी समिति बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ।

एक अन्य बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि बिजली के मामले में काफी असंतुलन पाया जाता है । जैसा कि मैंने कहा था कि सात राज्यों में 80 किलो वाट और

आठ राज्यों में इससे कम औसत फैलती है। असंतुलन की सबसे खेदजनक बात यह है कि इसको बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें साठ प्रतिशत की कमी है और कई ऐसे हैं जिनमें साठ प्रतिशत अधिक होती है। इन हालात का मुकाबला किया जाना चाहिए। और प्रयास करके इस अन्तर को कम करना चाहिए। मंत्रालय इस समस्या की ओर ध्यान देगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों से लिखा पढ़ी करके इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा।

जितने भी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उन्होंने देहातों में बिजली लगाने की बात कही है। इस सम्बन्ध में मैं दो महत्वपूर्ण बाते कहना चाहता हूं। 15 वर्ष हुए हमने 35 सौ गांवों में बिजली लगाने का काम शुरू किया था। अब तक 55 हजार गांव में बिजली लग गयी है। देश में पांच लाख सत्तर हजार गांव हैं और उनमें बिजली लगने में समय लगेगा। अगली योजना के अन्तर्गत एक लाख गांव में बिजली देना चाहते हैं। इससे देहाती जनता के दो तिहाई भाग के लिए बिजली की व्यवस्था हो जायेगी। मेरा मत यह है कि यदि इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया तो यह बहुत ही शानदार कार्य होगा। मेरा यह भी कहना है कि गांव में बिजली लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही कम धन दिया गया है। यदि ग्रामों में बिजली लगाने के काम के लिए अधिक धन निर्धारित कर दिया जाता तो इस दिशा में हम और अधिक प्रगति कर सकते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि सभा में इस कार्य के लिए काफी जोश है। और मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर जोर देंगे कि इस कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाय। मंत्रालय की ओर से मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दिशा में जितनी भी शीघ्रता से सम्भव हो सकेगा हम देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को करेंगे। कस्बों में बिजली लगाने के काम की अपेक्षा देहातों में इस काम को करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त बाढ़ों का प्रश्न है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष हमें भीषण बाढ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। इस वर्ष लगभग सात करोड़ की हानि सहन करनी पड़ी है। मेरा निवेदन है कि कई बार बाढ़ों का लाभ भी हो जाता है। और इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हम इस सुझाव पर पूरा ध्यान देंगे कि नदियों पर नियन्त्रण उनकी उपयोगिता, भूमि निर्धारण और पानी सभी चीजें एक ही प्राधिकार के अधीन हों। यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो कम से कम उनमें परस्पर अच्छा समन्वय होना चाहिये। सूखे की स्थिति का मुकाबला करने की भी बहुत जरूरत है। मेरा निवेदन यह है कि चम्बल घाटी प्रयोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और उसे ठीक समय आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। इस दिशा में यदि ठीक तरह से कार्य किया गया तो मुझे विश्वास है इस क्षत्र का सारा चित्र ही बदल जायेगा।

गोदावरी बांध देश के बांधों में एक महत्वपूर्ण बांध है जिस पर लाखों टन अनाज का उत्पादन निर्भर करता है। समिति ने बताया है कि इस बांध की स्थिति बहुत खतरनाक है और यथासम्भव शीघ्र नया बांध बना दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार इस स्थिति से पूर्णतया अवगत है और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर कुछ कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। अपर कृष्णा परियोजना बहुत ही मूल्यवान परियोजना है क्योंकि इससे अधिक कमी वाले क्षेत्रों को लाभ होता है। इस परियोजना पर सरकार अधिक ध्यान देगी और इसको महत्वपूर्ण समझेगी।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि चौथी योजना के अन्तर्गत कोई भी बड़ी परियोजना आरम्भ नहीं की जायेगी। जिन परियोजनाओं को हमने पहले आरम्भ किया हुआ है उनको पहले करने का कार्य शुरू किया जायेगा। परन्तु इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ हद तक मैसूर राज्य में हमें नयी परियोजना पर भी ध्यान देना है। उड़ीसा में कोई भी नयी परियोजना आरम्भ नहीं की जायेगी। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमें उन परियोजनाओं को पहले लेना चाहिए जिन से तुरन्त लाभ हो। यह भी ठीक है ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिससे की तुरन्त लाभ होने की सम्भावना हो। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि खाद्य उत्पादन का कोई छू मन्त्र हमारे पास

नहीं है । सारी कठिनाइयों का सामना करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है । इस दिशा में मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमारे इंजीनियर और प्रशासक भी इस कार्य को बहुत सतर्कता और योग्यता से कर रहे हैं ।

श्री कन्डप्पन (तिरुथेंगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय पर चर्चा अधिकतर राज्यों से सम्बन्धित है । अभी तक कोई ऐसी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना नहीं है जिसे राष्ट्रीय ग्रीड कहा जा सके । इस प्रतिवेदन में सिंचाई के बारे में बहुत कुछ है परन्तु खेद की बात है कि मद्रास की किसी परियोजना का कोई वर्णन नहीं है । शायद सरकार मद्रास में कोई बड़ी परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं समझती ।

[श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुई
SHRIMATI RENUKA RAI *in the Chair*]

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय भूमि संरक्षण योजना की ओर दिलाना चाहता हूं । इसके लिए तृतीय योजना में 22 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे । उस में से मद्रास के लिए कुछ रखा नहीं गया है । बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए 140 करोड़ रुपये की कुल राशि व्यय की गई है परन्तु उसमें से हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं रखा गया है । वहां मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं की बहुत गुंजाइश है । निरुमनीमुत्तर पोनायार योजना काफी समय से चलो आ रही है । वहां बहुत से झीलें है । उन पर कुछ करोड़ रुपये के व्यय से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

भूमि संरक्षण का आधार व्यापक होना चाहिये । अभी तक सरकार केवल घाटिया में धन व्यय कर रही है । यह व्यय निरर्थक है और उस धन को देश की खेती वाली उवरक भूमि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । तिरूमनीमुत्तर पोनायार सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत झीलों में मेत्तुर बान्ध का फालतू जल डाला जाता है । मेरे विचार में मद्रास सरकार अधिक व्यय बता कर अल्प साधनों के कारण योजना को क्रियान्वित कर सकने की अपनी अयोग्यता को छिपाना चाहती है । झीलों के झरने से उस क्षेत्र के सभी कूपों में भूमिगत जल की उपलब्धि में बहुत वृद्धि होगी । उस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षत्रों में प्रति एकड़ उत्पादन मद्रास में अधिकतम है । इस योजना से केवल वही फालतू जल प्रयोग में लाया जायेगा जो कि जब बंगाल की खाड़ी में चला जाता है । यह एक महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजना है । उस से फसलों को समय समय पर होने वाली हानि से भी बचा जा सकता है । इस परियोजना पर व्यय 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा । आशा है कि सरकार इसे चौथी योजना में शामिल करेगी ।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : मैं नये मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह देश में कृषि उत्पादन के लिए अधिक बिजली की व्यवस्था करने में सफल होंगे । हमारे देश में बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के पूरे होने में विलम्ब ही खाद्य उत्पादन में कमी का एक कारण है । गत तीन योजनाओं में बढ़ाई गयी क्षमता का भी पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । सिंचाई क्षमता का लाभ न उठाने का कारण यह है कि नालियां समय पर तयार नहीं हुई थी और राज्य सरकार को. उन परियोजनाओं को सौंपने में बहुत समय लग गया ।

पश्चिमी बंगाल के झाड़ग्राम क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बहुत बढ़ाई जा सकती है । कुछ सदाप्रवाह वाली छोटी नदियो को सिंचाई के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है । दोलोंग योजना और पलपाला योजना बहुत पहले भेजी गई थी परन्तु उन पर अब तक कोई कार्य-वाही नहीं की गई है । माननीय मंत्री को इन योजनाओं पर विचार करना चाहिये क्योंकि इन नदियों से पानी हमेशा मिलता रहता है ।

[श्री सुबोध हंसदा]

लोअर दामोदर जल-निस्सारण योजना को कोई महत्व नहीं दिया गया है। यदि यह योजना पूरी हो जाती तो हवड़ा जिले की खाद्य समस्या हल हो गई होती। जहां तक दुर्गापुर बांध का सम्बन्ध है सरकार को नदी में से मिट्टी आदि (सिल्ट) को समय पर निकलवाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

कलकत्ता के महत्व को देखते हुए फरक्का बांध का निर्माण बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह यह है कि इसे निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाना चाहिये ताकि कलकत्ता बन्दरगाह को बचाया जा सके। धन तथा किसी अन्य कारण से अथवा व्यवस्था की कमी के कारण यह काम रुकना नहीं चाहिये। दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से बिहार में ले जाया जा रहा है। यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इससे निगम के कर्मचारियों के परिवारिक जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं यद्यपि इसका मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध नहीं है और वह यह कि जहां तक कलकत्ता पत्तन के हित का प्रश्न है यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा को गंगा से मिला देना चाहिए। इससे कलकत्ता को बचाया जा सकेगा। वैसे यह बहुत बड़ी योजना है और इस पर काफी खर्च होने की सम्भावना है। हमारे पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध अच्छे नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान में से होकर आने का कोई जल परिवहन नहीं है अतः हमें काफी हानि उठानी पड़ी थीं। परन्तु इस बात की उपेक्षा भी कर दी जाय तो देश के कलकत्ता पत्तन के हित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक योजना है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Mr. Chairman, if we want to increase agricultural production, irrigation facilities must be provided to the farmers. To-day we find that lakhs of acres of land is lying unutilised due to non-availability of water. Though canals of Bhakra project pass through over fields in Haryana but not a single drop is made available to us. The quanitity of water which we get from the Jamuna river is not enough to meet our requirements. As such either canal water should be made available to us or tube-wells should be provided so that the land lying uncultivated could be brought under plough.

There are complaints that there is a lot of delay in the installation of tube-wells, even after the necessary sanction is given. Besides sanction for electric motors is given with great difficulty. All these matters should be looked into.

Where canals and tube-wells cannot be provided, the agriculturists should be given loans on easy terms for digging of wells and taking up other small works.

Diesel Engines can be utilised for agricultural purposes and as such incentives should be given to farmers for the greater use of these engines.

In the urban areas a lot of electricity was being wasted on unnecessary things. If this electricity is diverted to the rural areas for agricultural purposes, there will be considerable increase in our food production and consequently our food problem will be solved. Agriculture must be treated as an industry. The rates for electricity for agricultural purposes should be very low.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Chairman, the biggest problem facing our country to-day is poverty in the villages and the easiest way to solve this problem is that irrigation facilities should be provided to the agriculturists.

If the Ghagra river in the Eastern U.P. is controlled and its water utilised for agricultural purposes, this area can give us rice that will be sufficient for whole country. It is regretted that nothing has so far been done in this connection in spite of the fact that we have all along been requesting the Government to formulate a scheme for controlling this river. Unless water is made available to farmers, our food problem will not be solved and we will have to continue to depend on the imports which is not in the interest of our Country.

There are a number of small tanks in villages. These should be dug deep so that substantial quantity of water could be stored therein and thereafter made available to the farmers at a very cheap rate. The silt of these tanks can be utilised as a fertiliser and thus dependence on imported fertilisers reduced.

Cheap power should be made available to the rural areas so that small industries could be set up there to produce such machines and equipment for which we have to depend on England and Germany.

The corrupt practices being indulged in by the officials should be checked otherwise we will not be able to make any headway in our march towards self-reliance.

The Ministry should place at least Rs. 15 crores at the disposal of the Government of U. P. to implement four or five schemes which are held up for want of funds. This is very necessary and the said amount must be provided because if you will give us money we will give you water and power. The step-motherly treatment being meted out to us should now end.

With these words I support the Demands for Grants of the Ministry.

केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: KERALA UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा एक संशोधी अधिनियम अधिनियमित कर के केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 में, जो 6 अप्रैल, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें :

धारा 2

धारा 2 के खंड (i) में "इट शैल सबमिट" (यह प्रस्तुत करेगी) शब्दों के स्थान पर "ईच मेम्बर शैल सबमिट" (प्रत्येक सदस्य प्रस्तुत करेगा) शब्द रखे जायें।

धारा 3

धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में "फार दी पीरियड फार विच इट हैज बिन मेड" (वह अवधि जिसके लिये यह की गई हो) शब्दों के स्थान पर "फारए पीरियड विच इज़ नाट एक्सीड वन इयर" (ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो) शब्द रखे जायें।

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) में यह व्यवस्था है कि एसा प्रत्यायोजित विधान सभा पटल पर रखा जायेगा और इसके सभा-पटल पर रखे जाने के पश्चात 7 दिन के भीतर इस में संशोधन करने के लिये संकल्प प्रस्तुत करने का सदस्यों को अधिकार होगा। यदि इस प्रकार प्रस्तुत किया गया संकल्प स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकार किये गये संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति उस विधान में रुपभेद करेगा।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the chair*]

मुझे खेद है कि यह अधिनियम राज्य सभा में उस अन्तिम दिन को सभापटल पर रखा गया जिस दिन उसे स्थगित होना था ताकि राज्य-सभा के सदस्य अपने इस सांविधिक अधिकार का उपयोग न कर सकें। इसी प्रकार लोक सभा में तीन दिन के अवकाश से पहले इसे सभा-पटल पर रखा गया जिस से यहां के सदस्यों को सात दिन का समय ही न मिल सके। यह सब जान बूझ कर किया गया है ताकि सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर ही न मिले।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मेरे माननीय मित्र ने राज्य सभा के बारे में जो स्थिति बताई है वह गलत है। यह सही है कि यह अधिनियम राज्य सभा में अन्तिम दिन सभा-पटल पर रखा गया था। परन्तु चूंकि नियमों में व्यवस्था के अनुसार राज्य सभा को 7 दिन मिलने चाहिये जिस से वह अधिनियम में रुपभद करने हेतु कोई संकल्प प्रस्तुत कर सके, इसलिये जब राज्य सभा 3 मई को पुन: समवेत होगी तो उसे छ: दिन और मिलेंगे जिनमें इस प्रयोजन का कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा। अत: माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप का कोई औचित्य नहीं है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम को अधिनियमित करते समय इस बात को माना गया था कि सलाहकार समिति की सलाह ली गई थी। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या सलाह ली गई थी और इस बारे में सरकार का क्या रवैया था? इस सम्बन्ध में हमें समिति के निश्चित मत को समझना पड़ेगा। गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित किये गये प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 से मालूम होता है कि उपकुलपति को नियुक्त करने के ढंग तथा उसे और तीन वर्ष के लिये नियुक्त करने के निर्णय पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी। मतैक्य यह था कि धारा 10 को उप-धारा (3) में जोड़े जाने वाले प्रस्तावित उपबन्ध को बनाये रखा जाय : इस सम्बन्ध में भी कुछ लोगों ने महसूस किया था कि अस्थायी प्रबन्ध करने के लिये वर्तमान अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) ही काफी है और इस में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक धारा 10 की उप-धारा (1) का संशोधन करने का सम्बन्ध है, उपकुलपति की नियुक्ति से सम्बन्धित कुछ मामलों से मतभेद था तथा अन्ततोगत्वा यह निर्णय किया गया था कि जब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिय भेजा जाये तो उनका ध्यान सदस्यों के इन विचारों के ओर भी दिलाया जाय।

गृह कार्य मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में उन दो विख्यात व्यक्तियों (कर्नल ज़ैदी तथा श्री बाकर अली मिर्ज़ा) के नामों का, जो शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालियों से सम्बन्धित मामलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और जिन्होनें इस संशोधित विधेयक का कारगर ढंग से विरोध किया था, उल्लेख नहीं किया है जिससे राष्ट्रपति को भ्रम में डाला जा सके।

यह सुझाव भी मैंने ही दिया था कि सलाहकार समिति की कार्यवाही का सारा वृत्तांत राष्ट्रपति के पास भेजा जाय और इस के बाद मैंने राष्ट्रपति को यह भी लिखा था कि प्रस्तावित विधेयक के पारित हो जाने से शैक्षणिक संस्थाओं की सारी स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी। परन्तु बडे दुख की बात है कि इस के बावजूद भी उन्होंने इस नियुक्ति का समर्थन कर दिया है जिसके विरुद्ध केरल के लोग, विद्यार्थी तथा अध्यापक आवाज उठाते रहे थें क्योंकि पीछे कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय का इतिहास, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने, भाई भतीजावाद तथा घूसखोरी का इतिहास रहा है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की वारदातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों ने यह निर्णय किया कि सेवा से निवृत्त होने वाले उपकुलपति की पदावधि में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। सामान्य प्रथा भी यही है कि सेवा से निवृत्त होने वाले उपकुलपति को दूसरी अवधि के लिये नियुक्त न किया जाये। वर्तमान मामले में हमारा निश्चित मत भी यही था कि उसे दूसरी अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि केरल विश्व-विद्यालय में अधिकांश बुराइयों के लिये वही जिम्मेदार हैं। परन्तु सर्वशक्तिमान सिन्डीकेट तथा उप-कुलपति ने यह निर्णय किया कि सीनेट से चुनाव को अन्तिम घड़ी तक निलम्बित रखा जाय जिससे सर्वसम्मति से अपना मत व्यक्त करने तथा एक अन्य व्यक्ति के बारे में सहमत होने के लिये तीन सदस्यों को पर्याप्त समय ही न मिल सके। वहां के राज्यपाल, श्री अ० प्र० जैन ने जिस तीसरे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया था, उसने भी इस बात को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि सेवा से निवृत्त होने वाले व्यक्ति का नाम तालिका में शामिल किया जाये। सिन्डीकेट का प्रतिनिधि ऐसी किसी तालिका पर हस्ताक्षर करने के लिये तयार नहीं था जिसमें सेवा से निवृत्त होने वाले उपकुलपति का नाम न हो। इसी कारण से तालिका समिति कोई तालिका प्रस्तुत न कर सकी। मुझे सीनेट के एक प्रतिनिधि से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस सम्बन्ध में विशेष समिति में हुई कार्यवाही का सारा वृत्तान्त दिया हुआ है।

यह एक विचित्र बात है कि 27 जनवरी की आधी रात तक सभी इस बात से सहमत थे कि सेवा से निवृत्त होने वाले उपकुलपति को दूसरी अवधि के लिये न रखा जाय। परन्तु 28 तारीख प्रातः काल अकस्मात कोई ऐसी बात हुई कि राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी कर के विश्वविद्यालय को उसकी स्वायत्तता से वंचित कर दिया। स्पष्ट है कि उच्चतम स्तर पर किसी व्यक्ति ने दूषित व्यवहार किया होगा।

इस अध्यादेश का सलाहकार समिति के सभी वर्गों ने विरोध किया था। चूंकि मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था अतः उन्होंने अध्यादेश में से धारा 10(1) में संशोधन करने वाले भाग को हटा दिया क्योंकि यह उपबन्ध अनैतिक और गलत था। इस के स्थान पर यह संशोधन रखा गया कि केरल अध्यादेश के होते हुए भी केरल विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 1966 की धारा (3) का निराकरण किया जाता है। फिर आगे, कहा गया कि इस निराकरण के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत की गई नियुक्ति को विधिवत समझा जायेगा और यह उतने समय तक जारी रहेगी जितने समय के लिये यह नियुक्ति की गई होगी। यह शब्द बड़ी चतुरता से रखे गये हैं ताकि कोई यह न समझ सके कि यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिये है। इस प्रकार से यह एक गैरकानूनी तथा अनैतिक कार्य है। देश के सर्वोच्च पदाधि-कारी इस के पक्ष में है; अन्यथा इस विधान को लाने के लिये इतनी आकुलता न होती। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार में सर्वोच्च अधिकारी विश्वविद्यालय में लोकतंत्रीय प्रणाली को समाप्त करने तथा भ्रष्टाचार से पीड़ित केरल विश्वविद्यालय में वतमान विधि के विरुद्ध उसपर किसी व्यक्ति को ठोंसने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह विधान केवल नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को तीन वर्ष की और अवधि के लिये लाया गया है। यह बात धारा 10(4) में की गई इस व्यवस्था से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उपकुलपति के कार्यालय में अस्थायी रिक्ति होने पर उपकुलपति की जिम्मेदारियों को निभाने के लिय कुलपति के

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

अनुमोदन से सिन्डीकेट आवश्यक प्रबन्ध कर सकेगा। यदि सेवा से निवृत्त होने वाले उपकुलपति कार्यालय से हट गये होते तो कोई कठिनाई न होती। श्री हाथी ने एक विचित्र तर्क दिया है कि यह अस्थायी रिक्ति नहीं है परन्तु स्थायी रिक्ति है क्योंकि उपकुलपति सेवा से निवृत्त हो गये हैं। यह तर्क वैध नहीं है। ऐसा तर्क केवल लोगों को मर्ख बनाने के लिये है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

स्थायी रिक्ति तो है। परन्तु जब तक स्थायी रिक्ति को भर नहीं लिया जाता तब तक यह अस्थायी रिक्ति ही बनी रहेगी। विधि की प्रक्रिया के अनुसार यह स्थान भर लिया जाना चाहिये था परन्तु इसकी परवाह नहीं की गई। वास्तव में उनका इसमें कोई और स्वार्थ था।

मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक यह है कि यदि तीन सदस्यों की तालिका समिति सर्वसम्मति से एक तालिका प्रस्तुत न कर सके तो प्रत्येक सदस्य को तीन तीन नाम देने की अनुमति होनी चाहिये और इन 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कुलपति द्वारा चुना जाना चाहिये। यह प्रक्रिया निःसन्देह लोकतंत्रीय हितों के विरुद्ध है किन्तु भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से निबटने के लिये यही तरीका है।

मेरे दूसरे संशोधन का सम्बन्ध उपकुलपति की नियुक्ति से है। उसकी नियुक्ति तीन वर्षों की बजाय केवल एक वर्ष के लिये ही की जानी चाहिये क्योंकि ऐसा करना अलोकतंत्रीय तथा संविधान के अनुच्छेद 357 के विरुद्ध है इसी आधार पर यह मामला केरल उच्च न्यायालय में भी उठाया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा संकल्प करती है कि केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा एक संशोधी अधिनियम अधिनियमित कर के केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966, में जो 6 अप्रैल, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, निम्नलिखित रूपभेद किया जाय :

धारा 2

धारा 2 के खण्ड (i) में "इट शैल सबमिट" (यह प्रस्तुत करेगी) शब्दों के स्थान पर "ईच मेम्बर शैल सबमिट" (प्रत्येक सदस्य प्रस्तुत करेगा) शब्द रखे जायें।

धारा 3

धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में "फार दी पीरियड फार विच इट हैज़ बिन मेड" (वह अवधि जिसके लिये यह की गई हो) शब्दों **के स्थान पर** "फार ए पीरियड विच डज़ नाट एक्सीड वन यीयर" (ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो) शब्द रखे जायें।

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : शिक्षा मंत्री सभी तथ्यों को नहीं जानते, परन्तु फिर भी उन्हें इस खराब विधान का समर्थन करना पड़ रहा है। केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में एक अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है। इससे केरल में शिक्षा के क्षेत्र को बहुत हानि हुई है। इस उपकुलपति को आगामी तीन वर्षों तक रखने का सभी लोगों ने विरोध

किया था परन्तु उस समय के राज्यपाल ने पूरे तीन वर्षों के लिये नियुक्ति कर दी। श्री हाथी को सलाहकार समिति की बैठक में पूरी स्थिति से अवगत कर दिया गया था। हमें खेद है कि इस समिति को सरकार कोई महत्व नही देती है। यदि इस समिति पर उपकुलपति की नियुक्ति का काम छोड दिया जाता तो वह निःसन्देह वर्तमान उपकुलपति की नियुक्ति का समर्थन नहीं करती।]

यदि राष्ट्रपति के सलाहकार समिति की कार्यवाही को पढें तो वे राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का विरोध करने वालों से सहमत होंगे। आज केरल राज्य में राष्ट्रपति का राज है। राष्ट्रपति के सलाहकारों को संसद-सदस्यों की केरल के बारे में सलाहकार समिति की सिफारिशों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

सारे मामले की मुख्य बात यह है उपकुलपति की नियुक्ति का सभा को अनुमोदन नही करना चाहिये। मेरे मित्र श्री श्रीकान्तन नायर ने सुझाव दिया है कि नियुक्ति की अवधि केवल एक वर्ष होनी चाहिये। यह एक उचित सुझाव है। सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर पुनः विचार करे और ऐसे व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त न करे कि जिसे राज्य के लोग नहीं चाहते।

मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : राज्य सभा के लिये सदस्यों के चयन और केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति के मामले में सरकार ने वहां के लोगों की भावनाओं का मान नहीं किया है। सरकार को पहले ही मालूम था, पहले वाले उपकुलपति की कार्य अवधि 28 जनवरी, 1966 को समाप्त होने वाली है। उचित प्रक्रिया यह थी कि समिति की सिफारिशें देने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाता। और यदि आवश्यक होता तो एक चयन समिति नियुक्त कर दी जाती और वह तीन नामों का सुझाव देती। परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही करने की परवाह नहीं की।

सरकार ने नई नियुक्ति पूरे तीन वर्षों की अवधि के लिये नही करनी चाहिये। मैं श्री नायर का समर्थन करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार करें।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : श्री नायर की यह बात ठीक है कि सलाहकार समिति के सभी सदस्यों की यह राय थी कि उपकुलपति की नियुक्ति ठीक नही है। हमें यह भी देखना है कि समिति के सदस्यों में सहमति नही थी। अतः राज्यपाल को नियुक्ति करनी पड़ी और पहले पदधारी की कार्य अवधि पूरी हो चुकी थी। अब बेहतर यही होगा यदि उपकुलपति स्वयं इस्तीफ़ा दे दें। उन्हें मालूम होगया होगा कि उनके विरूद्ध बहुत शिकायतें हैं।

मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि इस विषय पर ध्यान दिया जायेगा और वर्तमान उपकुलपति को यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा।

श्री मु० क० चागला : मैं इस पर एक लम्बी चर्चा में नही जाना चाहता। मैं पहले संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। हम आशा करते है कि ऐसी बात फिर नही होगी। एक वर्ष के बार उपकुलपति की नियुक्ति अपने आप समाप्त हो जायेगी। उसके बार नई प्रक्रिया पर अमल किया जायेगा।

श्री बड़े : क्या श्री हाथी बतायेंगे कि 20 तारीख की आधी रात की बैठक में क्या हुआ था?

श्री हाथी : यह सलाहकार समिति की बैठक थी। मैं उसमें उपस्थित नहीं था। इस विषय पर केरल सलाहकार समिति ने भी विचार किया है। क्या माननीय सदस्यों को याद नहीं कि जब काफ़ी अधिनियम पर चर्चा हुई थी तो सभी मदों पर विचार किया गया था और जिन बातों पर उन्हों ने विरोध किया वे हमने हटा दी थीं। मैं इस बात से सहमत नहीं कि समिति व्यर्थ है। इस विधान पर भी हमने चर्चा की थी और सदस्यों के विचारों के बारे में सूचना भेज दी गई थी।

श्री बड़े : परन्तु राज्यपाल ने ध्यान नहीं दिया।

श्री मु० क० चागला : श्रीमान जी, मैं पहला संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इससे एक कठिन तथा व्यर्थ प्रक्रिया बन जायेगी। हां, दूसरे संशोधन को जो कि धारा 3 का है मामूली परिवर्तन से स्वीकार किया जा सकता है। इस संशोधन से "फॉर दि पीरियड फॉर विच इट हैज़ बीन मेड" अवधि जिसके लिये यह की गई है के स्थान पर "फॉर दि पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम दि डेट ऑफ अपॉइन्टमेंट" ('नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये') शब्द रख दिये जायेंगे।

श्री नी श्रीकान्तन नायर : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

संशोधन किया गया। / *Amendment made.*

श्री नी श्रीकान्तन नायर द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प में—

(1) धारा 2 के संशोधन को हटा दिया जाये,

(2) धारा क (3) के संशोधन के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाये :—

In clause (a) of sub section (2) of section 3 for the words "for the period for which it has been made" substitute the words "for the period of one year from the date of appointment." [धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में 'फार दी पीरियड फार विच इट हैज़ बिन मेड' ('वह अवधि जिसके लिये यह की गई हो') 'शब्दों के स्थान पर "फार दी पीरियड ऑफ वन इयर फ्रॉम दी डेट आफ अपांइंटमेंट" (नियुक्ति की तारीख से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिये) शब्द रखे जायें।]

[म० क० चागला]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को संशोधित रुप में सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा एक संशोधी अधिनियम अधिनियमित कर के केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 में, जो 6 अप्रैल, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, निम्नलिखित रूपभेद किया जाए :

धारा 3

धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में "फार दी पीरियड फार विच इट हैज बिन मेड" (वह अवधि जिसके लिये यह की गई हो) शब्दों के स्थान पर 'फार दी पीरियड आफ वन यीयर फ्राम दी डेट आफ एपायंटमेंट" (नियुक्ति की तारीख से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए) शब्द रखे जायें।

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The Motion was adopted.*

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

Shri Achal Singh (Agra) : Eighty per cent of our people are engaged in agriculture. The irrigation facilities are very essential for agriculture. This Ministry is responsible for this work. My State of U. P. is predominantly an agricultural state. If adequate supplies of water and power are ensured there, it can be a surplus state. We have been compelled to import foodgrains in very big quantity. Keeping in view the shortage, we have to increase our food production. U.P. has been neglected by the Centre during the previous plans. The result is that it is a very backward state. The districts of Agra and Mathura are two dry Districts. I want that irrigation facilities should be made available to these two Districts. At least 100 tubewells must be installed there. Government should give credit to the farmers for tubewells. Government is giving utmost importance to fertilizers at present. Fertilizer is of no use unless adequate water available.

I hope that Central Government would give liberal help to U. P.

श्री गजराज सिंह राव (गुडगांव) : हमारे मंत्री महोदय बहुत ही सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति है, उनके मंत्रालय की गतिविधि पर बहुत कुछ कहा गया है। मेरा यह निवेदन है कि अब उन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनकी उस से पूर्व उपेक्षा की गयी है। सिंचाई के मामलें में हरियाना क्षेत्र की सदा उपेक्षा की गयी है। 'गुड़गाव उत्थान योजना' को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजना साहिबी योजना है। इस योजना को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध इंजीनियरों ने इसे स्वीकार किया है। मेरा आग्रह है कि इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में पग उठाये जाने चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि छोटे बांधों का कार्य कैसे चल रहा है। मेरा विचार यह है कि छोटे बान्धों का संरक्षण ठीक प्रकार से नही हो रहा। इस उपेक्षा से बहुत गम्भीर समस्या के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है।

इस तरह का मामला बिजली का है। बिजली के मामलें में भी हरियाना की नितान्त उपेक्षा की गई है। मेरा विचार यह है कि यदि पानी वाले क्षेत्रों में बिजली दे दी जाती तो उत्पादन दस गुना या इससे भी कही अधिक बढ़ सकता था। यह कितने आश्चर्य की बात है कि लाइनें तो वहां पर है परन्तु फिर भी कनेक्शन नही दिये गये है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में उत्पादन की वृद्धि की आशा कैसे की जा सकती है। इसी प्रकार का मामला आगरा नहर है। आगरा नहर से पानी देने से इन्कार कर दिया गया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली में एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए इससे हमें कुछ पानी उपलब्ध होने की व्यवस्था हो सके।

[श्री गजराज सिंह राव]

विद्युत के बारे में मेरा निवेदन यह है कि जब आप हजारों लाखों रुपये का अनाज आयात करते हैं, तो कृषि के लिये बिजली पर खर्च क्यों नही किया जाता। यदि गांवों में कुओं के लिये बिजली दी जाय तो लोग मालामाल हो जायेंगे। उनकी समवृद्धि बढ़ेगी। यदि ऐसा न किया गया तो गांवों में असन्तोष फैलेंगे। गांवों से निरंतर नगरों में लोग आते रहेंगे और देश के लिए एक बिकट समस्या पैदा हो जायेगी। अत: मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामलें पर ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रालय को हरियाना विकास समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र पर जो पिछले समय में कृपा दृष्टि रही है और जो अन्याय इस प्रदेश से हुआ है, उसका उपचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने यह वचन दिया था कि साहिबी नदी पर बांध बनाने के लिए एक या दो करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इस बचन को पूरा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो इस से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी और खारे पानी के क्षेत्र को मीठा पानी मिलेगा। लघु उद्योगों के लिए भी बिजली दी जानी चाहिए। यह बात तो अब स्पष्ट हो गयी है कि हरियाना के साथ बहुत अन्याय हुआ है।

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur) : The Honourable Minister has been sufficiently admired for his work. But this sense of admiration will continue if he really works in the right direction. There is a great demand for electricity in the country. Let me point out that although several dams have been constructed in Uttar Pradesh for generating power, but there is a great difficulty in regard to transmission lines because the State Government don't have money. I am of the opinion that if proper arrangements are made for the supply of power in that State, it will be doing great task. The state which is a deficit state in food grains, would become surplus state.

The Government of Uttar Pradesh were willing to do something in this direction. 6000 wells were proposed to be constructed during this year. But there are difficulties in the matter. This work can only be done if the required money is made available. And this is the responsibility of the Centre to give the money. Portable jigs should be obtained for the purpose of boring, for the water is available at a lower depth in that state.

Let me also state that a special scheme have been formulated for the eastern districts of Uttar Pradesh by the late Shri Jawaharlal Nehru. Rupees eight crores have been sanctioned for this purpose. Now it is for the centre to help the state Government which is already in short of money. It is not possible for them to bear this burden. I want to urge upon the Minister that the attention should be paid to this item so that this area may not remain a backward area.

So far as the increase in the tax on diesel is concerned I may humbly state the increase in the tax on diesel have hit the cultivators. It has become impossible for them to run their pumps. In regard to Persian wheel also there is shortage of steel sheets. the shortage of cement hindered the construction of wells. Government should pay attention to all these difficulties. These problems. are to be sorted in the interests of the people.

The area of Bundelkhand in Uttar Pradesh is very fertile. But the main difficulty in this direction is that it lacked the means of irrigation. It should be understood that if water is made available in this area, this is certain that it could be turned

into a fine granary. But it has no means of irrigations. I am also to state that the great delay in regard to the construction of Ram Ganga dam, is really very sad. I shall urge upon the Government to arrange for necessary funds and expedite th e construction work. This is very necessary in order to make the state self sufficient in matters of food grains. I hope my suggestions will be attended to and the honourable minister do something in this direction to earn the gratitude of the nation.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : The capacity and sagacity of the Minister of Irrigation and Power is will known. He is trying his level best to achieve the target. I am of the opinion that although we have not been able to achieve the targets laid down in the third plan inrespect of irrigation and power, we cannot blame the Ministry for this. There is no doubt that sincere efforts have made in this direc tion, We must know that total area under irrigation is steadily increasing. The only thing is that all states are not receiving adequate benefits from it.

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए ।
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

I want to request the Minister that he should see that justice is done to Maharashtra in that regard is rectified . The total percentage of irrigated land in that State is only 5 to 6. It is really very sad that, although most of the water of Krishna and Godavari belonged to Maharashtra. It has been given very little share for agriculture. The distribution of water should be more reasonable and Maharashtra should get its proper share. In this connection several projects proposed by the Government of Maharashtra are pending with the Centre. Those projects should be sanctioned at an early date. This is in the interest of justice and fairplay.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : विद्युत और सिंचाई की दिशा में आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। सिंचाई तथा विद्युत के क्षेत्र में मंत्रालय ने जो कार्य किया है वह बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है। कार्यक्रम मूल्यांकन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया है कि इन दो बड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनायें असफल रही है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान में भूमि ही अच्छी है, मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, परन्तु पानी के अभाव के कारण बंजर पड़ी है। राजस्थान में जल और बिजली दोनों का भी बहुत जबरदस्त अकाल वहां पड़ा हुआ है। अतः इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वह राजस्थान में नलकूपों का एक जाल बिछाने में वास्तव में क्या करना चाहती है। समूचे राज्य में केवल 200 नलकूपों का लगाया जाना बहुत ही अपर्याप्त है। इस राज्य में ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर पीने का जल भी 15 से 16 मील की दूरी से लाना पड़ता है। इस तरह की स्थिति बहुत ही दुःखद है और इससे निराश हो जाना स्वाभाविक है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि राजस्थान में लगनेवाले नलकूपों की संख्या में और वृद्धि की जानी चाहिए। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों में परमाणु बिजली उपलब्ध करने के मामले में क्या प्रगति हुई है।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या सरकार ने पंजाब के उन क्षेत्रों से जहां पानी जमा हो जाता है, कुछ जल संसाधनों का राजस्थान के इन क्षेत्रों के लाभ के लिए उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। सभा को यह बताया जाना चाहिए कि क्या राजस्थान नहर को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाने के बारे में वित्त मंत्रालय की सहमति लेने में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस परियोजना पर राजस्थान का काफी खर्च हो रहा है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

इस बारे में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए कि सिन्चाई और बिजली के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका स्तर प्रशासनिक सेवाओं के बराबर समझा जाना चाहिए। उनके साथ अब तक ठीक व्यवहार नहीं किया गया। जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें न कोई जान है और न ही स्वास्थ्य दृष्टिकोण हा अपनाया गया है। मंत्री महोदय को अपने उत्तर में ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे हमारा उत्साह और हमें बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में कुछ आशा की किरण दिखाई दे।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to draw the attention of the Government to this fact that Bagmati river scheme is a very important scheme for the nroth Bihar region . If it is implemented properly it can irrigate lakhs of areas of land in this region. The water of the river Bagmati is exceptionally good for the soil.

Let me draw the attention of the House that many years ago a nallah was constructed for diverting the waters of Bagmati. If this nallah had been used for irrigation, it can irrigate about fifty thousand acres of land. In the scheme that has been forwarded to the Central Water and Power Commission, there is no intention about that nallah. The Minister should look into that matter, because the nallah scheme will be very useful for that area.

Mr. Chairman : The honourable member can continue his speech tomorrow.

---

*रिक्शा चलाना

**RIKSHAW PULLING

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The number of Rikshaw-pullers is increasing at a surprisingly fast rate, so much so that it is now 9 to 10 times the number in 1947. It should be a cause of concern to the government as it is to some of the serious thinkers of the country because this profession is sub-human and moreover it causes serious damage to lungs and heart. It is a sad commentary on the aftermaths of industrialisation and line for city life, because the rikshaw pullers mostly comprise of villagers who come to the cities either in search of a living or are otherwise attracted by the glitter of city life. The reason for this exodus is poverty and caste-system where the depressed classes are looked down upon.

Rikshaw owners and the police exploit the rikshaw-pullers and force him to undertake extra labour much to the detriment of his health.

Doctors say people below twenty and over 40 years of age who ply-rikshaws continuously either die after two or three years or comes under the grip of some very deadly disease. Though Government claims that there are no ill-effects of rikshaw-pulling on health.

Government and Rikshaw-Pullers Unions should join their heads to find ways and means to better the lot of these harbingers of the age.

A real and lasting solution to their problem lies in accepting a minimum wage of Rs. 250 per month and the highest salary for the Head of the State, *i.e.* the President and big industrialist should not be more than Rs. 1000 per month.

---

*आधे घण्टे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

Shri Balmiki (Khurja) : The question first raised by Shri P. D. Tandon long back remain answered today. Inspite of three five-year plans there has been no improvement in the lot of poor Rikshaw-pullers.

May I know what programmes the Government have prepared in the Fourth Plan for their welfare and how they propose to fulfil the assurance given to late Shri Tandon?.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : May I know what steps the Government are taking to provide Auto-rikshaws to them after bringing them under one organisation?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या यह सच नहीं है कि रिक्शाचालक अधिकतर वे विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार ने वैसा ही काम नही दिया जो वे वहां कर रहे थे और क्या यह भी सच नही है कि जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती जायेगी रिक्शाचालकों की संख्या भी बढ़ती जायेगी?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस कार्य को लोकतंत्र की सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध होने की दृष्टि से देखा है और क्या उसने रिक्शा चलाना रोकने के लिए और इस वर्ग के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये कोई विधान बनाने पर भी विचार किया है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Whether Government have directed the State Governments or given any suggestion to them to put an end to rikshaw-pulling in future or not permitting the plying of rikshaws at new place at all and to provide alternative employment to them rendered jobless as a result thereof?

Shri Maurya (Aligarh) : Whether Government have any scheme before them to provide Auto-rikshaws, taxis etc. to rikshaw-pullers in order to put an end to this shameful practice?

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : The steps proposed to be taken the uplifting of this very backward class?

Shri Yashpal Singh : Whether Government have ever considered the proposal regarding putting a ban on those persons seeking elections to any office who use rickshaws.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : तीन वर्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बुलाये गये एक सम्मेलन में निश्चय किया गया था कि रिक्शाचालकों की दशा तथा स्तर सुधार जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

Shri Bagri (Hissar) : Whether Government have ever considered to harness this man-power in the building up of the Country? If so, the manner thereof and the request achieved thereby?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देते समय यह भी बतायें कि क्या विधान के अधीन रिक्शाचालकों की डाक्टरी-परीक्षा अनिवार्य नही है?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : I am grateful to my hon. friend Dr. Lohia for drawing the attention of the House towards a basic issue. I fully agree with him that this vocation is derogatory to human dignity and that it

[Shri Shah Nawaz Khan]

should be stopped as soon as possible—particularly that kind of rickshaw-pulling where man draws the rickshaw with his hands. The difficulty in changing over from cycle rikshaws to autorickshaws is about production which is very inadequate at present. The number of cycle-rickshaws will automatically go down with increase in the production of auto-rickshaws.

It is not correct to say that Government is indifferent towards this problem. In this connection, Rege Committee went into the whole question and conducted a survey. Indian Labour Conference considered this problem in 1953. Standing Committees on Labour considered it in 1961 and Government received the report of the special working Group on Corporation for Backward Classes in 1962. Similarly in 1964 this matter was considered in a Conference of Labour Ministers and later the Minister of Labour, Home and Community Development examined it.

We had asked the Director-General of Health Services to go into the effects of rikshaw pulling on the health of the drivers and he was of the opinion that as such rikshaw-pulling did not have any adverse effect on the health of the drivers but rikshaw-pulling alongwith insufficient and poor diet and unhygienic living conditions, do tell upon the health of rikshaw-pullers. After considering this question at length the Government have circulated the draft regulations among all the States for their guidance such as the persons to given licences and formation of Cooperative Societies in order to put an end to their exploitation. We have also promised all help to these Societies in the matter of constructing Housing Colonies for rikshaw-pulling. Government would always endeavour as best as possible to see that the lot of the backward sections of society improves.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 14 अप्रैल, 1966/24 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 14, 1966/ *Chaitra* 24, 1888 (*Saka.*)

भा०स०मु०ना०—वि०एन०एस०—54 लोक सभा।66—28-8-67—565